हिमाचल प्रदेश सरकार

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2016–2017

अप्रैल 2016 – मार्च 2017

रजिस्ट्रार सहकारी सभाऐं
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन

2016-17

सहकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश

रजिस्ट्रार सहकारी सभाऐं

हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

प्राक्कथन

विगत वर्षों की भांति हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की सांख्यिकी पुस्तिका ''वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन'' 2016–2017 प्रस्तुत है।

इस पुस्तिका को 18 अध्यायों में विभक्त किया गया है तथा प्रयास किया गया है कि प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन का हर पहलू इसमें शामिल हो। प्रदेश में पंजीकृत 4875 सहकारी सभाओं की सांख्यिकी सूचना का एकत्रीकरण तथा संकलन कार्य विभाग द्वारा अपने स्तर पर संशोध्ति किए गए सोफ्रटवेयर द्वारा किया जा गया हैं।

विभाग में निरीक्षकों के 50: से अध्कि पद रिक्त हैं जिस कारण विभिन्न जिलों में ब्लॉक स्तर पर सूचना एकत्रा करने में विलम्ब हुआ। भविष्य में इस कार्य को निश्चित समय अवध्ि में पूरा करने तथा विभागीय कार्य में दक्षता लाने हेतु विभाग का कम्प्यूट्रीकरण का कार्य प्रगति पर है। इसके अर्न्तगत प्रथम चरण में सभी वृतो को दो–2 कम्पयूटर उपलब्ध करवाये गए तथा द्वितीय चरण में सोफ्रटवेयर विकास का कार्य प्रगति पर है। इस पुस्तिका को पूर्ण करने में उप–पंजीयक(उपभोक्ता) सहकारी सभायें हि. प्र. श्री भरत सिंह कायथ, श्री अनूप शर्मा निरीक्षक सहकारी सभायें निदेशालय तथा श्री संजय भाटिया निरीक्षक सहकारी सभायें का सराहनीय योगदान रहा । आंकडों का संकलन तथा मुद्रण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें त्रुटियों की सम्भावनाओं से इन्कार नही किया जा सकता। यद्यपि इस कार्य के निष्पादन में सभी स्तर पर पूर्ण सावधनी बरती गई तथा आंकडों को यथासम्भव पुष्टि एवम प्रमाणिकता के उपरान्त ही समावेशित किया गया तथापि पुस्तिका में सुधार हेतु पाठकों के बहुमुल्य सुझावों का सदैव स्वागत है।

डा0 आर0 एन0 बत्ता
भा0प्र0से0
रजिस्ट्रार सहकारी सभाऐं
हिमाचल प्रदेश।

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
1	प्रस्तावना	1
2	हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े	4
3	हि. प्र. कार्यरत सहकारी सभाओं के क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण	11
4	विघटनाधीन सहकारी सभाऐं	48
5	सालसी विवाद–अजराय–गबन	49
6	अंकेक्षण	51
7	भण्डारण	53
8	जनजातीय क्षेत्राों में सहकारिता आन्दोलन	54
9	विशेष योजनाऐं	56
10	वार्षिक योजना	59
11	सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण	64
12	राज्य सहकारी परिषद व इसके कार्य	66
13	हिमाचल प्रदेश राज्य व्यवसायिक शिक्षा प्रसार सहकारी सभा सीमित, बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि. प्र	67
14	प्रशासनिक ढांचा	69
15	हिमाचल प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2006	78
16	सूचना का अध्किार (R.T.I.)	80
17	Role And Structure Of Department Of Co-Operation, H.P	83
18	Forms under The HP Cooperative Societies Rules, 1971, Service Guarantee Rules 2011, RTI Act 2005 & Societies Registration Act 2006	111

प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हिमाचल प्रदेश 15 अप्रैल, 1948 को तत्कालीन 30 रियासतों के विलय से केन्द्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया। उस समय प्रदेश में महासू, चम्बा, मण्डी और सिरमौर चार जिले थे। 1954 में प्रदेश में बिलासपुर को एक जिले के रूप में मिलाया गया। 1960 में महासू जिला से सीमान्त अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हटा कर किन्नौर जिला बनाया गया। प्रथम नवम्बर, 1966 को पंजाब के जिला कांगड़ा, शिमला, कुल्लू, लाहौल–स्पिति तहसील नालागढ़, ऊना तहसील के कुछ भाग एवं डलहौजी को प्रदेश में मिला कर प्रदेश को विशाल हिमाचल प्रदेश का रूप दिया गया। 25 जनवरी 1971 को प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सितम्बर 1972 में प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन किया गया। कांगड़ा जिला के कुछ भागों को अलग करके ऊना व हमीरपुर दो जिले बनाये गये तथा जिला महासू को शिमला व सोलन दो जिलों में विभक्त किया गया। इस समय प्रदेश के 12 जिले हैं जिसमें 158 तहसीलें/उप तहसीलें हैं। प्रदेश में 78 विकास खण्ड तथा 3226 ग्राम पंचायतें कार्यरत हैं। प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 68,64,602 है।

भौगोलिक स्थिति

हिमाचल प्रदेश हिमालय के आंचल में बसा एक पहाडी राज्य है। इसकी सीमाएं पंजाब, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर, उत्तराखंड व तिब्बत क्षेत्र से लगती है। प्रदेश के इलाके समुद्रतल से 350 मीटर से लेकर 6975 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। प्रदेश का क्षेत्रफल 55673 वर्ग किलोमीटर है जिसमें से अधिकतर क्षेत्र वनों के अधीन है। प्रदेश के क्षेत्र में से होते हुए सतलुज, व्यास, रावी, चेनाव व यमुना मुख्य पांच नदियां बहती हैं।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन का प्रादुर्भाव 1892 में प्रदेश के ऊना जिला के पंजावर नाम स्थान में एक भूसंरक्षण सहकारी सभा के गठन से प्रारम्भ हुआ। वस्तुतः भारत वर्ष में सहकारी आन्दोलन का श्रीगणेश ही इस ऐतिहासिक सहकारी सभा के गठन के साथ पंजावर में हुआ माना जाता है। हिमाचल प्रदेश सहकारी सभायें अधिनियम 1956 बनने से पूर्व प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी सभायें अधिनियम 1912 ही लागू था। 14 जनवरी 1971 से प्रदेश में हि०प्र० सहकारी सभायें अधिनियम 1968 लागू हुआ तथा अधिनियम के अधीन हि०प्र० सहकारी सभायें नियम 1971 को 15 मई 1971 से लागू किया गया। इस समय उक्त अधिनियम तथा नियम ही लागू है जिनके अधीन पंजीयक सहकारी सभाओं के नियंत्रण में हर प्रकार की सहकारी सभाओं की स्थापना, समापन तथा उनके कारोबार आदि से सम्बन्धित कार्यवाही चलाई जाती है। इनमें समय–समय पर संशोधन भी होते रहे हैं परन्तु आधार स्वरूप यही सहकारी सभाओं के लिये उपलब्ध विधान है जो प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन का पथ–प्रदर्शन कर रहा है। सहकारी सभाओं के प्रजातान्त्रिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा सहकारी सभाओं को स्वायत्तता देने की दृष्टि से उक्त अधिनियम में व्यापक संशोधन प्रस्तावित है। जिनके प्रभावी होने से प्रदेश में सहकारी आन्दोलन में नए युग का सूत्रपात होगा। वर्तमान उदारीकृत परिवेश में सहकारी संस्थाओं के समक्ष विभिन्न चुनौतियां उभर कर सामने आई हैं जिसका सीधा प्रभाव सहकारी संस्थाओं की कार्य प्रणाली पर पड़ा है। सहकारितायें निजि क्षेत्र व

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर अपने आप को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की दिशा में प्रयासरत हैं।

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन निरन्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। 1946 में यहां 663 सहकारी सभायें थी, जिनमें से अधिकांश निष्क्रिय थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के 1951 में प्रारम्भ होने के पश्चात अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक उत्थान में गतिशीलता प्रदान करने के लिये समाज में आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये सहकारी आन्दोलन को महत्व दिया गया। सहकारिता आन्दोलन द्वारा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिये मुख्य रूप से कृषि ऋण, विपणन, विधायन, भण्डारण, उपभोक्ताकार्य व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियन्त्रित वस्तुओं के वितरण के क्रियान्वयन में मुख्य भूमिका निभाई जा रही है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में दूध आपूर्ति, पशुधन विकास, सामूहिक व संयुक्त खेती, सिंचाई, मछली पालन, गृह निर्माण, श्रम–निर्माण, बुनकर, परिवहन तथा अन्य औद्योगिक संस्थाओं के गठन द्वारा प्रदेश के लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अपने ग्रामीण स्वरूप को कायम रखने के साथ–साथ यह आन्दोलन शहरी क्षेत्रों में भी बैंकों, ऋण सहकारिताओं, गृह निर्माण, परिवहन तथा अन्य औद्योगिक सहकारिताओं के माध्यम से प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रकार प्रदेश में यह आन्दोलन मानव गतिविधियों के अनेक पहलुओं को अपने अन्तर्गत ले चुका है। इन सभी कार्यों में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं का 31 मार्च, 2017 का विवरण निम्न प्रकार है :–

सहकारी सभाओं की किस्में	संख्या 31.3.2016	संख्या 31.3.2017
ऋण सहकारी सभाऐं		
प्राथमिक कृषि सहकारी सभाऐं	2119	2127
बचत व ऋण सहकारी सभाऐं	438	439
प्रान्तीय/केन्द्रीय सहकारी बैंक	3	3
कृषि व ग्रामीण विकास बैंक	2	2
अर्बन बैंक (शहरी सहकारी बैंक)	5	5
योग :	**2567**	**2576**
गैर ऋण सहकारी सभाऐं		
उपभोक्ता भण्डार	383	373
बुनकर सहकारी सभाऐं	388	389
अन्य औद्योगिक सहकारी सभाऐं	125	119
दुग्ध व पशुपालन सहकारी सभाऐं	371	377
कृषि विपणन व विधायन सहकारी सभाऐं	320	325
मछली पालन सहकारी सभाऐं	62	65
गृह निर्माण सहकारी सभाऐं	94	92
परिवहन सहकारी सभाऐं	116	116
श्रम व निर्माण सहकारी सभाऐं	106	103
विभिन्न प्रकार की गैर कृषि सहकारी सभाऐं	358	340
योग :	**2323**	**2299**

सहकारी सभाओं की किस्में	संख्या 31.3.2016	संख्या 31.3.2017
सभायें विघटनाधीन	179	191
कुल योग	**5069**	**5066**

वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 65 विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं का पंजीकरण किया गया। इस अवधि में 4 सभाओं को पुनर्जीवित किया गया तथा 66 विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं का पंजीकरण रद्द किया गया। वर्ष के अन्त में 191 विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाएं विघटनाधीन है।

सहकारिता आन्दोलन की प्रदेश में प्रमुख उपलब्धि यह है कि यहां के सभी 17882 आबाद गांवों को सहकारिता की परिधि में लाया जा चुका है। पहाड़ी क्षेत्र होने, जनसंख्या के दूरदराज बिखराव तथा अन्य कठिनाईयों और समस्याओं के होते हुए भी यहां सहकारिता आन्दोलन अपनी उपस्थिति बनाऐ हुऐ है।

****

अध्याय – 2

हिमाचल प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन की प्रगति के तुलनात्मक आंकड़े

(राशि लाखों में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17
सहकारी सभाओं की संख्या	4837	4890	4875
सदस्य संख्या लाखों में	16.37	16.86	16.96
भागधन	29134.83	32500.90	33203.09
अमानतें	1964083.19	2259689.00	2584739.42
कार्यशील पूंजी	2519709.99	2910743.12	3378241.99
कृषि उपज का विपणन व फारवर्डिंग	18756.14	12435.02	15435.48
खाद व कृषि उपकरणों का विक्रय	15094.50	33953.40	40479.17
उपभोक्ता वस्तुओं का परचून वितरण	89387.60	120903.46	246772.82
सहकारिता के अन्तर्गत लाये गये ग्रामों एवं आबादी की प्रतिशतता	100%	100%	100%

विवरण	प्राथमिक सहकारी सभाएं तथा अर्बन सहकारी बैंक व कृषि ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा 2016–17	राज्य एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2016–17	योग
कुल कृषि व गैर कृषि ऋण वितरण वर्ष के दौरान			
1. अल्प कालीन	7561.81	217711.44	225273.25
2. मध्य कालीन	128110.05	252633.38	380743.43
योग :	**135671.86**	**470344.82**	**606016.68**
3. दीर्घकालीन	12850.08		12850.08
कुल योग :	**148521.94**	**470344.82**	**618866.76**
वसूली कुल ऋण वर्ष में			
1. अल्प कालीन	6026.66	164078.67	170105.33
2. मध्य कालीन	104617.27	189440.43	294057.70
योग :	**110643.93**	**353519.10**	**464163.03**
3. दीर्घकालीन	8033.24		8033.24
कुल योग :	**118677.17**	**353519.10**	**472196.27**

विवरण	प्राथमिक सहकारी सभाएं तथा अर्बन सहकारी बैंक व कृषि ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा 2016–17	राज्य एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2016–17	योग
शेष कुल ऋण वर्ष के अन्त में			
1. अल्प कालीन	5859.62	392036.53	397896.15
2. मध्य कालीन	195806.09	477739.60	673545.69
योग :	**201665.71**	**869776.13**	**1071441.84**
3. दीर्घकालीन	44176.58		44176.58
कुल योग :	**245842.29**	**869776.13**	**1115618.42**
कालातीत ऋण वर्ष के अन्त में			
1. अल्प कालीन	844.44	13176.46	14020.90
2. मध्य कालीन	23501.18	27099.82	50601.00
योग :	**24345.62**	**40276.28**	**64621.90**
3. दीर्घकालीन	7683.45		7683.45
कुल योग :	**32029.07**	**40276.28**	**72305.35**
उपरोक्त कुल ऋण में से कृषि ऋण वितरित वर्ष में			
1. अल्प कालीन	2366.97	127987.32	130354.29
2. मध्य कालीन	73306.94	5626.33	78933.27
योग :	**75673.91**	**133613.65**	**209287.56**
3. दीर्घकालीन	12850.08		12850.08
कुल योग :	**88523.99**	**133613.65**	**222137.64**
वसूली वर्ष में			
1. अल्प कालीन	2214.72	140285.67	142500.39
2. मध्य कालीन	61289.52	6599.25	67888.77
योग :	**63504.24**	**146884.92**	**210389.16**
3. दीर्घकालीन	8033.24		8033.24
कुल योग :	**71537.48**	**146884.92**	**218422.40**
शेष ऋण वर्ष के अन्त में			
1. अल्प कालीन	3674.52	132175.15	135849.67
2. मध्य कालीन	112448.61	12895.76	125344.37
योग :	**116123.13**	**145070.91**	**261194.04**
3. दीर्घकालीन	44176.58		44176.58
कुल योग :	**160299.71**	**145070.91**	**305370.62**

विवरण	प्राथमिक सहकारी सभाएं तथा अर्बन सहकारी बैंक व कृषि ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा 2016–17	राज्य एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2016–17	योग
कालातीत ऋण			
1. अल्प कालीन	787.41	3032.66	3820.07
2. मध्य कालीन	17513.34	3419.58	20932.92
3. दीर्घकालीन	7683.45		7683.45
कुल योग :	**25984.20**	**6452.24**	**32436.44**
कुल ऋण में से गैर कृषि ऋण वितरित वर्ष में			
1. अल्प कालीन	5194.84	89724.12	94918.96
2. मध्य कालीन	54803.11	247007.05	301810.16
योग :	**59997.95**	**336731.17**	**396729.12**
वसूली वर्ष में			
1. अल्प कालीन	3811.94	23793.00	27604.94
2. मध्य कालीन	43327.75	182841.18	226168.93
योग :	**47139.69**	**206634.18**	**253773.87**
शेष ऋण वर्ष के अन्त में			
1. अल्प कालीन	2185.10	259861.38	262046.48
2. मध्य कालीन	83357.48	464843.84	548201.32
योग :	**85542.58**	**724705.22**	**810247.80**
कालातीत			
1. अल्प कालीन	57.03	10143.80	10200.83
2. मध्य कालीन	5987.84	23680.24	29668.08
योग :	**6044.87**	**33824.04**	**39868.91**

ऋण कार्यक्रम

सहकारी संस्थाओं द्वारा सस्ती ब्याज दर पर अपने सदस्यों को कृषि एवं गैर कृषि प्रयोजनार्थ ऋण उपलब्ध किये जाते हैं। प्रतिवेदन के अधीन वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत वितरित किये गये ऋण, वसूली तथा वर्ष के अन्त में शेष वसूली योग्य ऋण व कालातीत ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

	ऋण वितरित	ऋण वसूली	शेष ऋण	कालातीत ऋण
कुल कृषि व गैर कृषि ऋण				
1. अल्प कालीन	225273.25	170105.33	397896.15	14020.90
2. मध्य कालीन	380743.43	294057.70	673545.69	50601.00
योग :	**606016.68**	**464163.03**	**1071441.84**	**64621.90**
3. दीर्घ कालीन	12850.08	8033.24	44176.58	7683.45
कुल योग :	**618866.76**	**472196.27**	**1115618.42**	**72305.35**

वर्ष 2016–17 में कृषि प्रयोजन हेतु जारी ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

	ऋण वितरित	ऋण वसूली	शेष ऋण	कालातीत ऋण
कृषि प्रयोजनार्थ				
1. अल्प कालीन	130354.29	142500.39	135849.67	3820.07
2. मध्य कालीन	78933.27	67888.77	125344.37	20932.92
योग :	**209287.56**	**210389.16**	**261194.04**	**24752.99**
3. दीर्घ कालीन	12850.08	8033.24	44176.58	7683.45
कुल योग :	**222137.64**	**218422.40**	**305370.62**	**32436.44**

वर्ष 2016–17 में कुल ऋण में से गैर कृषि प्रयोजन हेतु जारी ऋण का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

	ऋण वितरित	ऋण वसूली	शेष ऋण	कालातीत ऋण
गैर कृषि प्रयोजनार्थ				
1. अल्प कालीन	94918.96	27604.94	262046.48	10200.83
2. मध्य कालीन	301810.16	182841.18	548201.32	29668.08
योग :	**396729.12**	**210446.12**	**810247.80**	**39868.91**

वर्ष 2016–17 में जारी किए गये दीर्घ कालीन कृषि ऋणों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(राशि लाखों में)

	ऋण वितरित	ऋण वसूली	शेष ऋण	कालातीत ऋण
कुल कृषि व गैर कृषि ऋण				
1 प्रान्तीय बैंक .	8759.01	5597.10	31936.57	5925.23
2 प्राथमिक बैंक .	3179.73	1616.19	10657.11	1610.87
3. प्राथमिक कृषि ऋण सभाएं	911.34	819.95	1582.90	147.35
कुल योग :	**12850.08**	**8033.24**	**44176.58**	**7683.45**

3. उपभोक्ता कार्यक्रम :

सहकारी सभाओं द्वारा अपने सदस्यों की ऋण की आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त समस्त उपभोक्ता वस्तुओं को उचित मूल्य पर सदस्यों एवं लोगों को उपलब्ध कराने के कार्य को प्रमुखता के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में अधिकतर सहकारी सभाओं को परचून वितरक के रूप में नियुक्त किया गया है। सहकारी सभाओं द्वारा इस कार्य को सफलतापूर्वक निभाया जा रहा है। परन्तु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उप–थोक विक्रेता एवं परचून विक्रेता जिनका कार्य सहकारी क्षेत्र में सरकार द्वारा सौंपा गया है, को वितरक के रूप में कम कमीशन मिल रहा है। फलस्वरूप सहकारी संस्थाओं को हानि वहन करनी पड़ रही है। परचून वितरक को व्यय एवं कार्यान्वयन में विभिन्न विषमताओं के दृष्टिगत कमीशन व अन्य छूट अधिक मिलनी चाहिए थी। प्रदेश में उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण में एक प्रान्तीय संघ, 5 जिला संघ, 35 तहसील संघ, 256 प्राथमिक विशिष्ट विपणन सहकारी सभाएं, 373 उपभोक्ता भण्डार, 2127 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सभाएं क्रय विक्रय कार्य के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राज्य में विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण का वर्ष 2016–17 का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

सभायें	आवश्यक वस्तुओं का विक्रय		
	2014–15	2015–16	2016–17
1. शिखरीय संघ	4841.15	4104.93	5297.20
2. जिला सहकारी संघ	5813.15	5523.72	5502.53
3. तहसील सहकारी संघ	3649.72	5534.75	162013.10
4. प्राथमिक कृषि सहकारी सभाऐं	69940.14	98141.65	63052.78
5. गैर कृषि सहकारी सभाऐं	115.31	133.56	157.48
6. विशेष विपणन सभाऐं	1339.80	1941.13	5459.56
7. सहकारी उपभोक्ता भण्डार	3688.33	5523.72	5290.17
योग :	**89387.60**	**120903.46**	**246772.82**

प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सहकारी संस्थाएं उपभोक्ताओं की आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित एवं अनियन्त्रित उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध करवा रही है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन 3186 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण का कार्य विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं द्वारा किया जा रहा है।

4. कृषि उपकरण व रासायनिक खाद का वितरण

सहकारी क्षेत्र में उर्वरक के थोक वितरक के रूप में हिमाचल प्रदेश सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ (हिमफैड) प्रदेश की अकेली नामित संस्था है। इसके अतिरिक्त 2084 सहकारी सभाओं द्वारा परचून दुकानों के माध्यम से रासायनिक खाद व कृषि उपकरण, बीज, कीटनाशक एवं फफूंदनाशक दवाईयों के वितरण का कार्य किया जा रहा है। प्रतिवेदन के अधीन वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत वितरित वस्तुओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

	रासायनिक खाद	बीज	कृषि उपकरण	दवाईयां	योग
थोक विक्रेता					
1. शिखरीय संघ	9520.94				9520.94
परचून विक्रेता					
1. जिला सहकारी संघ	13.25		145.86		159.11
2. तहसील सहकारी संघ	7488.14	25.49		4.05	7517.68
3. प्राथमिक कृषि सह० सभाऐं	19220.28	1181.81	2097.01	255.10	22754.20
4. विधायन कृषि सह० सभाऐं	25.65				25.65
5. विशेष विपणन सह० सभाऐं	475.29	20.40	5.15	0.75	501.59
योग :	**36743.55**	**1227.70**	**2248.02**	**259.90**	**40479.17**

5. विपणन

प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाऐं किसानों तथा बागवानों के उत्पादन के विपणन कार्य तथा उत्पादन को मण्डियों तक पहुंचाने की निकासी के कार्य में संलिप्त है। इस प्रकार यह सभाऐं उत्पादकों को मध्यस्थों के चंगुल से बचाने तथा मण्डियों में प्रतिस्पर्ध बना कर उत्पादकों को लाभान्वित करने के लिये प्रयासरत हैं। वर्ष 2016–17 में इन सभाओं द्वारा मु0 15435.48 लाख रूपये का विपणन एवं निकासी की गई जिसमें मुख्यतः सेब, चाय, आलू, दूध तथा दूध से बनी वस्तुएं, मछलियां आदि सम्मिलित हैं।

हिमाचल प्रदेश में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्त तक हुई प्रगति दर्शाने वाली तालिका

(राशि लाखों में)

विवरण	प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	छटी पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में स्थिति	आठवीं योजना के अन्त में स्थिति	नौवीं योजना के अन्त में स्थिति	10वीं योजना के अन्त में स्थिति	11वीं योजना के अन्त में स्थिति	2016–17 के अन्त में स्थिति
1. सहकारी सभाओं की संख्या	745	284	1184	3677	3575	3453	3958	4419	4334	4404	4759	4875
2. सदस्यता (लाखों में)	0.51	0.79	1.26	5.93	6.85	8.32	8.85	11.53	11.87	13.66	15.42	16.96
3. भागधन	26.22	38.41	61.65	523.88	952.40	2169.76	3386.17	7527.98	11461.65	17238.29	25909.64	33203.09
4. कार्यशील पूंजी	141.03	207.09	353.34	5277.33	7341.08	16455.61	42142.52	147469.76	338989.20	873794.49	1936379.59	3378241.99
5. ऋण वितरण (अल्पकालीन–मध्यकालीन) कृषि ऋण (अन्तिम वर्ष)	6.35	8.46	25.23	516.57	649.59	1202.29	1674.60	3654.11	6808.92	18348.90	95592.75	618866.76
6. कृषि उत्पादन का विपणन (अन्तिम वर्ष)	38.71	24.00	97.82	156.95	383.44	795.71	3575.90	4626.61	5027.15	3371.18	16722.92	15435.48
7. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण (अन्तिम वर्ष)	98.01	73.02	254.33	1305.29	920.10	5286.20	7189.87	11232.83	15554.56	28753.89	87635.54	246772.82
8. ग्रामीण आबादी जो सहकारिताओं के अधीन लाई गई	22%	30%	43%	76%	89%	87%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

अध्याय – 3

हि०प्र० में कार्यरत सहकारी सभाओं के क्रियाकलापों का विस्तृत विवरण

बैंक

कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु आधुनिक उपकरण तथा अन्य साधन जुटाने के लिये अन्य उद्योगों की भान्ति कृषि क्षेत्रा में भी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता रहती है। इस उद्देश्य की आपूर्ति में सहकारिता आन्दोलन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में कृषि उत्पादन के कार्य में सुधार लाने की दृष्टि से तीन स्तरीय सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ऋण वितरित किये जाते हैं।

राज्य में हि०प्र० सहकारी बैंक सीमित शिमला 'शिखरीय बैंक' प्रदेश के 12 जिलों में से 6 जिलों शिमला, किन्नौर, मण्डी, बिलासपुर, चम्बा व सिरमौर में अपनी 199 शाखाओं के माध्यम से कार्यरत हैं। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और लाहौल–स्पिति जिलों में दी कांगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित धर्मशाला अपनी 215 शाखाओं के द्वारा तथा जिला सोलन में दी जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित अपनी 30 शाखाओं के माध्यम से सहकारी सभाओं के किसान सदस्यों को लाभान्वित कर रहे हैं। इस प्रकार राज्य स्तर पर एक शिखरीय बैंक एवं दो केन्द्रीय बैंकों द्वारा तथा गांव स्तर पर प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सभाओं के माध्यम से किसानों को कृषि ऋण प्रदान किए जा रहे हैं। गैर कृषि ऋणों की आवश्यकताओं की आपूर्ति भी बैंकों द्वारा गैर कृषि ऋण सभाओं के माध्यम से की जा रही है।

प्राथमिक सहकारी सभाओं के अतिरिक्त बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं सीधे तौर पर को कृषि व गैर कृषि ऋण भी जारी किये जा रहे हैं। बैंकों द्वारा अपने क्षेत्र की सहकारी संस्थाओं को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप किसानों को कृषि उपकरण व उर्वरक एवं उपभोक्ता वस्तुओं के क्रय–विक्रय तथा कृषि व बागवानी उपज के विपणन व निकासी के लिये ऋण साख सीमाओं के रूप में भी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। प्रदेश में सहकारी बैंकों द्वारा उत्कृष्ट कार्य कर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत अपनी–अपनी श्रेणी में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। सहकारी बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के अतिरिक्त अब पन विद्युत परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है, जिसे राज्य द्वारा विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है। सहकारी बैंकों द्वारा केन्द्रीय सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड योजना को भी प्रभावी तरीके से लागू किया गया है तथा किसानों की फसलों की बीमा योजना को भी ऋण सहकारी संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को फसल राहत बीमा मिल सके।

बैंकों की गत् दो वर्षों की वित्तीय स्थिति व कार्य का विवरण

(राशि लाखों में)

विवरण	शिखरीय सहकारी बैंक शिमला		कांगड़ा केन्द्रीय सह. बैंक धर्मशाला		जोगिन्द्रा केन्द्रीय सह. बैंक सोलन	
	2015–16	2016–17	2015–16	2016–17	2015–16	2016–17
1. शाखाओं की संख्या	194	199	204	215	29	30
2. सदस्य संख्या	1743	1755	2270	2322	487	486
3. भागधन	858.06	873.85	223.19	228.77	306.37	307.10
4. सुरक्षित व अन्य कोष	72102.14	82194.48	83740.52	87427.23	7919.31	8422.60
5. अमानतें	819766.93	909284.01	842754.00	962583.26	70783.91	82333.03
6. कार्यशील पूंजी	1041639.94	1208286.84	1033355.02	1204665.21	84447.47	100411.16
7. कृषि ऋण वितरण	59030.82	61268.21	76265.54	62551.80	6910.27	9793.61
8. कृषि ऋण बकाया वर्ष के अन्त में	104163.92	78902.90	46012.60	52695.39	11166.66	13472.62
9. गैर कृषि ऋण वितरण वर्ष में	120524.10	140301.27	95861.84	179039.21	20124.38	20658.37
10. शेष गैर कृषि ऋण वर्ष के अन्त में	331986.55	396923.68	245107.81	309897.42	14512.87	17884.12
11. वर्ष में ऋण की कुल वसूली	44211.19	161893.40	207344.64	166850.93	25557.14	24774.77
12. वर्ष के अन्त में कालातीत ऋण	9827.34	7429.00	17825.94	28567.13	4109.51	4280.15
13. राशि लाभ व हानि	(+) 5390.28	(+)9320.56	(+) 5581.46	(+) 6207.15	(+) 264.90	(+) 228.76

दीर्घ कालीन कृषि ऋण व्यवस्था

कृषि ग्रामीण विकास बैंकों द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि सम्बन्धित दीर्घकालीन ऋण जारी किये जाते हैं जिनकी अवधि उद्देश्य के अनुसार 5 से 15 वर्षों तक की होती है।

दी हि०प्र० राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक सीमित शिमला अपनी 44 शाखाओं के माध्यम से जिला शिमला, किन्नौर, सिरमौर, बिलासपुर, मण्डी, सोलन, कुल्लू, लाहौल–स्पिति तथा चम्बा सहित 9 जिलों में किसानों को दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य 3 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर तथा ऊना में प्राथमिक सहकारी ग्रामीण विकास बैंक सीमित धर्मशाला अपनी 20 शाखाओं के माध्यम से सदस्यों/किसानों को लाभान्वित कर रहा है।

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि विकास बैंकों द्वारा लम्बी अवधि के ऋण का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राशि लाखों में)

	2014–15	2015–16	2016–17
1. ऋण वितरण वर्ष में	10237.71	13154.23	11938.74
2. वसूली वर्ष में	10439.15	6568.99	7213.29
3. शेष ऋण वर्ष के अन्त में	31282.99	37868.23	42593.68
4. कालातीत ऋण	7900.75	7053.87	7536.01

बैंकों की दो वर्ष की वित्तीय स्थिति तथा कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार से है।

(राशि लाखों में)

विवरण	कृषि ग्रामीण विकास बैंक		कांगड़ा प्राथमिक भूमि विकास बैंक	
	2015–16	2016–17	2015–16	2016–17
1. शाखाएं	39	44	20	20
2. सदस्यता	79459	80776	31000	32140
3. भागधन	2069.20	2243.78	640.53	712.26
4. कार्यशील पूंजी	44834.65	51090.96	14106.43	15004.48
5. ऋण वितरण	9513.83	8759.01	3640.40	3179.73
6. ऋण वसूली	4796.96	5597.10	1772.03	1616.19
7. शेष ऋण	28774.66	31936.57	9093.57	10657.11
8. कालातीत ऋण	5907.61	5925.23	1146.26	1610.87
9. मांग	10704.57	11522.33	2918.29	3227.06
10. लाभ–हानि वर्ष	1386.50	+360.05	+153.95	–972.20

प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं

प्रदेश के ग्रामीण लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं किसान सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप साधन जुटाने हेतु अल्प कालीन व मध्यकालीन ऋण उचित ब्याज दरों पर उपलब्ध कर रही हैं। अधिकतर प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियन्त्रित वस्तुओं के परचून वितरक तथा रसायनिक खाद के परचून वितरक के रूप में कार्य कर रही हैं। विपणन तथा कृषि उत्पादन को मण्डियों तक निकासी का कार्य करके सभाएं लाभ अर्जित कर रही हैं। प्राथमिक कृषि सहकारी सभाऐं अपने कृषक सदस्यों को सबसे कम व सरल शर्तों पर कृषि प्रयोजनों के लिये दोष मुक्त सदस्यों की व्यक्तिगत प्रतिभूति पर ऋण की राशि सदस्यों को उनकी निर्धरित ऋण सीमा के अधीन उपलब्ध कराती हैं। अतः उचित ब्याज दर पर प्राथमिक ऋण सहकारिताएं अपने सदस्यों को कृषि प्रयोजनार्थ फसली ऋण व मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताओं की आपूर्ति करके उनके आर्थिक स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

वर्ष के अन्त में प्रदेश में 2127 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाऐं कार्यरत है, जिनमें से 500 सहकारी सभायें व्यवहाय (Viable) हैं। सभाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से और संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के आर्थिक हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उनके वेतनमानों में एकरूपता लाकर सभा के कारोबार की उपलब्धियों से जोड़ा है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कर्मचारियों के लिये आदर्श सेवा नियम व वेतनमान निर्धारित किये गये हैं जिस से न केवल इन संस्थाओं के उचित वेतनमान सुनिश्चित होंगे व इन सभाओं में व्यवसायीकरण बढ़ेगा तथा सहकारी संस्थाओं की कार्यकुशलता में भी वृद्धि सम्भव होगी। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निम्न सहकारी सभाओं को उनके उत्कृष्ट कार्यकलापों हेतु ''सह० उत्कृष्टता पुरस्कार'' प्रदान किया गया है:–

1. तलाई कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित तलाई, डा. तलाई, जिला बिलासपुर — वर्ष 2012
2. तलाई कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित तलाई, डा. तलाई, जिला बिलासपुर — वर्ष 2013
3. दि अमलेहर जदीद कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित नकरोह तह० अम्ब जिला ऊना — वर्ष 2014
4. दी कुठेड़ा कृषि सेवा सहकारी सभा सीमित कुठेड़ा, तह० नादौन, जिला हमीरपुर — वर्ष 2015

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सभाओं के गत वर्षों के कार्यों एवं प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है:–

(राशि लाखों में)

विवरण	2015–16	2016–17
1. सभाओं की संख्या	2119	2127
इनमें से स्वावलम्बी	509	500
2. सदस्य संख्या (लाखों में)	11.91	12.12
3. भागधन	14971.33	16392.18

विवरण	2015–16	2016–17
4. अमानतें	399710.40	471268.35
5. सुरक्षित व अन्य कोष	23088.17	27407.30
6. कार्यशील पूंजी	494240.20	581238.66
7. कृषि प्रयोजनार्थ ऋण कार्यक्रम ऋण वितरण वर्ष में		
अल्पकालीन	2645.12	2366.97
मध्यकालीन	78431.62	73306.94
दीर्घकालीन	975.26	911.34
योग :	**82052.00**	**76585.25**
ऋण वसूली वर्ष में		
अल्पकालीन	2474.39	2214.72
मध्यकालीन	61343.62	61289.52
दीर्घकालीन	879.22	819.95
योग :	**64697.23**	**64324.19**
शेष ऋण वर्ष के अन्त में		
अल्पकालीन	3500.47	3674.52
मध्यकालीन	100452.99	112448.61
दीर्घकालीन	1491.51	1582.90
योग :	**105444.97**	**117706.30**
कालातीत ऋण वर्ष के अन्त में		
अल्प, मध्य व दीर्घ	17374.04	117706.03
8. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	98141.65	63052.78
9. उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	1877	1894
10. रसायनिक खाद का वितरण	19220.28	4976
11. उर्वरकों के वितरण हेतु बिक्री केन्द्र	1466	1496
12. सभायें लाभ में	1778	1853
13. लाभ की राशि	3941.17	4655.36
14. सभायें हानि में	286	209
15. हानि की राशि	261.03	308.89

वर्ष 2016–17 के अर्न्तगत प्राथमिक कृषि सहकारी सभाओं के कार्यकलापों का विवरण

राशि हजारों में

जिला/वृत	सभाओं की सं०	राज्य की भागीदारी वाली सभाएं	व्यवहाय	व्यवहाय क्षम	संसुप्त	विघटना –धीन	सदस्यता	भागधन		सुरक्षित कोष	अन्य कोष	अमानतें	कार्यशील पूंजीं
								कुल	सरकारी				
1. किन्नौर	35	35	0	35	0	0	14686	14919	9105	3051	32796	7186	95652
2. शिमला	92	74	15	61	16	6	27801	12871	7197	3338	15822	119711	203447
3. जुब्बल	76	63	2	67	7	8	21035	10128	4439	93	5303	835	62554
4. सोलन	156	145	8	143	5	8	58209	71972	22530	9848	69014	427050	873353
5. सिरमौर	120	109	10	84	26	1	47843	59183	10172	10526	35271	494062	906437
6. बिलासपुर	77	70	6	70	1	1	77061	59155	7378	24963	122346	3478150	4355297
7. मण्डी	225	208	13	212	0	1	112209	86241	30219	16838	60319	811007	1251883
8. कुल्लू	125	120	4	107	14	2	27051	16635	12122	1212	8152	75968	137137
9. लाहौल–स्पिति	52	50	0	52	0	0	7447	9076	7935	0	33598	454	51899
10. ऊना	218	28	143	73	2	1	202475	392676	1653	288736	481567	13785339	16783519
11. हमीरपुर	223	15	179	39	5	0	168918	296129	487	233587	343617	10912391	12810176
12. देहरा	150	10	52	93	5	1	116694	210304	272	97679	177026	5465483	6514529
13. नुरपुर	125	39	34	90	1	0	80384	115284	1344	53119	87099	2446127	3045365
14. धर्मशाला	132	92	3	128	1	1	83888	135308	6108	88915	183920	5423240	6386379
15. पालमपुर	192	111	31	153	8	1	115855	123743	3686	62673	133806	3631749	4470009
16. चम्बा	129	123	0	120	9	1	50840	25594	16714	3946	52550	48083	176230
योग	**2127**	**1292**	**500**	**1527**	**100**	**32**	**1212396**	**1639218**	**141361**	**898524**	**1842206**	**47126835**	**58123866**

राशि हजारों में

जिला/वृत	ऋण वितरण				ऋण वसूली				शेष ऋण			
	अल्प	मध्य	लम्बी अवधि	योग	अल्प	मध्य	लम्बी अवधि	योग	अल्प	मध्य	लम्बी अवधि	योग
1. किन्नौर	13207	0	0	13207	10629	34	0	10663	16072	433	0	16505
2. शिमला	0	0	0	0	0	135	0	135	609	1646	0	2255
3. जुब्बल	0	0	0	0	25	0	0	25	9667	27	0	9694
4. सोलन	21757	52020	0	73777	13045	60040	0	73085	50349	193091	0	243440
5. सिरमौर	20269	79167	0	99436	17353	73457	0	90810	41437	198976	0	240413
6. बिलासपुर	77544	1294971	0	1372515	83663	981443	0	1065106	93700	1533001	0	1626701
7. मण्डी	16790	139861	0	156651	17563	131147	0	148710	30722	248062	0	278784
8. कुल्लू	385	2875	0	3260	375	1603	0	1978	218	12305	0	12523
9. लाहौल–स्पिति	0	0	0	0	0	204	0	204	0	1717	0	1717
10. ऊना	80699	2525297	0	2605996	72511	2140470	0	2212981	117781	4029151	0	4146932
11. हमीरपुर	0	846403	91134	937537	0	793658	81995	875653	0	1344826	158290	1503116
12. देहरा	0	963720	0	963720	0	827860	0	827860	0	1572498	0	1572498
13. नुरपुर	0	415437	0	415437	0	353995	0	353995	40	672481	0	672521
14. धर्मशाला	6046	533594	0	539640	6308	329672	0	335980	6857	743015	0	749872
15. पालमपुर	0	464808	0	464808	0	422577	0	422577	0	660428	0	660428
16. चम्बा	0	12541	0	12541	0	12657	0	12657	0	33204	0	33204
योग	**236697**	**7330694**	**91134**	**7658525**	**221472**	**6128952**	**81995**	**6432419**	**367452**	**11244861**	**158290**	**11770603**

राशि हजारों में

जिला/वृत	अवधि रहित ऋण				मांग	कृषि उत्पादन विपणन	उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	वितरण खाद व अन्य उपकरण	सभाएं लाभ में		सभाएं हानि में		संख्या बिना लाभ हानि
	अल्प	मध्य	लम्बी अवधि	योग					संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1. किन्नौर	15927	578	0	16505	27168	0	84297	21929	27	2262	7	1618	1
2. शिमला	609	1646	0	2255	2390	0	222038	60038	72	2333	9	376	11
3. जुब्बल	9667	27	0	9694	9719	0	88760	29062	65	920	2	195	9
4. सोलन	3436	28204	0	31640	104725	0	342043	40665	117	5707	39	1266	0
5. सिरमौर	13891	62558	0	76449	167259	0	277405	33199	76	5169	35	3606	9
6. बिलासपुर	13828	136531	0	150359	1215465	1429	450396	44592	71	11976	3	485	3
7. मण्डी	3941	49810	0	53751	202461	128	1007719	76692	206	21391	16	2178	3
8. कुल्लू	842	4063	0	4905	6883	0	158805	23623	105	1694	7	70	13
9. लाहौल–स्पिति	0	1159	0	1159	1363	0	20622	4376	38	812	13	310	1
10. ऊना	15811	797852	0	813663	3026644	544	522119	126104	210	111564	8	387	0
11. हमीरपुर	0	166495	14735	181230	1056883	0	656696	47826	198	101309	20	17716	5
12. देहरा	0	176132	0	176132	1003992	0	396004	18523	137	53387	12	605	1
13. नुरपुर	40	163183	0	163223	517218	0	424260	51966	119	34755	5	344	1
14. धर्मशाला	749	70746	0	71495	407475	0	647738	58476	126	62096	2	14	4
15. पालमपुर	0	85698	0	85698	508275	0	737823	30979	185	44253	6	450	1
16. चम्बा	0	6652	0	6652	19309	0	268553	8568	101	5908	25	1269	3
योग	**78741**	**1751334**	**14735**	**1844810**	**8277229**	**2101**	**6305278**	**676618**	**1853**	**465536**	**209**	**30889**	**65**

सहकारी संस्थाओं का वर्ष 2016–17 का लाभ हानि विवरण

(राशि हजारों में)

विवरण	सभायें लाभ में		सभायें हानि में	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंक	3	1575647	–	–
2. राज्य/ग्रामीण विकास सहकारी बैंक	1	36005	1	97220
3. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सभाऐं	1853	465536	209	30889
4. शहरी बैंक	5	113293	–	–
5. प्राथमिक गैर कृषि ऋण सभाऐं	315	51309	52	10813
6. विपणन सहकारी सभाऐं	190	12370	31	102
7. विधायन सहकारी सभाऐं	18	1044	2	1508
8. दूध आपूर्ति एवं पशुधन सभाऐं	233	27890	30	1306
9. कृषि खेती सहकारी सभाऐं	6	705	–	–
10. मछली पालन सहकारी सभाऐं	30	1505	26	1165
11. बुनकर एव ऊन सहकारी सभाऐं	268	9833	38	3655
12. औद्योगिक सहकारी सहकारी सभाऐं	53	13166	19	1148
13. सहकारी उपभोक्ता भण्डार	315	14907	22	690
14. श्रम एवं निर्माण सहकारी सभाऐं	37	3173	7	2284
15. अन्य गैर ऋण सहकारी सभाऐं	242	19505	174	14458
योगः	**3569**	**2345888**	**611**	**165238**

अपने कोष वाली या स्वयं वित पोषित सहकारी सभाऐं

प्रदेश में कुल 2127 प्राथमिक कृषि सहकारी सभाऐं हैं जिनमें से 1353 सहकारी सहकारी सभाऐं आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा स्वयं वित्त पोषित (Own Fund/Non-borrowing) हैं। इन सहकारी सभाओं की सदस्यता 8.56 लाख है तथा अमानतें 23889.05 करोड़ है। ये सभाऐं अपने सदस्यों को अपने ही कोष से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं, रसायनिक खाद के वितरण के अतिरिक्त कृषि प्रयोजन व सम्वद्ध कार्यकलापों के लिए अल्प व मध्यकालीन ऋण भी प्रदान करती है तथा किसी भी उच्च वित्तीय संस्थाओं पर आश्रित नहीं है। वर्ष 2016–17 में इन सभाओं ने अपने सदस्यों को मु० 421.39 करोड़ का ऋण वितरण कर लाभान्वित किया है। देश व प्रदेश में इस प्रकार की संस्थाओं का अपना विशेष महत्व है जो सहकारिता आन्दोलन को मजबूती प्रदान कर रही है। इनका वर्ष 2016–17 के कार्यकलापों का विस्तृत विवरण इस प्रकार है।

(राशि लाखों में)

1. सभाओं की संख्या	1353
2. सदस्य संख्या (लाखों में)	8.56
3. भागधन	9200.74
4. अमानतें	238890.50
5. सुरक्षित व अन्य कोष	1352.89
6. कार्यशील पूंजी	295552.72

7. ऋण कार्यक्रम

ऋण वितरण वर्ष में		**ऋण वसूली वर्ष में**	
अल्पकालीन	837.01	अल्पकालीन	589.11
मध्यकालीन व दीर्घ	41302.50	मध्यकालीन व दीर्घ	32341. 11
योग :	**42139.51**		**32930.22**

शेष ऋण वर्ष में		**अवधि रहित ऋण**	
अल्पकालीन	878.78	अल्पकालीन	132.28
मध्यकालीन व दीर्घ	54754.55	मध्यकालीन व दीर्घ	8866.69
योग :	**55633.33**		**8998.97**
उचित मूल्य की दुकानें	1709	कर्मचारियों की संख्या	2941
सभाएं लाभ में	1177	लाभ राशि	3628.11
सभाएं हानि में	144	हानि राशि में	904.12

अपने कोष वाली सहकारी सभाएं या गैर ऋण आश्रित सहकारी सभाऐं 2016–17

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	सभाओं की संख्या	सदस्यता	भागधन		अमानतें	कोष		कार्यशील पूंजी	ऋण वितरण		
			कुल	सरकारी		सुरक्षित	अन्य कोष		अल्प	मध्य	योग
1. किन्नौर	1	502	3128	2140	1100	1004	1133	3300	1801	0	1801
2. शिमला	56	17585	8280	4277	2018	904	3216	63125	200	143	343
3. जुब्बल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. सोलन	16	9022	12035	3164	120852	1876	11771	168606	1460	21537	22997
5. सिरमौर	18	7144	15263	1260	246953	2292	4463	336616	2168	23158	25326
6. बिलासपुर	25	28679	24323	2287	8915	5360	19363	11295	0	6651	6651
7. मण्डी	40	36269	30914	1693	303553	6963	23483	660122	21	1489	1510
8. कुल्लू	25	5097	7952	3936	20689	526	1778	34273	157	3375	3532
9. लाहौल–स्पिति	25	4120	1917	3886	520	830	910	20288	0	241	241
10. ऊना	214	188246	270046	3064	8235204	178672	263050	10145559	72515	1938964	2011479
11. हमीरपुर	222	156449	205141	698	6609991	116392	222511	7929030	475	785368	785843
12. देहरा	149	107469	142100	499	3377903	59786	120284	4033891	0	772463	772463
13. नुरपुर	116	68368	10254	8933	138644	4383	6689	206763	0	25996	25996
14. धर्मशाला	133	77532	81134	6806	2539692	45691	94306	3037942	4074	240429	244503
15. पालमपुर	192	109211	88589	5430	2271510	38717	75932	2801051	0	309176	309176
16. चम्बा	130	49432	25302	19236	11461	40613	0	103411	830	1260	2090
योगः	**1353**	**856827**	**920074**	**66894**	**23889005**	**504009**	**848889**	**29555272**	**83701**	**4130250**	**4213951**

अपने कोष वाली सहकारी सभाऐं या गैर ऋण आश्रित सहकारी सभाऐं 2016–17

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	ऋण वसूली			शेष ऋण			अवधि रहित ऋण			उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	वितरण खाद व अन्य उपकरण
	अल्प	मध्य	योग	अल्प	मध्य	योग	अल्प	मध्य	योग		
1. किन्नौर	00	00	00	1801	00	1801	0	0	0	25921	7
2. शिमला	9	262	271	191	1388	1579	0	1109	1109	145957	6062
3. जुब्बल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. सोलन	840	13507	14347	1717	36808	38525	365	4332	4697	40841	15426
5. सिरमौर	737	22495	23232	2214	81729	83943	46	28061	28107	54781	7582
6. बिलासपुर	0	3662	3662	0	5957	5957	0	296	296	886	45
7. मण्डी	32	1008	1040	50	2909	2959	27	333	360	371604	850
8. कुल्लू	131	2083	2214	233	7884	8117	137	655	792	35064	3054
9. लाहौल–स्पिति	0	241	241	0	1692	1692	0	242	242	15943	3510
10. ऊना	51454	1532688	1584142	76380	2409389	2485769	11222	509769	520991	463433	81065
11. हमीरपुर	70	648830	648900	405	1050426	1050831		116699	116699	819272	43282
12. देहरा	0	589889	589889	0	1019191	1019191	0	108599	108599	358872	16426
13. नुरपुर	0	22884	22884	0	35026	35026	0	9336	9336	100495	11781
14. धर्मशाला	4878	174886	179764	4817	418520	423337	1431	45641	47072	318932	37319
15. पालमपुर	0	220641	220641	0	404311	404311	0	61597	61597	429735	370443
16. चम्बा	760	1035	1795	70	225	295	0	0	0	50480	23320
योग:	**58911**	**3234111**	**3293022**	**87878**	**5475455**	**5563333**	**13228**	**886669**	**899897**	**3232216**	**620172**

अपने कोष वाली सहकारी सभाएं या गैर ऋण आश्रित सहकारी सभाऐं 2016–17

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	सभाएं लाभ में		सभाएं हानि में		संख्या बिना लाभ हानि के	कर्मचारियों की संख्या	उचित मूल्य की दुकानों की संख्या
	संख्या	राशि	संख्या	राशि			
1. किन्नौर	3	180	0	0	0	9	5
2. शिमला	44	882	6	384	6	75	52
3. जुब्बल	0	0	0	0	0	0	0
4. सोलन	14	1149	2	212	0	30	16
5. सिरमौर	18	2929	0	0	0	30	19
6. बिलासपुर	15	325	1	45	0	62	37
7. मण्डी	36	40921	4	632	0	111	83
8. कुल्लू	20	244	3	5	2	47	31
9. लाहौल–स्पिति	22	509	3	66	0	32	38
10. ऊना	200	73126	13	732	1	507	213
11. हमीरपुर	197	85303	22	9111	3	497	245
12. देहरा	124	38516	24	1227	1	310	167
13. नुरपुर	96	4102	19	296	1	309	164
14. धर्मशाला	126	48378	7	142	0	325	143
15. पालमपुर	177	28397	15	139	0	387	216
16. चम्बा	85	37850	25	77421	10	210	280
योग	**1177**	**362811**	**144**	**90412**	**24**	**2941**	**1709**

शहरी सहकारी बैंक

शहरी सहकारी बैंकों द्वारा शहरी क्षेत्रों में अपने सदस्यों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन गैर कृषि ऋण उचित ब्याज की दर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिये उपलब्ध कराये जाते हैं। राज्य में शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 5 है जो बैंकिंग रैगुलेशन एक्ट के अधीन आते हैं जिसमें बघाट बैंक की वर्तमान में तीन शाखायें हैं तथा परवाणू सहकारी बैंक की दो शाखाएं हैं। मण्डी सहकारी बैंक का पुर्नरूत्थान उसके सदस्यों व जमाकर्ताओं के वित्तीय सहयोग से आर.बी.आई द्वारा स्वीकृत पुर्नरूत्थान योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है जो बिना सरकार व अन्य वित्तीय संस्थाओं के सहयोग से किया गया है तथा देश व प्रदेश यह में अपनी किस्म का पहला अर्बन बैंक पुर्नरूत्थान (Revival) हुआ है व बैंक ने वर्ष 2016–17 में मु० 10.50 लाख रू० का लाभ अर्जित किया है। गत् वर्ष से तुलनात्मक कार्य का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

विवरण	2015–16	2016–17
1. शहरी सहकारी बैंकों की संख्या (जो बैंकिग रैगुलेशन एक्ट के अधीन आते हैं)	5	5
2. सदस्यता	25621	25869
3. भागधन	2146.63	2376.05
4. अमानतें	77437.12	97964.31
5. सुरक्षित एवं अन्य कोष	4973.88	3915.57
6. कार्यशील पूंजी	86889.12	109414.25
7. ऋण वितरित वर्ष में	35559.14	37815.39
8. ऋण वसूली वर्ष में	29564.44	30185.19
9. शेष ऋण वर्ष के अन्त में	48407.59	56037.79
10. अतिदेय ऋण	2148.36	3673.70
11. बैंक लाभ में	5	5
12. शुद्ध लाभ	733.97	1132.93
13. बैंक हानि में	-	-
14. शुद्ध हानि	-	-

वर्ष 2016–17 में शहरी सहकारी बैंकों के कार्य का वृत /जिलावार विवरण

राशि हजारों में

जिला/वृत	संख्या बैंक	सदस्यता	भागधन	सुरक्षित व अन्य कोष	अमानतें	कार्यशील पूंजीं	ऋण वितरण.			ऋण वसूली		
							अल्प	मध्य	योग	अल्प	मध्य	योग
1. शिमला	1	6718	23663	6928	509702	561507	0	122853	122853	0	10285	10285
2. सोलन	2	11377	183868	319689	8806267	9740108	0	3547402	3547402	0	2909882	2909882
3. मण्डी	1	3278	23397	42163	307802	432280	0	67774	67774	0	64655	64655
4. चम्बा	1	4496	6677	22777	172660	207530	0	43510	43510	0	33697	33697
योग	**5**	**25869**	**237605**	**391557**	**9796431**	**10941425**	**0**	**3781539**	**3781539**	**0**	**3018519**	**3018519**

जिला/वृत	शेष ऋण			अवधि रहित ऋण	बैंक लाभ में		बैंक हानि में	
	अल्प	मध्य	योग		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. शिमला	0	197125	197125	0	1	7276	0	0
2. सोलन	0	5276727	5276727	347747	2	102318	0	0
3. मण्डी	0	51654	51654	16951	1	1050	0	0
4. चम्बा	0	78273	78273	2672	1	2649	0	0
योग	**0**	**5603779**	**5603779**	**367370**	**5**	**113293**	**0**	**0**

प्राथमिक गैर कृषि ऋण सहकारी सभाऐं

प्रदेश में वर्ष के अन्त में 439 कर्मचारी ऋण सहकारी सभाऐं व अन्य गैर कृषि ऋण सभाऐं कार्यरत थीं। ये सहकारी सभाऐं अपने सदस्यों को उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है तथा सभासदों से अमानतें प्राप्त करके बचत की भावना को प्रेरित करती है। कार्यरत सभाओं की वर्ष 2016–17 की गत वर्ष से तुलनात्मक वित्तीय स्थिति तथा कार्यक्रम से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :–

कर्मचारी ऋण व बचत सभाऐं तथा अन्य गैर कृषि ऋण सभाऐं

राशि लाखों में

विवरण	2015–16	2016–17
1. सभाओं की संख्या	438	439
2. सदस्यता	109929	118454
3. भागधन	2953.92	3488.12
4. सुरक्षित व अन्य कोष	2263.60	2642.79
5. अमानतें	35697.21	45711.38
6. कार्यशील पूंजी	46665.49	59183.67
7. ऋण वितरित वर्ष में	171963.34	22182.55
8. ऋण वसूली वर्ष में	13271.74	16954.50
9. शेष ऋण वर्ष के अन्त में	24276.73	29504.78
10. अतिदेय ऋण वर्ष के अन्त में	2073.50	2371.17
11. लाभ वाली सभाओं की संख्या	315	315
12. लाभ राशि	484.80	513.09
13. हानि वाली सभाओं की संख्या	52	52
14. हानि की राशि	113.78	108.13
15. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	133.56	120.59

वर्ष 2016–17 में कर्मचारी एंव अन्य कृषि ऋण व बचत सहकारी सभाओं का वृत/जिलावार कार्य विवरण

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	सभाओं की संख्या	सदस्यता	भागधन	सुरक्षित व अन्य कोष	अमानतें	कार्यशील पूंजीं	ऋण वितरण.			ऋण वसूली		
							अल्प	मध्य	योग	अल्प	मध्य	योग
1. किन्नौर	2	53	134	270	28	1239	0	0	0	0	291	291
2. शिमला	106	9444	72376	45422	230478	696213	0	238467	238467	0	212410	212410
3. जुब्बल	5	88	236	221	14	2126	0		0	0	172	172
4. सोलन	94	15762	78244	29204	996798	1218947	0	503701	503701	0	275927	275927
5. सिरमौर	38	13041	28823	3987	676791	764061	0	226731	226731	0	171014	171014
6. बिलासपुर	21	2464	5640	6002	68440	104161	0	49580	49580	0	24504	24504
7. मण्डी	23	58354	104638	112976	1726165	1976110	482261	478635	960896	348378	477755	826133
8. कुल्लू	16	1463	1644	913	12117	20414	0	8461	8461	0	4615	4615
9. लाहौल–स्पिति	2	75	124	12	0	183	0	0	0	0	0	0
10. ऊना	24	5489	16058	8750	273416	335012	37223	54807	92030	32779	29513	62292
11. हमीरपुर	30	4138	13716	11720	210752	256327	0	56545	56545	37	48319	48356
12. देहरा	6	373	864	1011	9684	15301	0	5762	5762	0	5242	5242
13. नुरपुर	15	847	1686	725	38815	54392	0	16928	16928	0	10928	10928
14. धर्मशाला	29	4414	14201	39842	318582	438502	0	51097	51097	0	46734	46734
15. पालमपुर	13	1009	2238	546	8161	20877	0	4063	4063	0	2768	2768
16. चम्बा	15	1440	8190	2678	897	14502	0	3995	3995	0	4064	4064
योग	**439**	**118454**	**348812**	**264279**	**4571138**	**5918367**	**519484**	**1698772**	**2218256**	**381194**	**1314256**	**1695450**

वर्ष 2016–17 में कर्मचारी एंवं अन्य कृषि ऋण व बचत सहकारी सभाओं का वृत/जिलावार कार्य विवरण

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	शेष ऋण			अवधि रहित ऋण	सभाएं लाभ में		सभाएं हानि में	
	अल्प	मध्य	योग		संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. किन्नौर	0	313	313	387	1	41	1	1
2. शिमला	0	384515	384515	2870	85	9728	1	16
3. जुब्बल	0	100	100	100	4	43	0	0
4. सोलन	0	777858	777858	31526	60	6130	28	3535
5. सिरमौर	0	428991	428991	81806	28	1716	4	197
6. बिलासपुर	0	61047	61047	10773	13	1075	0	0
7. मण्डी	159761	698079	857840	12044	20	19506	3	451
8. कुल्लू	0	8413	8413	3187	7	161	2	2656
9. लाहौल–स्पिति	0	148	148	40	0	0	0	0
10. ऊना	58639	93482	152121	30830	19	2458	0	0
11. हमीरपुर	110	83381	83491	5742	14	2469	3	107
12. देहरा	0	12126	12126	760	5	471	0	0
13. नुरपुर	0	28601	28601	612	11	1675	4	45
14. धर्मशाला	0	137332	137332	53695	26	5171	2	3147
15. पालमपुर	0	11283	11283	1105	9	216	2	14
16. चम्बा	0	6300	6300	1641	13	449	2	644
योग	**218510**	**2731969**	**2950479**	**237118**	**315**	**51309**	**52**	**10813**

विपणन सहकारी सभाऐं

प्रदेश में विपणन सहकारी सभाओं का तीन स्तरीय ढांचा है। प्रदेश स्तर पर हि. प्र. सहकारी विपणन तथा उपभोक्ता संघ सीमित है जिसका मुख्यालय शिमला में है तथा हिमफैड के नाम से जाना जाता है। जिला स्तर पर जिला सहकारी विपणन व उपभोक्ता संघ तथा विकास खण्ड व तहसील स्तर पर प्राथमिक विपणन सहकारी सभायें कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर विशेष ''विशिष्ट कृषि विपणन सहकारी सभायें विपणन सम्बन्धी कार्य का निष्पादन करके अपने सदस्यों तथा कृषकों को लाभान्वित कर रही हैं। सहकारी सभाओं द्वारा विपणन का मुख्य उद्देश्य उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त यह सभायें कृषकों के उत्पादन को मण्डियों तक निकासी के कार्य तथा कृषि व बागवानी से सम्बन्धित उपकरण, रासायनिक उर्वरक, बीज, कीटनाशक व फफूंद नाशक दवाईयां, अच्छे औजार एवं उपभोक्ता वस्तुओं के थोक व परचून वितरण कार्य में रूचि लेकर प्रदेश के किसानों को लाभ पहुंचा रही हैं। प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गठन से पूर्व नियंत्रित उपभोक्ता वस्तुओं के थोक विक्रेता के रूप में हिमफैड तथा उपथोक विक्रेता के रूप में जिला संघ व तहसील सहकारी संघ कार्य करते थे जिसके लिये सभी उपरोक्त सहकारी संघों के पास पर्याप्त गोदाम भवन, माल भाड़ा वाहन तथा कर्मचारी तैनात थे। इन संस्थाओं ने संसाधन जुटाने के लिये राज्य सरकार तथा बैंक से ऋण प्राप्त किये थे। उपभोक्ता वस्तुओं के थोक एवं उप–थोक विक्रेता का कार्य छिन जाने के बाद अधिकतर संघों के संसाधन बेकार हो गये । बैंक ब्याज तथा कर्मचारी वेतन अदायगी पर अधिक व्यय होने के कारण अधिकतर संघों को विघटन प्रक्रिया में डाल दिया गया है।

मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के अन्त में प्रदेश स्तर पर हिमफैड, जिला स्तर पर 5 जिला संघ, प्राथमिक विपणन संस्थाओं के रूप में विकास खण्ड व तहसील स्तर पर 35 सहकारी सभाएं और प्राथमिक स्तर पर 256 सहकारी सभाऐं कार्यरत थी।

विभिन्न विपणन संस्थाओं के कार्यकलापों का विवरण निम्न प्रकार है :–

हिमफैड

प्रदेश स्तर पर हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ सीमित का गठन 1952 में हुआ था। यह संघ प्रदेश में रासायनिक खाद के वितरण के लिये थोक विक्रेता के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। संघ द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं का क्रय–विक्रय का कार्य भी किया जा रहा है। संघ द्वारा वितरण कार्य के अतिरिक्त कृषि उपज के विपणन व उपज को मण्डियों तक पहुचाने तथा निकासी कार्यक्रम कई वर्षों से क्रियान्वित किया जा रहा है। संघ द्वारा दिल्ली में सेब उत्पादकों को उनकी उपज के विपणन की सुविध पहुंचाने के उद्देश्य से शाखा खोली गई है ताकि उत्पादकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके, मण्डी में प्रतिस्पर्ध बनी रहे एवं बागवानों को आढ़तियों के चंगुल से बचाया जा सके और उनका शोषण न हो। सेब के उत्पादन को विभिन्न मण्डियों तक पहुंचाने के लिये संघ द्वारा परवाणु व दिल्ली ''कुन्डली'' में निकासी शाखायें खोली हैं संघ द्वारा पैट्रोल तथा डीजल का वितरण कार्य भी किया जाता है।

इसके अतिरिक्त यह संस्था टंकण–मशीनें, सीमेंट इत्यादि वस्तुओं के क्रय–विक्रय का कार्य भी करती है। संघ की 31.3.2017 की आर्थिक स्थिति एवं प्रगति सम्बन्धी आंकड़े निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	2015–16	2016–17
सदस्यता	863	863
भागधन	600.71	600.92
सुरक्षित व अन्य कोष	1173.44	1173.44
कार्यशील पूंजी	7228.00	7441.57
बिक्री रसायनिक खाद वर्ष	10458.88	9520.94
बिक्री उपभोक्ता वस्तुएं वर्ष	4104.93	5297.20
(+) लाभ वर्ष (-) हानि वर्ष	–292.22	–112.37

इसके अतिरिक्त संघ कृषि/बागवानी उपजों को मण्डी मध्यस्थता योजना के अर्न्तगत समर्थन मूल्य पर क्रय करने हेतू सरकार द्वारा अधिकृत है।

विपणन सहकारी सभाओं एवं विशिष्ट प्राथमिक विपणन सभाओं की प्रगति का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	2015–16		2016–17	
1. **सभाओं की संख्या**				
जिला सहकारी संघ	5		5	
तहसील विपणन सहकारी सभाएं	32		35	
प्राथमिक विशिष्ट विपणन सहकारी सभाएं	254		256	
योग :	**291**		**296**	
2. सदस्यता	30493		23691	
3. भागधन	1634.12		1553.97	
4. सरकार द्वारा भागधन	1307.33		1201.01	
5. कार्यशील पूंजी	8087.86		8379.11	
6. सुरक्षित व अन्य कोष	101.60		160.02	
7. खाद व कृषि उपकरणों का वितरण	666.94		8127.69	
8. कृषि उपज का विपणन	305.55		0	
9. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	12999.60		173011.19	
10. सभाएं लाभ में राशि सहित	184	184	190	123.70
11. सभाएं हानि में राशि सहित	27	27	31	102.00
12. सभाएं बिना लाभ–हानि	80		75	

वर्ष 2016–17 में जिला सहकारी उपभोक्ता एंव विपणन संघों के कार्यों का विवरण

राशि हजारों में

जिला/वृत	संख्या	सदस्यता	भागधन		सुरक्षित व अन्य कोष	कार्यशील पूंजी	निजी गोदामों की संख्या	क्षमता मि. टन	कृषि उपज का विपणन	रसायनिक खाद बिक्री	अन्य कृषि उपकरण	उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण
			कुल	सरकारी								
1. किन्नौर	1	55	9786	9408	4100	120346	14	1850	0	1325	14586	210094
2. शिमला	1	94	9436	9360	0	30651	2	1000	0	0	0	148771
3. जुब्बल	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4. सोलन	1	148	3574	3500	251	18897	3	400	0	0	0	124330
5. सिरमौर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
6. बिलासपुर	1	95	16212	15809	1448	21974	14	1000	0	0	0	42773
7. मण्डी	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
8. कुल्लू	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
9. लाहौल–स्पिति	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
10. ऊना	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11. हमीरपुर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12. देहरा	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
13. नुरपुर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14. धर्मशाला	1	552	2810	2622	0	8136	3	300	0	0	0	24285
15. पालमपुर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
16. चम्बा	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
योग	**5**	**944**	**41818**	**40699**	**5799**	**200004**	**36**	**4550**	**0**	**1325**	**14586**	**550253**

वर्ष 2016–17 में जिला सहकारी उपभोक्ता एवं विपणन संघों के कार्यों का विवरण

जिला/वृत	जिला सघं लाभ में		जिला संघ हानि में	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. किन्नौर	0	0	1	5124
2. शिमला	1	1224	0	0
3. जुब्बल	0	0	0	0
4. सोलन	1	1380	0	0
5. सिरमौर	0	0	0	0
6. बिलासपुर	1	266	0	0
7. मण्डी	0	0	0	0
8. कुल्लू	0	0	0	0
9. लाहौल–स्पिति	0	0	0	0
10. ऊना	0	0	0	0
11. हमीरपुर	0	0	0	0
12. देहरा	0	0	0	0
13. नुरपुर	0	0	0	0
14. धर्मशाला	1	70	0	0
15. पालमपुर	0	0	0	0
16. चम्बा	0	0	0	0
योग	**4**	**2940**	**1**	**5124**

वर्ष 2016–17 में तहसील सहकारी उपभोक्ता एवं विपणन संघों के कार्यों का विवरण

राशि हजारों में

जिला/वृत	संख्या	सदस्यता	भागधन		सुरक्षित व अन्य कोष	कार्यशील पूंजी	निजी गोदामों की संख्या	क्षमता मि. टन	कृषि उपज का विपणन	रसायनिक खाद बिक्री	अन्य कृषि उपकरण	उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण
			कुल	सरकारी								
1. किन्नौर	1	206	1407	1214	283	12809	2	200	0	646	0	12727
2. शिमला	7	214	9013	8765	1076	32668	18	2250	0	718500	0	16063055
3. जुब्बल	3	68	2746	2591	0	10586	4	250	0	14376	0	19168
4. सोलन	3	305	2076	1869	1485	28262	15	751	0	3025	0	4375
5. सिरमौर	2	34	1460	1423	2	4451	6	850	0	6992	0	4622
6. बिलासपुर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
7. मण्डी	4	220	1555	1237	363	19358	8	2370	0	4720	0	9135
8. कुल्लू	5	537	2391	1806	26	9581	7	600	0	118	0	12287
9. लाहैल–स्पिति	3	110	994	708	228	7813	2	0	0	0	0	0
10. ऊना	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
11. हमीरपुर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
12. देहरा	2	408	1579	1388	346	5413	4	300	0	422	0	7380
13. नुरपुर	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
14. धर्मशाला	1	312	2810	2622	114	5075	1	150	0	0	0	54718
15. पालमपुर	1	847	209	177	35	2563	1	100	0	15	0	2608
16. चम्बा	3	57	379	307	1059	15895	7	466	0	0	0	11235
योग	**35**	**3318**	**26619**	**24107**	**5017**	**154474**	**75**	**8287**	**0**	**748814**	**0**	**16201310**

वर्ष 2016–17 में तहसील सहकारी उपभोक्ता एवं विपणन संघों के कार्यों का विवरण

जिला/वृत	तहसील संघ लाभ में		तहसील संघ हानि में		बिना लाभ हानि के
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1. किन्नौर	0	0	1	345	0
2. शिमला	6	1771	1	10	0
3. जुब्बल	2	334	0	0	1
4. सोलन	3	1553	0	0	0
5. सिरमौर	1	20	1	12	0
6. बिलासपुर	0	0	0	0	0
7. मण्डी	4	315	0	0	0
8. कुल्लू	4	136	1	36	0
9. लाहौल–स्पिति	1	35	1	7	1
10. ऊना	0	0	0	0	0
11. हमीरपुर	0	0	0	0	0
12. देहरा	2	247	0	0	0
13. नुरपुर	0	0	0	0	0
14. धर्मशाला	1	45	0	0	0
15. पालमपुर	1	152	0	0	0
16. चम्बा	2	373	0	0	1
योग	**27**	**4981**	**5**	**410**	**3**

विधायन सहकारी सभाऐं

विधायन सहकारी सभाओं का मुख्य उद्देश्य सदस्य एवं अन्य उत्पादकों के कच्चे माल को क्रय करके उसे अभिसंस्करण द्वारा अंतिम रूप देकर अन्य वस्तुओं में बदल कर उचित मूल्य उपलब्ध करवाने की सेवाऐं प्रदान कर लाभ पहुंचाना है। राज्य स्तर पर दी हि. प्र. फल उत्पादक विपणन एवं विधायन सभा सीमित शिमला जो ''हिमप्रोसैस'' के नाम से जानी जाती है, कार्यरत है। सभा गत दो वर्षों से लाभ अर्जित कर रहा है।

हिमप्रोसैस की आर्थिक स्थिति एवं कार्य सम्बन्धी आंकड़ों का विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	31.3.2016	31.3.2017.
1. सदस्यता	583	579
2. भागधन	167.95	167.98
3. उपरोक्त में से सरकारी भागधन	161.95	161.95
4. सुरक्षित व अन्य कोष	0.12	0.12
5. कार्यशील पूंजी	221.59	212.72
6. (+) लाभ (-) हानि	(+)1.22	(+)2.78
7. कुल हानि	(-)302.91	(-)300.79

प्राथमिक विधायन सहकारी सभाओं के गत् 2 वर्षों के कार्यकलापों तथा प्रगति का विवरण निम्न प्रकार हैः–

राशि लाखों में

विवरण	31.3.2016	31.3.2017
1. सभाओं की संख्या	27	27
2. सदस्य संख्या	2285	2160
3. भागधन	830.17	830.17
4. उपरोक्त में से सरकारी भागधन	791.87	791.87
5. सुरक्षित व अन्य कोष	112.69	112.69
6. कार्यशील पूंजी	706.90	707.60
7. विधायन किए माल की बिक्री	538.42	542.35
8. सभाएं लाभ में	19	17
9. लाभ की राशि	7.67	7.66
10. सभाएं हानि में	2	2
11. हानि की राशि	15.08	15.08
12. लाभ व हानि के बिना सभाओं की संख्या	7	8

दूध आपूर्ति सहकारी सभाऐं

दूध–आपूर्ति सहकारी सभाओं का प्रमुख कार्य सदस्यों तथा गैर सदस्यों दूध उत्पादकों से दूध को एकत्रित करके इसके बेचने की व्यवस्था करना तथा दुधारू पशुओं के पालन हेतु तकनीकी सेवाएं उपलब्ध करना है। प्रदेश में प्रान्तीय स्तर पर हि. प्र. राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ सीमित गठित है। प्रदेश में एक दूध सहकारी संघ, 360 प्राथमिक दूध आपूर्ति सहकारी सभाऐं हैं; जिनमें से 49 सभाऐं निष्क्रिय हैं। प्राथमिक दुग्ध समितियां सदस्यों एवं गैर सदस्यों के दूध उत्पादन को एकत्रित करके प्रान्तीय संघ के माध्यम से विक्रय करती है। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रदेश में 6 अन्य पशु पालन, 3 अन्य पशु उत्पाद तथा 7 मुर्गी पालन सहकारी सभायें पंजीकृत हैं जिनमें 818 सदस्य है तथा मु0 42.08 लाख रुपए की कार्यशील पूंजी लगी है।

हि. प्र. राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ सीमित शिमला

प्रान्तीय संघ का गठन आनन्द पद्धति पर दूध उत्पादकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसका कार्य क्षेत्र पहले केवल 6 जिलों तक ही सीमित था जिसे अब बढ़ा दिया गया है। संघ के अधीन 24 दूध शीतल केन्द्र, जिनकी शीतलता की क्षमता 59000 लीटर प्रतिदिन है तथा दो दूध संयत्र जिनकी विधायन क्षमता 40000 लीटर दैनिक है, कार्य कर रहे है।

प्रदेश में कार्यरत दूध आपूर्ति सहकारी सभाओं तथा दूध उत्पादक सहकारी संघ के प्रगति के आंकड़े निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	दूध सहकारी संघ		प्राथमिक दूध सह. सभाएं	
	2015–16	2016–17	2015–16	2016–17
1. सहकारी सभाओं की संख्या	1	1	352	360
2. उपरोक्त में से निष्क्रिय	–	–	38	49
3. सदस्यता	38970	39810	25826	24504
4. भागधन	708.26	715.26	59.17	55.67
5. उपरोक्त राशि में से सरकारी भागधन	620.16	620.16	8.94	6.96
6. दूध एवं दूध से बने पदार्थों का विक्रय	9126.85	10929.46	2471.14	2722.10
7. क्रय किये गये दूध का मूल्य	8866.11	8223.77	2368.82	2626.80

सहकारी कृषि सभाऐं

सहकारी कृषि सभाऐं अनेक कठिनाइयों के कारण अधिक प्रगति नहीं कर पाई। वर्ष के अन्त में सभाओं का विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	2015–16	2016–17
1. **सभाओं की संख्या**		
संयुक्त कृषि	7	7
सामूहिक कृषि	2	2
योग :	9	9
2. निष्क्रिय सभाऐं	3	3
3. सदस्यता	285	346
4. भागधन	6.65	7.16
5. कार्यशील पूंजी	62.21	66.90

मत्स्य सहकारी सभाऐं

देश की अर्थ व्यवस्था में मत्स्य पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है तथा देश की बड़ी जनसंख्या को पौष्टिक आहार के रूप में उपलब्ध कराने का मुख्य स्रोत है। प्रदेश में मछुआरों की आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक उत्थान के लिए मत्स्य सहकारी सभाऐं सहकारिता क्षेत्र में गठित की गई हैं।

प्रदेश में मत्स्य पालन एवं विपणन सम्बन्धी कार्य का संचालन करने के लिए एक मत्स्य सहकारी संघ सीमित का गठन किया गया है जो विघटनाधीन है।

संघ के अतिरिक्त प्रदेश में 65 प्राथमिक मत्स्य सहकारी सभाएं कार्यरत है। सहकारी सभाओं के माध्यम से मत्स्य विकास में न केवल मछलियों के उत्पादन में वृद्धि हो रही है। अपितु मछुआरों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है।

सभाओं द्वारा गत दो वर्षों के कार्यकलापों के आंकड़ों का विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	प्राथमिक मत्स्य सह0 सभाएं	
	2015–16	2016–17
1. सहकारी सभाओं की संख्या	60	65
2. सदस्यता	7478	8038
3. भागधन	45.44	49.86
4. सरकारी भागधन	11.81	11.81
5. सुरक्षित व अन्य कोष	126.24	127.39

विवरण	प्राथमिक मत्स्य सह0 सभाएं	
	2015–16	2016–17
6. कार्यशील पूंजी	497.95	529.94
7. विक्रय की गई मछलियों का मूल्य	465.97	449.95
7. सभाएं लाभ में	31	30
8. लाभ की राशि	14.37	15.05
9. सभाऐं हानि में	22	26
10. हानि की राशि	10.55	11.65

बुनकर सहकारी सभाऐं

विभाग द्वारा राज्य योजना तथा केन्द्रीय कार्यक्रमों के अधीन लघु उद्योगों, हथकरघा उद्योग से सम्बन्धित अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्य का निष्पादन प्राथमिक स्तर पर गठित 386 सहकारी सभाओं तथा प्रान्तीय स्तर पर राज्य स्तरीय बुनकर सहकारी संघ जिसका मुख्यालय कुल्लू में है तथा एक राज्य स्तरीय संघ दी हि. प्र. सहकारी ऊन प्रापन व विपणन संघ सीमित जिसका मुख्यालय शिमला में है, के माध्यम से किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत बुनकरों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करना तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उनके जीवन स्तर को उन्नत करने जैसे सहकारिता के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में सहकारी सभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्राथमिक बुनकर सहकारी सभाओं को आवश्यक तकनीकी जानकारी एवं विपणन की सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1983–84 के दौरान बुनकर सह. संघ का पंजीकरण किया गया।

1988–89 के दौरान भेड़ पालकों की चिरकाल से आ रही मांग पर ऊन उत्पादन को बढ़ावा देने, ऊन को क्रय करने, इसकी विपणन एवं विधयन की व्यवस्था करने की दृष्टि से प्रान्तीय स्तर पर ऊन सहकारी संघ का गठन किया गया।

दोनों राज्य स्तरीय सहकारी संघ प्राथमिक सहकारी सभाओं के सहयोग से प्रदेश के बुनकरों एवं ऊन उत्पादकों को उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

प्रदेश में बुनकर सहकारी संघ एवं ऊन प्रापण सहकारी संघ के रूप में दो प्रान्तीय इकाईयों के अतिरिक्त 387 प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियां कार्यरत है जिनके कार्यकलाप एवं वित्तीय स्थिति वर्ष 2016–17 का विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	शिखरीय बुनकर संघ	शिखरीय ऊन संघ	प्राथमिक बुनकर सभायें
1. सभाओं की संख्या	1	1	387
2. सदस्यता	317	25	16012

विवरण	शिखरीय बुनकर संघ	शिखरीय ऊन संघ	प्राथमिक बुनकर सभायें
3. भागधन	69.20	4.20	937.96
4. राज्य सरकार का भागधन	63.54	1.37	283.74
5. सुरक्षित व अन्य कोष	178.27	562.09	1385.10
6. अमानतें	—	—	280.51
7. कार्यशील पूंजी	504.83	1440.71	6121.72
8. निर्मित कपड़े का मूल्य	0	0	1289.39
9. वर्ष के दौरान बिक्री	0	0	1881.14
10. खड्डियों की कुल संख्या	14	—	5033
11. लाभ में सभाऐं	—	1	267
12. लाभ की राशि	—	44.94	5339
13. हानि में सभाऐं	1	—	37
14. हानि की राशि	21.10	—	15.45
15. सभाएं बिना लाभ हानि के	—	—	83

अन्य औद्योगिक सहकारी सभायें

ग्रामीण क्षेत्राों के दस्तकारों विशेष रूप से कमजोर वर्ग के दस्तकारों की आर्थिक स्थिति तथा समाजिक विकास के लिये विभिन्न प्रकार की औद्योगिक सहकारी सभाओं का गठन किया जा रहा है जो इन दस्तकारों की सामाजिक स्थिति एवं आर्थिक स्तर को समानता के आधर पर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश की आबादी का मुख्य भाग कृषि पर निर्भर है, परन्तु कृषि से समस्त किसानों को पूर्ण समय का रोजगार प्रदान नहीं हो पाता और न ही निर्वाह योग्य आय प्राप्त होती है। अतः कृषि के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन से ग्रामीण आबादी में सामाजिक व आर्थिक विकास हुआ है। प्रदेश में दिनांक 31.3.2017 को 119 औद्योगिक सहकारी सभाएं पंजीकृत थीं। कार्यरत औद्योगिक सहकारी सभाओं की वर्ष 2016–17 की गत् वर्ष से तुलनात्मक वित्तीय स्थिति तथा कारोबार से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	औद्योगिक सहकारी सभाऐं	
	2015–16	2016–17
1. सभाओं की संख्या	125	119
2. सदस्यता	12898	10708
3. भागधन	246.40	174.97
4. राज्य सरकार का भागधन	31.16	30.25

विवरण	औद्योगिक सहकारी सभाऐं	
	2015–16	2016–17
5. कार्यशील पूंजी	1838.67	1741.25
6. सुरक्षित व अन्य कोष	471.46	304.56
7. अमानतें	287.10	195.84
8. कुल बिक्री	313.40	265.64
9. सभाएं लाभ में	59	53
10. लाभ की राशि	93.88	131.66
11. सभायें हानि में	18	19
12. हानि की राशि	3.91	11.48

वर्ष 2016–17 में औद्योगिक सहकारी सभाओं का वृत/जिलावार विवरण

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	सभाओं की संख्या	सदस्यता	भागधन		कार्यशील पूंजी	सुरक्षित एंव अन्य कोष	अमानतें	देय राशि	बिक्री	सभाएं लाभ में		सभाएं हानि में	
			कुल	सरकारी						संख्या	राशि	संख्या	राशि
1. किन्नौर	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2. शिमला	7	105	161	20	1041	0	7	0	0	1	1	0	0
3. जुब्बल	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. सोलन	19	680	3694	891	45424	11301	7485	2696	985	8	5945	8	195
5. सिरमौर	1	32	42	30	46	0	0	0	0	0	0	0	0
6. बिलासपुर	9	636	447	20	975	180	109	91	0	6	34	0	0
7. मण्डी	16	5185	6551	1040	12235	6603	194	1484	0	3	14	4	847
8. कुल्लू	11	271	1491	390	4848	264	682	774	34	5	53	1	30
9. लाहौल–स्पिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. ऊना	7	1499	951	0	18358	1310	4632	4182	5922	6	811	0	0
11. हमीरपुर	7	116	48	6	357	82	218	127	0	0	0	1	23
12. देहरा	11	615	509	47	5731	411	3271	751	0	3	9	2	2
13. नुरपुर	8	183	1605	40	33044	4327	2625	1320	17808	8	3646	0	0
14. धर्मशाला	12	732	1146	296	44259	4799	81	0	0	6	2529	1	1
15. पालमपुर	7	509	231	31	6244	712	20	1550	1815	4	14	1	4
16. चम्बा	4	145	621	214	1563	467	260	0	0	3	110	1	46
योग	**119**	**10708**	**17497**	**3025**	**174125**	**30456**	**19584**	**12975**	**26564**	**53**	**13166**	**19**	**1148**

उपभोक्ता सहकारी सभाऐं

उपभोक्ता वस्तुओं को आम जनता एवं सदस्यों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी सभाओं के अतिरिक्त प्रदेश में उपभोक्ता भण्डारों का गठन किया गया है। इन भण्डारों के माध्यम से मुख्यतः प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आवश्यक उपभोक्ता सामग्री के परचून वितरक के रूप में नियुक्त किया जाता है जो कुशलतापूर्वक अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, परन्तु इन परचून वितरकों को बहुत कम कमीशन सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, जिसका प्रभाव इनकी वित्तीय स्थिति पर पड़ रहा है। परचून वितरकों को व्यय एवं कार्यान्वयन में विभिन्न विषमताओं को दृष्टिगत रखते हुए कमीशन अधिक होनी चाहिए थी।

प्रदेश में 31. 3. 2017 को 373 प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार गठित हैं, जिनके कार्य एवं वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

राशि लाखों में

विवरण	2015–16	2016–17
1. भण्डारों की संख्या	383	373
2. सदस्यता	55402	49460
3. भागधन	313.62	311.49
4. सरकारी भागधन	137.80	128.40
5. अमानतें	96.66	100.97
6. सुरक्षित व अन्य कोष	319.35	372.03
7. कार्यशील पूंजी	1567.64	1831.60
8. कुल बिक्री	9910.39	5290.17
9. लाभ में भण्डारों की संख्या	285	315
10. लाभ की राशि	44.96	149.07
11. हानि में भण्डारों की संख्या	38	22
12. हानि की राशि	5.89	690
13. बिना लाभ हानि के चल रही सभाओं की संख्या	60	36

वर्ष 2016–17 में प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के वृत/जिलावार कार्य का विवरण

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	सभाओं की संख्या	सदस्यता	कार्यशील पूंजी	भागधन	सुरक्षित एंव अन्य कोष	अमानतें	देय राशि	शेष स्टाक	क्रय सामग्री की राशि	कुल विक्रय की राशि
1. किन्नौर	11	1982	8706	2003	4115	313	771	882	12620	16580
2. शिमला	56	8386	68357	3356	7079	854	4394	1974	79532	85045
3. जुब्बल	34	2740	4877	1442	59	175	713	95	25965	26703
4. सोलन	11	1816	8950	2368	2048	96	0	636	40275	42985
5. सिरमौर	20	1632	3579	615	901	22	598	574	35466	36606
6. बिलासपुर	22	5444	9501	1708	952	362	194	476	32748	34954
7. मण्डी	85	15279	28400	4835	3554	5764	1289	1511	155681	146860
8. कुल्लू	34	1608	11349	6353	1861	280	1066	5340	25149	27403
9. लाहौल–स्पिति	15	2477	18690	4216	11603	436	740	3223	7491	7658
10. ऊना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. हमीरपुर	8	839	1193	255	74	286	10	4	7064	8855
12. देहरा	8	1719	2685	612	638	438	674	238	11179	12219
13. नुरपुर	27	1456	7290	718	1987	567	0	0	31033	33078
14. धर्मशाला	4	780	1768	169	495	347	0	42	7599	8170
15. पालमपुर	6	994	1114	351	86	9	24	133	4571	5010
16. चम्बा	32	2308	6701	2148	1751	148	1105	1055	39979	36891
योग	**373**	**49460**	**183160**	**31149**	**37203**	**10097**	**11578**	**16183**	**516352**	**529017**

वर्ष 2016–17 में प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डारों के वृत/जिलावार कार्य का विवरण

(राशि हजारों में)

जिला/वृत	कुल में से नियन्त्रित वस्तुएं	उपभोक्ता भण्डार लाभ में		उपभोक्ता भण्डार हानि में		उपभोक्ता भण्डार बिना लाभ–हानि के
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	
1. किन्नौर	12294	7	408	4	184	0
2. शिमला	47221	51	6727	0	0	5
3. जुब्बल	10815	24	242	1	5	9
4. सोलन	17509	11	364	0	0	0
5. सिरमौर	35980	14	159	2	17	4
6. बिलासपुर	14721	19	456	0	0	3
7. मण्डी	98741	78	2739	0	0	7
8. कुल्लू	18461	32	206	2	43	0
9. लाहौल–स्पिति	7658	7	132	8	251	0
10. ऊना	0	0	0	0	0	0
11. हमीरपुर	8855	8	96	0	0	0
12. देहरा	11979	5	217	2	55	1
13. नुरपुर	31396	24	2191	0	0	3
14. धर्मशाला	7915	3	131	0	0	1
15. पालमपुर	1494	5	87	1	13	0
16. चम्बा	29874	27	752	2	122	3
योग	**354913**	**315**	**14907**	**22**	**690**	**36**

गृह निर्माण सहकारी सभाऐं

प्रदेश के विभिन्न क्षेत्राों में सामुहिक रूप से भवन निर्माण हेतु सहकारी सभाओं का गठन किया गया है। कमजोर एवं निर्धन वर्ग के लोगों को गृह निर्माण से सम्बन्धित वस्तुएं पहुंचाने के लिये यह सहकारी सभाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं व सुविधओं को जुटाने में उत्तम एवं सरल वितीय साधन जुटाने में सफल भी रही है। सरकार की आवास नीति को शहरों व नगरों में लागू करने में यह सहकारी सभाऐं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी, परन्तु हिमाचल प्रदेश किरायेदारी एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 118 इनके विकास में एक अवरोधक के रूप में खड़ी है।

प्रदेश में प्रान्तीय स्तर पर एक आवास संघ तथा 91 प्राथमिक गृह निर्माण सहकारी सभाऐं कार्यरत हैं।

हिमाचल प्रदेश सहकारी आवास संघ सीमित शिमला

राज्य आवास संघ का पंजीयन 17.8.1985 को प्राथमिक आवास सहकारी सभाओं के माध्यम से उनके सदस्यों को गृह निर्माण सम्बन्धी सुविधाओं को जुटाने के उद्देश्य से किया गया। संघ का मुख्यालय शिमला में स्थित है। गठन के समय संघ की सदस्यता केवल 17 थी जो बढ़ कर अब 337 हो गई है। संघ का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक आवास सहकारी सभाओं के माध्यम से उनके सदस्यों को गृह निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वित्त का प्रावधान करना है। संघ ने वर्ष 1997 से गोल्डन जुबली योजना शुरू की है। इस योजना के तहत संघ व्यक्तिगत सदस्यों को उन्हें द्वितीय श्रेणी की सदस्यता प्रदान करके गृह निर्माण के लिये ऋण उपलब्ध करवा रही है और सरकारी कर्मचारियों को यह सेवा ग्रामीण स्तर पर भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

संघ ने वर्ष 1987 के अन्त में कार्य करना आरम्भ किया, संघ ने स्थानीय वित्तीय संस्थाओं व सहकारी बैंकों से भी अमानतों के रूप में धन राशि जुटाई है। संघ द्वारा वितीय वर्ष 2016–17 में मु0 84.10 लाख रू0 ऋण के रूप में अपने सदस्यों को वितरित किये गये हैं।

प्रदेश में आवास सहकारी सभाओं के सदस्यों को स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क से छूट नहीं दी गई है जिससे संघ का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। संघ के द्वारा इस सम्बन्ध में सरकार से निवेदन किया गया है कि संघ से लिये जाने वाले ऋण को स्टाम्प डयूटी व पंजीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जाये।

राज्य में कार्यरत गृह निर्माण सहकारी सभाओं की वर्ष के अन्त में वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

विवरण	प्रान्तीय संघ	प्राथमिक सहकारी सभाऐं
1. सभाओं की संख्या	1	91
2. सदस्यता	275	4741

3. भागधन	93.17	300.85
4. गृह निर्माण हेतु दिये गये ऋण की राशि	84.10	13.48
6. कार्यशील पूंजी	1492.72	5801.56

श्रम व निर्माण सहकारी सभाऐं

कमजोर वर्ग को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त हों इसी उद्देश्य की पूर्ति से श्रम व निर्माण सहकारी सभाओं के गठन को महत्व दिया गया है। लोक निर्माण विभाग व अन्य संस्थान कुछ सीमा तक टेंडर आमन्त्रित किये बिना निर्माण कार्य ऐसी संस्थाओं को आबंटित करते थे परन्तु विभागीय टेंडर प्रØिया में मिली छूट के समाप्त होने के पश्चात इन सहकारी सभाओं का भविष्य भी अब उज्जवल प्रतीत नहीं हो रहा है।

ऐसी समितियों की 31.3.2017 को वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

विवरण	31.3.2016	31.3.2017
1. सभाओं की संख्या	106	103
2. सदस्यता	1076	1226
3. भागधन	66.51	59.18
4. कार्यशील पूंजी	881.75	785.71
5. सभाएं लाभ में	32	37
6. लाभ की राशि	15.13	31.73
7. सभाएं हानि में	17	7
8. हानि की राशि	5.53	22.84

परिवहन सहकारी सभाऐं

परिवहन के क्षेत्र में यातायात तथा माल के ढुलाने में व्यवसायिक संस्थानों व निजी वाहनों से प्रतिस्पर्धा कर श्रेष्ठ सेवायें उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से तथा रोजगार के आयाम को बढ़ाने की दृष्टि से सहकारिता क्षेत्र में परिवहन सहकारी सभाओं के गठन को महत्व दिया गया है।

वर्ष के अन्त में ऐसी सहकारी सभाओं के कार्यकलाप तथा वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

विवरण	31.3.2016	31.3.2017
1. सभाओं की संख्या	116	116
2. सदस्यता	17092	17403
3. भागधन	1587.80	1160.04
4. कार्यशील पूंजी	16312.92	15509.47
5. सभाएं लाभ में	64	68
6. लाभ की राशि	193.30	121.03
7. सभाएं हानि में	52	48
8. हानि की राशि	43.26	103.29
9. सभाएं बिना लाभ हानि के	–	–

अन्य गैर साख सहकारी सभाऐं

प्रदेश में विभिन्न प्रकार की 320 गैर साख सहकारी सभाऐं कार्यरत हैं जिनमें भूमि संरक्षण, सिंचाई महिला बचत, सत्कार व अन्य गैर साख समितियां शामिल हैं। उक्त कार्यरत सभाओं के कारोबार का तुलनात्मक विवरण निम्न अनुसार है :–

(राशि लाखों में)

विवरण	31.3.2016	31.3.2017
1. सभाओं की संख्या	339	322
2. सदस्यता	28629	26703
3. भागधन	694.38	921.97
4. सरकार का भागधन	10.16	7.00
5. कार्यशील पूंजी	3507.25	3934.90
6. **सभाऐं लाभ में**		
संख्या	189	174
राशि	35.13	91.76
7. **सभाऐं हानि में**		
संख्या	150	126
राशि	112.46	41.29

अध्याय – 4

विघटनाधीन सहकारी संभाऐं

हिमाचल प्रदेश सहकारी अधिनियम 1968 की धारा 78 के अधीन पंजीयक सहकारी सभाएं हि०प्र० को अधिकार है कि वे किसी भी सहकारी सभा को, जो सहकारी अधिनियम/नियम/उपविधियों के अनुसार कार्य नहीं कर रही है अथवा उसने पंजीकरण के उपरान्त कार्य आरम्भ नहीं किया है या कार्य करना बन्द कर दिया है, को विघटन में डालने के आदेश जारी करें। इस कार्य के निष्पादनार्थ विभागीय अधिकारियो व कर्मचारियों को विघटक के रूप में नियुक्त किया जाता है जिसके प्रतिवेदन के पश्चात सम्बन्धित सभा को अन्तिम रूप से समाप्त करने अथवा उसे पुनजीर्वित करने हेतु निर्णय लिया जाता है।

वर्ष 2016–17 के अन्त में विघटनाधीन सहकारी सभाओं का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष के प्रारम्भ में विघटनाधीन सभाओं की संख्या	179
वर्ष के दौरान विघटन में डाली गई सभाओं की संख्या	90
वर्ष के दौरान पुनर्जीवित सभाओं की संख्या	15
वर्ष के दौरान अन्तिम रूप से समाप्त की गई सभाओं की संख्या	63
वर्ष के अन्त में विघटनाधीन सभाओ की संख्या	191

2016–17 के अन्त में विघटनाधीन सहकारी सभाओं का विवरण निम्न प्रकार से है :–

प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी सभाएं	32
प्राथमिक गैर कृषि ऋण सहकारी सभाएं	11
विपणन सहकारी सभाऐं	32
अभिसंस्करण सहकारी सभाऐं	9
मछली पालन सहकारी सभाऐं	1
दुग्ध व अन्य पशुधन सहकारी सभाऐं	14
बुनकर सहकारी सभाऐं	15
औद्योगिक सहकारी सभाऐं	12
गृह निर्माण सहकारी सभाऐं	8
उपभोक्ता सहकारी भण्डार	13
श्रम एवं निर्माण सहकारी सभाऐं	3
कृषि खेती सहकारी सभाऐं	2
अन्य गैर ऋण सहकारी सभाऐं	39
योग :	191

अध्याय – 5

सालसी विवाद–अजराय–गबन

सालसी विवाद

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाऐं अधिनियम 1968 की धारा 72 के प्रावधनों के अनुसार सहकारी सभाओं के विधान व कारोबार से सम्बन्धित कोई भी विवाद निपटाने हेतु पंजीयक सहकारी सभाएं हि०प्र० को प्रस्तुत किया जा सकता है। पंजीयक सहकारी सभाएं हि०प्र० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अर्न्तगत विवाद के निपटारे के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारियों को हस्तांतरित करते है जो विवादों की सुनवाई व निपटारा करने के लिए सालस नियुक्त करते हैं व सुनाई के पश्चात विवादों का निपटारा करते हैं। वर्ष के अन्त में सालसी विवादों का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में)

विवरण	31.3.2017	
	संख्या	राशि
1. वर्ष के आरम्भ में निर्णय हेतु शेष सालसी विवाद	548	4033.93
2. वर्ष 2015–16 के दौरान प्रस्तुत नए सालसी विवाद	424	1012.85
3. वर्ष के दौरान निर्णित मामले	675	1789.43
4. वर्ष के अन्त में शेष विवाद	297	3257.35

अजराये

पंजीयक सहकारी सभाएं हि०प्र० तथा उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सालसी विवादों के निर्णय को अजराय के लिए हि०प्र० सहकारी सभाऐं अधिनियम 1968 की धारा 87 के प्रावधानों के अधीन प्रस्तुत किया जाता है। 31.3.2017 को अजराये सम्बन्धित मामलों का विवरण निम्न प्रकार से है:–

(राशि लाखों में)

विवरण	31.3.2017	
	संख्या	राशि
1. वर्ष के प्रारम्भ में विभिन्न न्यायालय में अजराये हेतु लम्बित मामले	3531	5183.59
2. वर्ष के दौरान अजराये हेतु प्रस्तुत मामले	125	172.10
3. वर्ष के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत मामलों का निपटारा	520	428.98
4. वर्ष के अन्त में विभिन्न न्यायालय में अजराय हेतु लम्बित मामले	3136	4926.76

गबन व दुरूपयोग

(राशि लाखों में)

विवरण	31.3.2017	
	संख्या	राशि
1. वर्ष के प्रारम्भ में मामले	95	1043.79
2. वर्ष के दौरान मामले	—	—
3. वर्ष के दौरान मामलों का निपटारा	6	33.08
4. वर्ष के अन्त में शेष मामले	89	1010.71

अध्याय – 6

अंकेक्षण

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाऐं अधिनियम 1968 की धारा 61 के अधीन प्रदेश में प्रत्येक सहकारी सभा का अंकेक्षण करना पंजीयक सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश का वैधानिक उत्तरदायित्व है, जिसके अनुरूप प्रत्येक सहकारी सभा का वितीय वर्ष में अंकेक्षण किया जाना आवश्यक है। राज्य में सहकारी सभाओं के अंकेक्षण कार्य की पूर्ति के लिए निम्न प्रकार प्रशासनिक ढांचा कार्यरत है।

निदेशालय स्तर पर पंजीयक सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश के अधीन संयुक्त पंजीयक, अंकेक्षण सहकारी सभाएं, उप पंजीयक, 'अंकेक्षण' सहकारी सभाएं व सहायक पंजीयक (अं) सहकारी सभाएं तथा जिला अंकेक्षण अधिकारी व निरीक्षक, 'अंकेक्षण' सहकारी सभाएं अंकेक्षण से सम्बन्धित कार्य की देख–रेख करते हैं। वर्तमान में अंकेक्षण का कार्य संयुक्त पंजीयक(साखं) द्वारा देखा जा रहा है। निदेशालय स्तर पर नियुक्त अंकेक्षकों द्वारा प्रान्तीय स्तर की संस्थाओं के अंकेक्षण किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उन संस्थाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन जिसमें भागधन के रूप में सरकार द्वारा राशि विनियोजित की गई है, जिला/वृतों से निदेशालय में प्राप्त होते हैं जिन पर जांच के पश्चात टिप्पणियां करके अनुपालना हेतु सम्बन्धित सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं के माध्यम से सभाओं को अनुपालना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित किया जाता है। इस प्रक्रिया की देख–रेख निदेशालय स्तर पर की जाती है।

जिला व वृत स्तर पर सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं के अधीन जिला अंकेक्षण अधिकारी तथा निरीक्षक अंकेक्षण, सहकारी सभाओं व सेवानिवृत विभाग के निरीक्षकों व चार्टर्ड अकाउटैंट तथा प्रमाणित अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण के कार्य की पूर्ति की जा रही है। इसमें सभाओं के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर टिप्पणियां व जांच एवं अनुपालना प्रतिवेदन प्राप्ति जैसी प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। सहकारी अंकेक्षण द्वारा केवल सभाओं के हिसाब की ही जांच नहीं की जाती अपितु कार्यकलापों में सुधार हेतु सुझाव, सभा के कार्यान्वयन में कर्मचारी एवं प्रबन्धकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया, वैधानिक कार्य व्यवस्था इत्यादि अनेक पहलुओं पर भी सभाओं के हित को दृष्टिगत रखते हुए टिप्पणियां की जाती है।

सहकारी अंकेक्षण का उद्देश्य सभा के हिसाब की पूर्ण रूप से जांच व छानबीन करना, कारोबार सम्बन्धी लेन–देन के हिसाब का परीक्षण कर सभा की वास्तविक आर्थिक स्थिति प्रकट करने वाले अन्तिम लेखों का प्रमाणन करना है। सभा के धन का दुरूपयोग व गबन रोकने में अंकेक्षण सहायक है। सरकार द्वारा सहकारी सभाओं में विनियोजित राशि के दृष्टिगत सभा की वित्तीय स्थिति का सही मूल्यांकन व प्रबन्धकों द्वारा सभा के प्रति अपने उद्देश्य की पालना का विवरण अंकेक्षकों द्वारा संक्षिप्त रूप से अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाता है। वर्तमान में स्टाफ की कमी की वजह से अंकेक्षण का कार्य, समय पर पूर्ण करने में कठिनाई आ रही है जिस कारण बैंक

शाखाओं व बकाया अंकेक्षण का कार्य, चार्टर्ड अकाउंटैंट व सेवा निवृत विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों व प्रमाणित अंकेक्षकों से लिया जा रहा है।

31.3.2017 को समाप्त हुये वर्ष के अन्तर्गत सहकारी सभाओं के अंकेक्षण की स्थिति निम्न प्रकार से है:–

विवरण	2015–16	2016–17
1. वर्ष के दौरान अंकेक्षित की जाने वाली सभाओं की संख्या	5013	5118
2. वर्ष के अन्तर्गत सभाओं का अंकेक्षण किया गया है	4247	4366
3. वर्ष के अन्त में अंकेक्षण हेतु शेष सभाएं	766	752

अंकेक्षण शुल्क

राज्य में सहकारी सभाओं से वर्ष 2016–17 में अंकेक्षण शुल्क की वसूली का विवरण निम्न प्रकार से है :–

(राशि हजारों में)

विवरण	2015–16	2016–17
1. वर्ष के प्रारम्भ में अंकेक्षण शुल्क की वसूली योग्य शेष राशि	––	255511
2. वर्ष में निर्धारित अंकेक्षण शुल्क	8283166	8728721
3. कुल राशि वसूली योग्य वर्ष के दौरान	8283166	8984232
4. वर्ष के दौरान अंकेक्षण शुल्क की जो राशि वसूल की गई	8045042	8853666
5. शेष राशि वसूली योग्य वर्ष के अन्त में	255511	130566
6. वर्ष में अंकेक्षण शुल्क राशि वसूली जो अधिक हुई	17387	12831

अध्याय – 7

भण्डारण

राज्य में कार्यरत सहकारी संस्थाओं को कृषि उत्पादन, कृषि उपकरण, रसायनिक उर्वरक तथा उपभोक्ता वस्तुओं के भण्डारण हेतु गोदाम भवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये विभिन्न वितीय संस्थाओं के माध्यम से वितीय सहायता प्रदान किये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्य में चरणबद्ध तरीके से चलाई जा रही एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के माध्यम से भी गोदाम निमार्ण हेतू वितीय सहायता ऋण व अनुदान के रूप में सभी प्रकार की सहकारी सभाओं को प्रदान की जा रही है।

सहकारिता के क्षेत्र में वर्तमान में गोदामों का एक मजबूत आधारभूत ढांचा उपलब्ध है जो कि ग्रामीण स्तर तक फैला हुआ है इस समय प्रदेश में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी सभाओं के गोदामों की संख्या व भण्डारण क्षमता का नवीनतम् विवरण निम्न प्रकार से हैः–

सभाओं की किस्म	अपने गोदाम वाली सभाएं	गोदाम क्षमता		किराये पर लेने वाली सभाओं की संख्या	गोदाम क्षमता	
		संख्या	मि. टन		संख्या	मि. टन
1. हिमफैड	1	89	49450	1	29	4140
2. विपणन समितियां	61	170	33050	51	109	5300
3. विधायन सभाएं	11	15	2540	19	19	650
4. उपभोक्ता सभाएं	41	48	5715	151	153	5200
5. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	1762	1966	167651	429	432	1250
6. बुनकर	37	52	4450	84	85	2675
7. अन्य सभाएं	77	145	17600	87	88	4950
योग :	**1990**	**2485**	**280456**	**822**	**915**	**24165**

अध्याय – 8

जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन

हिमाचल प्रदेश में जिला किन्नौर, लाहौल–स्पिति तथा जिला चम्बा के पांगी तथा भरमौर उप–मण्डल जनजातीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इन क्षेत्रों में सहकारी आन्दोलन प्रगति की ओर अग्रसर है। जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत सहकारी सभाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये विशेष घटक योजना के अधीन विभिन्न उद्देश्य के लिये प्रति वर्ष पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकलाप का 2016–17 के अन्त में विवरण निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

विवरण	जनजातीय क्षेत्रों के नाम व प्रगति के आंकड़े		
	पांगी भरमौर जिला चम्बा	जिला लाहौल–स्पिति	जिला किन्नौर
1. सहकारी सभाओं की संख्या	51	128	82
2. उपरोक्त में से प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	20	52	35
3. सदस्य संख्या	13755	16912	18582
4. **भागधन**			
1. कुल	114.15	1043.68	346.21
2. सरकार	33.00	540.79	247.06
3. व्यक्तिगत	81.15	502.89	99.15
5. अमानतें	22.29	16.24	152.95
6. कार्यशील पूंजी	150.31	3230.16	2908.56
7. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	652.00	2396.15	3412.49
8. उचित मूल्य की दुकानों की संख्या	52	61	57
9. वर्ष के दौरान रसायनिक खाद का वितरण	89.72	208.81	63.77
10. **वर्ष के दौरान ऋण वितरण**			
अल्प कालीन ऋण	–	–	132.07
मध्य कालीन ऋण	3.20	–	–
योग :	**3.20**	–	**132.07**

विवरण	जनजातीय क्षेत्रों के नाम व प्रगति के आंकड़े		
	पांगी भरमौर जिला चम्बा	जिला लाहौल–स्पिति	जिला किन्नौर
11. **वसूली वर्ष में**			
अल्प कालीन ऋण	–	–	106.29
मध्य कालीन ऋण	1.40	2.04	3.25
योग :	**1.40**	**2.04**	**109.54**
12. शेष वर्ष के अन्त में			
अल्प कालीन ऋण	–	–	160.72
मध्य कालीन ऋण	2.10	18.65	7.46
योग :	**2.10**	**18.65**	**168.18**
13. कालातीत ऋण			
अल्प कालीन ऋण	–	–	159.27
मध्य कालीन ऋण	.90	11.99	9.65
योग :	**.90**	**11.99**	**168.92**
14. सभाओं का कुल लाभ	40.15	5.00	131.70
15. सभाओं की हानि	25.45	323.43	54.59

अध्याय–9

विशेष योजनाएं

हिमाचल प्रदेश में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

प्रदेश में कार्यरत सहकारी सभाओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों में वर्ष 1986–87 से एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (N.C.D.C.) द्वारा प्रायोजित इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन सम्बन्धित सहकारी बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य सहकारी सभाओं द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, विपणन, विधायन तथा बैंकिंग आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु गोदाम, दुकान निर्माण आदि के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने तथा कार्यशील पूंजी आदि के रूप में आवश्यकतानुसार उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त सहकारी सभाओं की प्रबन्धक समितियों, कर्मचारियों व सदस्यों में उनके कर्त्तव्यों व दायित्वों के बारे में जागरूकता लाने हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना भी इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है।

प्रदेश के सभी जिलों में प्रथम चरण में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना का सफल कार्यान्वयन किया जा चुका है। उक्त परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नई दिल्ली द्वारा द्वितीय चरण की एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गई और वर्ष 2010–11 से प्रदेश के विभिन्न जिलों में द्वितीय चरण पुनः प्रारम्भ किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है। परियोजना के अधीन प्रदेश में अब तक जिलावार स्वीकृत लागत राशी का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि लाखों में..)

क्रमांक	जिला	वर्ष स्वीकृत	स्वीकृत राशी	परियोजना के समापन की तिथि	विवरण
1	बिलासपुर	2010–11	1119.28	24.11.15	परियोजना समाप्त
2	सिरमौर	2010–11	964.25	30.09.15	परियोजना समाप्त
3	हमीरपुर	2010–11	1463.18	31.07.15	परियोजना समाप्त
4	कांगड़ा	2014–15	3961.40	–	–
5	शिमला	2014–15	2019.90	–	–
6	कुल्लु	2014–15	2189.34	–	–

प्रदेश के उपरोक्त तीन जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतू वर्ष 2016–17 के मध्य व द्वितीय वर्ष के लिए आबंटित राशी कुल मु0 5656.42 लाख रूपये ऋण व मु0 1581.82 लाख अनुदान सम्बन्धित परियोजना संचालन अभिकरणों/परियोजना संचालन दल को जारी की जा चुकी है।

हिमबुनकर द्वारा वित्तिय वर्ष 2016–17 में की गई गतिविधियों सम्बन्धी नोट

हिमबुनकर :–

दी हि०प्र० राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास सहकारी संघ सीमित हि०प्र० की शीर्ष सहकारी संस्था है जिसका मुख्यालय भून्तर जिला कुल्लू में स्थित है। यह संघ हि०प्र० सहकारी अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत संख्या 5/84 दिनांक 20.01.1984 के अन्तर्गत पंजीकृत है व प्रदेश के भीतर व बाहर हिमबुनकर के नाम से प्रसिद्ध है।

1. **उद्देश्य–** हथकरघा सम्बन्धी उपकरणों, धागा व कच्चे माल का क्रय व भण्डारण, उत्पादित व सदस्य सभाओं से प्राप्त हथकरघा उत्पादों की रंगाई, फिनिशिंग करना बिक्री हेतु डिपो इत्यादि का प्रबन्ध करना, उत्पादों का उत्पादन, विपणन करना व प्रर्दशनियाँ इत्यादि आयोजित करना व इसके अतिरिक्त हथकरघा के क्षेत्र में सहकारी सभाओं का विकास करना तथा संघ के व्यापार हेतू वित्तीय निधि प्राप्त करके अपने सदस्यों सहकारी सभाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना संघ के मुख्य उद्देश्य हैं।

2. सदस्यता व भागधन – वर्तमान में संघ की कुल सदस्यता 313 है। संघ की अधिकृत पूंजी मु० 1.50 करोड़ रूपए है। इसका प्रदत्त भागधन मु० 68.90 लाख रू0 है जिसमें से हिमाचल प्रदेश सरकार का भागधन अंशदान मु० 63.54 लाख रूपए है जबकि सदस्य सभाओं का भागधन मु० 5.36 लाख है।

3. लाभ – वर्ष 2016–17 में संघ ने मु० 6.24 लाख रूपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया है।

4. स्टॉफ एवं उत्पाद बिक्री– संघ द्वारा किए जा रहे उत्पादन, विपणन एवं बिक्री कार्य में वृद्धि हुई है जिसमें 24 कर्मचारी नियमित रूप से व 1 कर्मचारियों ने अनुबन्ध आधार पर योगदान किया। संघ में प्रबन्ध निदेशक का पद प्रतिनियुक्ति पर भरा गया है। संघ की वर्ष 2016–17 में उत्पाद बिक्री 2,96,75,000/– रही।

5. उत्पादन योजना – सभा की अपनी उत्पादन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में कुल मु० 3060690/– रूपए के मूल्य का उत्पादन किया गया । इसके अतिरिक्त संघ ने वर्ष के दौरान सदस्य सभाओं से मु० 15.82 लाख रूपए की सीधी खरीद भी की।

परियोजनाएं – हिमबुनकर को विकासायुक्त (हथकरघा) वस्त्र मन्त्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा विकास परियोजना सिराज व इन्नर सिराज के लिए मु० 2 करोड़ 4 लाख 20 हजार स्वीकृत हुआ। जिसे बुनकर सेवा केन्द्र नई दिल्ली के माध्यम से हिमबुनकर की देख रेख में

परियोजना का कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना मण्डी ब्लॉक और बन्जार ब्लॉक में चलाई जा रही है जिसमें 10 बुनाई प्रशिक्षण केन्द्र, 10 डिजायन प्रशिक्षण केन्द्र तथा 10 रंगाई प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाने हैं। इसमें 15 दिनों का डिजायनिंग, 15 दिनों का रंगाई व 45 दिनों का बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस परियोजना द्वारा कुल 600 प्रशिक्षणार्थियों को लाभान्वित किया गया है। जिसके अर्न्तगत संघ द्वारा परियोजना में 14 प्रशिक्षण केन्द्र बन्जार ब्लाक तथा 14 प्रशिक्षण केन्द्र मण्डी ब्लाक में पूर्ण हो चुके हैं।

8. प्रर्दशनियाँ – इस वर्ष भारत सरकार वस्त्र मन्त्रालय से 8 हैण्डीØाट प्रर्दशनियां जोकि आगरा, इलाहबाद, इन्दौर, जोधपुर, उज्जैन, जयपुर, बारमेड व मथुरा भेजी गई है तथा जिला उत्सव प्रर्दशनी हेतु सुन्दरनगर, सुजानपुन व ऊना की प्रर्दशनियां स्वीकृति हेतू भेजी गई है जिनकी स्वीकृति अभी प्राप्त नहीं हुई है।

अध्याय–10

वार्षिक योजना

सहकारी आन्दोलन को सफल बनाने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। सहकारी सभाऐं लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में उन्नति लाने में सफल हों, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार इन सभाओं को समय–समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाती है। सभाओं को उनके कारोबार व गतिविधियों को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही हैः–

1. सहकारी सभाओं में भागीदार अनुदान तथा भागधन के रूप में राशि विनियोजित करके।
2. सहकारी सभाओं को अनेक योजनाओं के लिए ऋण व अनुदान के रूप में सहायता स्वीकृत करना।
3. अमानतों की प्रतिपूर्ति का प्रावधन करना।
4. सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति का प्रावधान।
5. अन्य सुविधाएं।

हिमाचल प्रदेश की 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं मे सहकारी क्षेत्र के लिए मु. 836.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2016–17 के लिए मु० 125.00 लाख रूपये का परिव्यय स्वीकृत था जिसकी तुलना में वर्ष के दौरान मु० 136.50 लाख रू. का वास्तविक व्यय हुआ। वर्ष 2017–18 के लिए परियोजना क्षेत्र मे योजना का आकार मु० 127.00 लाख रुपए निर्धारित है जिसका विवरण निम्न है।

योजना/शीर्ष सहित 2016–17 का वास्तविक परिव्यय 2017–18 का स्वीकृत परिव्यय

(राशि लाखों में)

मुख्य शीर्ष	12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 हेतु स्वीकृत परिव्यय	2016–17 वास्तविक परिव्यय	वार्षिक योजना 2017–18 संभावित व्यय
1. निर्देशन तथा प्रशासन सहकारिताओं का अंकेक्षण	गैर योजना में हस्तान्तरित	–	–
मुख्य निर्माण कार्य	5.00		
2. साख सहकारिताएं	137.00	35.15	41.75
3. विपणन सहकारी भण्डारण	174.00	25.36	27.20
4. विधायन सहकारिताएं	–	–	–
5. उपभोक्ता सहकारिताएं	158.00	67.99	48.55
6. मत्स्य सहकारी समितियां	5.00	–	–
7. औद्योगिक सहकारी समितियां	100.00	8.00	9.50
8. दूध सहकारी समितियां	–	–	–
9. सहकारी प्रशिक्षण व शिक्षा	गैर योजना में हस्तान्तरित	–	–

मुख्य शीर्ष	12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 हेतु स्वीकृत परिव्यय	2016–17 वास्तविक परिव्यय	वार्षिक योजना 2017–18 संभावित व्यय
10. आवास सह. समितियां	–	–	–
11. श्रम व निर्माण	–	–	–
12. कुक्कड़ पालन	–	–	–
13. परिवहन	–	–	–
14. ऊन	–	–	–
15. वन	–	–	–
16. पुष्प खेती हर	–	–	–
17. फल व सब्जी उत्पादक बिक्री परियोजना	–	–	–
18. चाय उत्पादन परियोजना	–	–	–
19. प्रचार	–	–	–
20. पर्यटन सहकारिताएं	–	–	–
21. मुद्रण व लेखन सामग्री	–	–	–
22. सूचना प्रौद्योगिकी	–	–	–.
योग :	**579.00**	**136.50**	**127.00**

जन जातीय उप–योजना और अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना के अधीन 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया प्रावधान क्रमशः मु. 292.00 व 100.00 लाख रू. है जिसका आबंटन शीर्ष के अनुसार निम्न प्रकार हैः–

(राशि लाखों में)

मुख्य शीर्ष	स्वीकृत परिव्यय 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17		वार्षिक योजना 2016–17 वास्तविक व्यय		स्वीकृत योजना 2016–17	
	जनजातीय उप–योजना	अनुजाति घटक योजना	जनजातीय उप–योजना	अनुजाति घटक योजना	जनजातीय उप–योजना	अनुजाति घटक योजना
1. साख सहकारिताएं	45.00	25.00	—	—	21.75	18.00
2. विपणन भण्डार तथा भण्डारण	120.00	–	—	—	27.20	
3. उपभोक्ता सहकारितायें	80.00	50.00	—	—	33.55	16.00
4. मत्स्य सहकारितायें	–	–	–	–	–	–
5. औद्योगिक सहकारितायें	47.00	25.00	–	–	1.50	8.00
6. दूध सहकारितायें	–	–	–	–	–	–
7. सह. शिक्षा व प्रशिक्षण	–	–	–	–	–	–
8. अन्य सहकारिताएं	–	–	–	–	–	–
9. निर्देशन तथा प्रशासन	–		–	–	–	–
योग :	**292.00**	**100.00**	–	–	**83.00**	**42.00**

राज्य योजना के अधीन किये गये व्यय के अतिरिक्त 1193.53 लाख रू० का व्यय केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत किया गया है इसके अतिरिक्त 30.00 लाख रू० का व्यय विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रमों द्वारा अनुसूचित जाति क्षेत्र पर किया गया है। विवरण संलग्न परिशिष्ट में है।

(राशि लाखों में)

मुख्य शीर्ष	12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में स्वीकृत परिव्यय			वार्षिक योजना 2016–17 वास्तविक व्यय			2017–18 संभावित व्यय		
	केन्द्रीय प्रायोजित योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता		केन्द्रीय प्रायोजित योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता		केन्द्रीय प्रायोजित योजना	विशेष केन्द्रीय सहायता	
		जन जातीय उप–योजना	अनु जाति घटक योजना		जन जातीय उप–योजना	अनु जाति घटक योजना		जन जातीय उप–योजना	अनु जाति घटक योजना
मांग संख्या 21									
1. ऋण सहकारिताएं	-	79.50	25.00	-	-	30.00	-	-	30.00
2. विपणन सहकारिताएं	50.00	45.50	-	1267.93	-	-	-	-	-
3. विधायन सहकारिताएं	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
4. उपभोक्ता सहकारिताएं	30.00	75.00	-	-	-	-	-	-	-
5. औद्योगिक सहकारिताएं	25.00	-	-	-	-	-	-	-	-
6. एकीकरण सहकारी विकास परियोजनाएं	90.12	-	-	3643.30	-	-	-	-	-
7. निदेशन तथा प्रशासन	90.00	-	-		-	-	-		-
8. चाय उत्पादक कारखाने	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Agri. Credit Steb Fund	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10 दूध सहकारिताएं	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-
11. पर्यटन सहकारिताएं	.	-	-	-	-	-	-	-	-
मांग संख्या 31व 32									
1. आई.सी.डी.पी.	510.89	-	-	-	-	-	-	-	-
2. विपणन सभाओं की सहायता	-	-	-	22.30	-	-	-	-	-
योग:	**829.51**	**200.00**	**25.00**	**4933.53**	**.**	**30.00**	**-**	**-**	**30.00**

भौतिक व वित्तीय लक्ष्य तथा प्रगति

बाहरवीं पंचवर्षीय योजना के लिये भौतिक लक्ष्य तथा वार्षिक प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है :–

(राशि करोड़ों में)

विवरण	लक्ष्य 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17)	लक्ष्य 2016–17	प्रगति 2016–17
1. अल्प कालीन ऋण वितरण	80.00	16.00	49.38
2. मध्यकालीन ऋण वितरण	300.00	60.00	660.73
3. दीर्घकालीन ऋण वितरण	400.00	80.00	87.46
4. कृषि उत्पादन का विपणन	400.00	80.00	28.85
5. रसायनिक उर्वरक का वितरण	300.00	60.00	100.94
6. उपभोक्ता वस्तुओं का ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में परचून वितरण	1200.00	240.00	520.25

(राशि लाखों में)

विवरण	9वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति	10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति	11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त की स्थिति	वर्ष 2016–17 के अन्त की स्थिति
1. सभाओं की संख्या	4368	4404	4759	4875
2. भागधन (लाखों में)	12818.38	17238.29	25909.64	33203.09
3. अमानतें	343025.65	612601.60	1534080.70	2584739.42
4. कार्यशील पूंजी	486902.50	873794.49	1936379.59	3378241.99
5. **ऋण वितरण**				
अल्प/मध्य	22069.47	18348.90	307935.44	606016.68
लम्बी अवधि	4939.15	6285.56	6029.99	12850.08
6. कृषि उत्पादन विपणन	3676.65	3371.18	16722.92	15435.48
7. उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	22144.74	28753.89	87635.54	246772.82
8. कृषि उपकरण व रसायनिक खाद का वितरण	4978.79	7264.04	13604.99	40479.17

अध्याय–11

सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण

सहकारिता आन्दोलन के समुचित विकास के लिए सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण एक प्राथमिक आवश्यकता है। सहकारिता के विश्वमान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सहकारी शिक्षा एवम् प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि जब तक सहकारी कार्यकर्ता सहकारी कार्यप्रणाली तथा सहकारी नियमों व अधिनियमों से भली–भांति अवगत नहीं होंगे तब तक संस्था के समुचित विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। हिमाचल प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के लिए शिक्षा प्रशिक्षण की व्यवस्था करने, आम जनमानस को सहकारिता के प्रति संवेदनशील करने तथा आंदोलन के प्रचार–प्रसार का दायित्व हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ (हिमकोफैड) को सौंपा गया है। हिमकोफैड के अतिरिक्त राज्य में इस कार्य के निष्पादन के लिए जिला स्तर पर 8 जिला सहकारी विकास संघ भी कार्यरत हैं।

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ

राज्य में सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण तथा प्रचार–प्रसार जैसी गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संघ को सहकारी शिक्षा अनुदेशक के रूप में 24 पद तथा सहकारी प्रबन्ध केन्द्र में संकाय सदस्यों के रूप में 8 पद स्वीकृत किए गए हैं। सहकारी शिक्षा अनुदेशक अपने–अपने कार्यक्षेत्र में सम्बन्धित सहायक पंजीयक सहकारी सभाओं के मार्गदर्शन में संघ द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार सहकारी संस्थाओं के सदस्यों, प्रबन्धक समिति सदस्यों, कर्मचारियों, युवाओं तथा महिला वर्ग को उनकी सहकारी सभाओं में जाकर अल्पावधि प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करते हैं। इसके अतिरिक्त विकास संघ द्वारा मशोबरा, जिला शिमला तथा गरली, जिला कांगड़ा में दो प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें सहकारी संस्थाओं के कर्मचारियों व सहकारिता विभाग के कनिष्ठ वर्ग के कर्मचारियों को चार माह की अवधि का 'डिप्लोमा इन–कॉपरेटिव मैनेजमेंट' सत्र का आयोजन किया जाता है। विकास संघ द्वारा राज्य में समय–समय पर सामयिक विषयों पर सहकारी कार्यशालाओं व सम्मेलनों का भी आयोजन किया जाता है। विकास संघ हर वर्ष 14 से 20 नवम्बर तक अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह समारोहों का भी आयोजन करता है। सहकारी आन्दोलन के प्रचार–प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत संघ द्वारा एक हिन्दी पत्रिका 'सहकार दर्पण' का भी प्रकाशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त संघ द्वारा प्रशिक्षण शिविरों के दौरान निःशुल्क वितरण के लिए प्रचार–प्रसार सामग्री का भी प्रकाशन किया जाता है।

विकास संघ को सहकारी शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए हर वर्ष राज्य सरकार से नॉन प्लान मद के अन्तर्गत वार्षिक ग्रांट–इन–एड प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त सहकारी सभाओं से सहकारी विधानानुसार प्राप्त होने वाली सहकारी शिक्षा निधि संघ की आय का एक अन्य मुख्य स्त्रोत है। संघ की विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए आवश्यक अतिरिक्त

पूंजी का सृजन करने के लिए वर्ष 1972 में संघ द्वारा सहकारी मुद्रणालय की स्थापना की गई। सहकारी मुद्रणालय उचित मूल्य पर राज्य की सहकारी संस्थाओं को स्टेशनरी व मुद्रण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। वर्तमान में सहकारी मुद्रणालय का आधुनिकीकरण करते हुए इस इकाई में ऑफसेट मुद्रण मशीनें स्थापित की गई हैं। परिणामस्वरूप मुद्रणालय के कार्य निष्पादन में गुणात्मक एवं परिमाणात्मक सुधार हुआ है। सहकारी संस्थाओं के अतिरिक्त सहकारी मुद्रणालय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, आई.सी.ए.आर., सांइस एण्ड टैक्नोलॉजी, भाषा एवं संस्कृति विभाग, परिवहन तथा ग्रामीण विकास जैसे महत्त्वूपर्ण विभागों का भी मुद्रण कार्य कर रहा है। मुद्रणालय द्वारा वर्ष 2016–17 में मु0 6.64 करोड़ रुपए मूल्य का मुद्रण कार्य निष्पादन किया गया है।

हिमकोफैड द्वारा वर्ष 2016–17 में आयोजित प्रशिक्षण गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार है।

शिविर का प्रकार	अवधि	कुल आयोजित शिविर	कुल प्रशिक्षित व्यक्ति
1. सचिव/मैनेजर शिविर	5 दिन	4	68
2. प्रबन्धक समिति सदस्य शिविर	2 दिन	102	845
3 सदस्य/भावी सदस्य शिविर	1 दिन	95	1655
4 अनुसूचित जाति शिविर	1 दिन	42	730
5. युवा/छात्र शिविर	1 दिन	10	1287
6. जागरूकता शिविर (अल्पावधि)	2–5 दिन	3	350
7. जनजातीय शिविर	15 दिन	13	171
8. पत्रोपाधि सत्रा (डिप्लोमा कोर्स)	16 सप्ताह	2	125

कृषि सहकारी कर्मचारी वर्ग प्रशिक्षण संस्थान

सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त दर्शाए गये संघों के अतिरिक्त विश्व बैंक परियोजना 2 के अन्तर्गत हि०प्र० राज्य सहकारी बैंक सीमित द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वित्तीय सहायता प्राप्त करके शिमला के निकट समरहिल में प्रशिक्षण संस्थान 1987 से चलाया जा रहा है इसमें प्राथमिक विपणन, कृषि ऋण समितियों के प्रबन्धकों व सचिवों को चार सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सहकारी बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

अध्याय–12

राज्य सहकारी परिषद् व इसके कार्य

हिमाचल प्रदेश में सहकारी आन्दोलन के विकास व बढ़ोतरी हेतु सरकार को सभी आम प्रश्नों पर सुझाव व सलाह देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाऐं अधिनियम की धारा 98 के अन्तर्गत राज्य सहकारी परिषद गठित करने की व्यवस्था है। वर्तमान में हि०प्र० सहकारी परिषद के गठन हेतु सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करना अपेक्षित है।

राज्य परिषद के अध्यक्ष माननीय मन्त्री जो कि सहकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश के प्रभारी होंगें ।

1. तीन विधान सभा सदस्यः माननीय विधान सभा द्वारा हिमाचल प्रदेश द्वारा मनोनीत होंगें।
2 पांच गैर सरकारी सदस्यः जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एंव मनोनीत होंगें। इसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति व एक अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित होंगें।
3. समस्त शिखरीय सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष।
4. सचिव 'सहकारिता' हिमाचल प्रदेश सरकार।
5. पंजीयक सहकारी सभाएं हिमाचल प्रदेश।
6. कृषि निदेशक हिमाचल प्रदेश।
7. निदेशक उद्योग हिमाचल प्रदेश।

परिषद् के कार्य निम्न प्रकार है :–

(क) सहकारी आन्दोलन की समीक्षा करना तथा राज्य में सहकारी सभाओं की गतिविधियों का समन्वय करने हेतु सुझाव देना।

(ख) सहकारी आन्दोलन से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर राज्य सरकार को परामर्श देना।

(ग) सहकारी सभाओं को प्रशासन में आ रही कठिनाइयों का निवारण करने के लिये सुझाव देना।

(घ) सहकारी सभाओं को प्रशासन से सम्बन्धित किसी भी मामले में अपने आप सरकार को सिफारिश करना।

(ङ) ऐसे मामलों पर जो राज्य सरकार द्वारा इसे विचारार्थ सौंपे गये हैं, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(च) अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से परिषद् की एक वर्ष में कम से कम एक बैठक होनी चाहिये।

अध्याय–13

H.P. STATE CO-OPERATIVE ADVANCEMENT OF PROFESSIONAL EDUCATION SOCIETY LTD; (HIMCAPES)

VPO Badhera, Tehsil Haroli, Distt. Una (H.P.)

हिमाचल प्रदेश राज्य व्यवसायिक शिक्षा प्रसार सहकारी सभा सीमित, बढेड़ा, तहसील हरोली, जिला ऊना, हि०प्र०

सहकारिता के माध्यम से व्यवसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करने तथा प्रदेश के सहकारिता आन्दोलन को एक नई दिशा एवं गति देने के प्रयोजन से अप्रैल, 2002 में ऊना जिला के बढेड़ा में एक राज्य स्तरीय व्यवसायिक शिक्षा प्रसार सहकारी सभा (हिमकेप्स) का गठन किया गया।

सभा गुणवत्ता पर आधारित उच्च स्तर की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान कर रही है ताकि प्रदेशवासियों को व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिये दूसरे राज्यों में न जाना पड़े। इन व्यवसायिक स्कूलों में ऐसी सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है जिनकी एक उत्तम व्यवसायिक संस्थान से अपेक्षा की जाती है। HIMCAPES ने ऊना जिला के बढेड़ा में 324 कनाल जमीन 99 वर्ष के लिए पट्टे पर ली है जिसमें व्यवसायिक शिक्षा के विभिन्न संस्थान खोले जाएंगे। सभा के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

वर्तमान में इस सहकारी सभा की सदस्य संख्या 84 है जिसमें 82 सदस्य केवल सहकारी सभाएं हैं। सभा के एक भाग का मूल्य 25000/– रू. है। वर्तमान में सभा का भागधन 23,55,000/– रू. है। सभा के पास सदस्य डिपॉज़िट 5.46 करोड़ रूपये है। उल्लेखनीय है कि इस सभा द्वारा सरकार से किसी भी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की गई है। पंजीयक सहकारी सभाएं, हि०प्र० ने सभा को अपने सदस्यों से अमानतें लेने के लिए अधिकृत किया है।

सभा का लक्ष्य प्रदेश में चरणबद्ध रूप में निम्नलिखित व्यवसायिक कॉलेज स्थापित करना हैः–

1. कानून
2. स्वास्थ्य शिक्षा, नर्सिंग तथा अस्पताल सेवायें
3. बी. एड.
4. प्रबन्धन (मैनेजमैन्ट)
5. वाणिज्य शिक्षा
6. फार्मेसी

7. सूचना तकनीक एवं बायो – तकनीक
8. शारीरिक शिक्षा
9. वन तथा पर्यावरण शिक्षा
10. जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनीकेशन
11. अन्य व्यवसायिक कोर्स

सभा ने सर्वप्रथम HIMCAPES' INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION (HIPE) के तत्वावधन में हिमकेप्स स्कूल ऑफ लॉ को स्थापित किया है जिसे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता (Affiliation) दी गई है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा इस लॉ कॉलेज को अनुमोदित (Approved) किया जा चुका है। इस लॉ कॉलेज में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में 80 सीटों के लिए विद्यार्थियों का चयन हि०प्र० विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों की पात्रता 10+2 में 50% अंक सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए तथा 45% अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए रखी गई है। डिग्री कोर्स 5 वर्ष का है जिसके अंतर्गत B.A. LL.B. (Hons.) की डिग्री हि. प्र. विश्वविद्यालय द्वारा दी जायेगी। HIMCAPES School of Law का पहला बैच Passout हो चुका है। संस्थान के पास आधुनिक सुविधा से सुस्जित छात्रावास उपलब्ध है।

HIMCAPES' School of Nursing द्वारा GNM (Nursing) 3½ वर्षीय डिप्लोमा कोर्स 2009–2010 से आरम्भ किया जा चुका है तथा संस्थान को 40 सीटें प्रतिवर्ष इस हेतु सरकार द्वारा दी जाती हैं। 3½ वर्षीय GNM Course, Director Medical Education & Research, H.P. द्वारा अनुमोदित है तथा HPNRC द्वारा अनुमोदित है। भविष्य में हिमकेप्स BSc. (Nursing) तथा MBA Degree Course आरम्भ करने हेतु प्रयासरत है। सभा द्वारा B.Sc. (Nursing) 4 वर्षीय डिग्री कोर्स हेतु प्रदेश सरकार को प्रार्थना पत्र दे दिया गया है तथा सरकार द्वारा प्रस्तावित B.Sc. Nursing Degree Course के लिए संस्थान का निरीक्षण भी करवाया जा चुका है।

अध्याय–14

प्रशासनिक ढांचा

सहकारिता विभाग का प्रशासनिक ढांचा चार स्तरों पर आधरित है जिसमें पंजीयक सहकारी सभाएं वैधानिक तथा प्रशासनिक तौर से विभाग के मुखिया हैं। पंजीयक सहकारी सभाओं की सहायता के लिए एक अतिरिक्त पंजीयक सहकारी सभायें धर्मशाला में क्षेत्रीय स्तर पर, तीन उप–पंजीयक सहकारी सभायें शिमला, धर्मशाला व मण्डी में मण्डलीय स्तर पर, 16 सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं जिला/अंचल स्तर पर तथा निरीक्षक सहकारी सभाएं खण्ड स्तर पर कार्यरत हैं। एक अतिरिक्त पंजीयक सहकारी सभाएं के पद को निदेशालय के लिये राज्य सरकार द्वारा सृजित किया गया है ताकि विभिन्न जिलों में चल ही एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं की प्रगति को नियमित रूप से अनुश्रवण के पश्चात मूल्यांकित किया जा सके।

वर्ष 2016–17 के दौरान राज्य निदेशालय में पंजीयक सहकारी सभाओं के सहायतार्थ दो अतिरिक्त पंजीयक, दो संयुक्त पंजीयक, एक उप–पंजीयक और एक सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं कार्यरत है। निदेशालय का कार्य ठीक ढंग से चलाने के लिये निम्न प्रकोष्ठ स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक प्रकोष्ठ एक वरिष्ठ अधिकारी के अधीन कार्य कर रहा है।

1. अनुश्रवणः राष्ट्रीय विकास निगम द्वारा प्रायोजित एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु गठित यह प्रकोष्ठ अतिरिक्त पंजीयक (अनुश्रवण) की देखरेख व नियन्त्राण में कार्य कर रहा है।

2.	स्थापना	:	ये दोनो प्रकोष्ठ अतिरिक्त पंजीयक (प्रशासन) सहकारी सभायें की देखरेख में कार्य करते हैं।
3.	बजट तथा लेखा व कम्प्यूटर	:	
4.	व्यापार तथा विपणन	:	यह प्रकोष्ठ संयुक्त पंजीयक (विपणन) सहकारी सभायें की देखरेख में कार्य करता है।
5.	ऋण एवं विविध, शहरी बैंक विधि व विघटन	:	यह प्रकोष्ठ संयुक्त पंजीयक (साख) सहकारी सभायें की देख रेख में कार्य करता है।
6.	योजना तथा विकास सहकारी शिक्षा व प्रशिक्षण	:	यह प्रकोष्ठ उप–पंजीयक (उपभोक्ता) सहकारी सभायें की देख रेख में कार्य करता है।
7.	अंकेक्षण तथा सहकारी बैंक	:	ये प्रकोष्ठ संयुक्त पंजीयक (साख) सहकारी सभाओं के अधीन है।
8.	सांख्यिकी	:	
9.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली उर्वरक व भण्डारण	:	यह प्रकोष्ठ उप–पंजीयक (उपभोक्ता) सह. सभायें के अधीन है।

सहकारिता विभाग द्वारा विभागीय गतिविधियों के सफल संचालन हेतू पूरे प्रदेश को 16 प्रशासनिक आंचलों में विभक्त किया गया है। क्षेत्रीय स्तर पर पंजीयक के सहायतार्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा/हि०प्र० प्रशासनिक सेवा के एक अतिरिक्त पंजीयक जिनका मुख्यालय धर्मशाला में है, कार्यरत हैं। अतिरिक्त पंजीयक सहकारी सभाऐं धर्मशाला अपने कार्यक्षेत्र, जिसमें 6 जिले कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, चम्बा, कुल्लू और लाहौल–स्पिति सम्मिलित है, पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तीन मण्डलीय उप–पंजीयक जिनके मुख्यालय शिमला, धर्मशाला तथा मण्डी में स्थित है, के क्षेत्राधिकार में चार–चार जिले हैं। प्रदेश में 16 अंचल है। प्रत्येक के प्रभारी सहायक पंजीयक सहकारी सभाएं है। जिला कांगड़ा में चार सहायक पंजीयक क्षेत्र – वृत देहरा, पालमपुर, नूरपुर व धर्मशाला में है तथा जिला शिमला में शिमला व जुब्बल में दो सहायक पंजीयक अंचल है। विभिन्न सहकारी सभाओं की संख्या के दृष्टिगत तथा सहकारी सभाओं का प्रभावी ढंग से देखरेख करने के उद्देश्य से ये वृत खोले गये हैं।

पंजीयक सहकारी सभाएं व उनके अधीन कार्यरत उपरोक्त अधिकारी सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्यक्रमों को हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं अधिनियम, 1968 व हि०प्र० सहकारी सभाएं नियम, 1971 के अन्तर्गत दिए गए प्रावधानों के अनुसार चलाते हैं। प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे का विस्तृत विवरण पृथक से संलग्न है।

हिमाचल प्रदेश में सहकारिता विभाग में सृजित पद एंव कार्यरत कर्मियों का 31.3.2017 का विवरण

क्षेत्र/जिला	पंजीयक			अतिरिक्त पंजीयक			संयुक्त पंजीयक			अतिरिक्त पंजीयक			उप–पंजीयक			सहायक पंजीयक			तहसीलदार			सहायक नियन्त्रक (वित्त एंव लेखा)		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. निदेशालय	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	3	1	2	3	1	1	1	0	1	1	1	0
2. क्षेत्रीय स्तर धर्मशाला	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
3. मण्डलीय स्तर शिमला –मण्डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 .शिमला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
5. जुब्बल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6. सोलन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7. सिरमौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
8. बिलासपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9. मण्डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
10. हमीरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
11. देहरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
12. धर्मशाला	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13. नुरपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14. पालमपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
15. कुल्लू	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16. किन्नौर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17. लाहौल–स्पिति	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18. चम्बा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
19. ऊना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
योग	**1**	**1**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**3**	**3**	**20**	**10**	**10**	**1**	**0**	**1**	**1**	**1**	**0**

क्षेत्र/जिला	कानूनी अधिकारी			जिला निरीक्षक/जिला अंकेक्षण अधिकारी			अधीक्षक गेड–1			अधीक्षक ग्रेड–2			व. सहायक/लेखाकार			निजी सहायक/व. स्टेनोग्राफर/क. आशुलिपिक			अशुटंकक			निरीक्षक सामान्य		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. निदेशालय	1	0	1	3	3	0	1	1	0	5	5	0	9	5	4	7	5	2	1	0	1	7	6	1
2. क्षेत्रीय स्तर धर्मशाला	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	2	1	1
3. मण्डलीय स्तर शिमला –मण्डी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	2	1	1	0	0	0	4	4	0
4 .शिमला	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	19	10	9
5. जुब्बल	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	11	4	7
6. सोलन	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	19	10	9
7. सिरमौर	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	17	6	11
8. बिलासपुर	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	11	5	6
9. मण्डी	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	29	10	19
10. हमीरपुर	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1	1	16	3	13
11. देहरा	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	12	3	9
12. धर्मशाला	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	13	7	6
13. नुरपुर	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	13	7	6
14. पालमपुर	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	15	9	6
15. कुल्लू	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2	18	9	9
16. किन्नौर	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	3	4
17. लाहौल–स्पिति	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	1	6
18. चम्बा	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	17	1	16
19. ऊना	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	2	0	2	19	7	12
योग	**1**	**0**	**1**	**34**	**34**	**0**	**1**	**1**	**0**	**25**	**24**	**1**	**25**	**15**	**10**	**11**	**8**	**3**	**20**	**2**	**18**	**256**	**106**	**150**

क्षेत्र/जिला	निरीक्षक अंकेक्षण			क. सहायक/लिपिक			चालक			दफतरी			सेवादार/चौकीदार			योग		
	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1. निदेशालय	16	10	6	23	7	16	7	5	2	1	1	0	24	11	13	118	67	51
2. क्षेत्रीय स्तर धर्मशाला	2	0	2	5	0	5	2	2	0	0	0	0	6	2	4	27	15	12
3. मण्डलीय स्तर शिमला –मण्डी	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	6	2	4	21	15	6
4 .शिमला	19	6	13	9	4	5	0	0	0	0	0	0	10	1	9	63	26	37
5. जुब्बल	6	2	4	5	1	4	0	0	0	0	0	0	9	2	7	35	12	23
6. सोलन	20	5	15	10	4	6	0	0	0	0	0	0	11	5	6	67	27	40
7. सिरमौर	14	3	11	11	1	10	1	1	0	0	0	0	13	10	3	62	24	38
8. बिलासपुर	9	2	7	7	3	4	1	0	1	0	0	0	10	3	7	43	15	28
9. मण्डी	18	7	11	14	3	11	0	0	0	0	0	0	15	8	7	82	33	49
10. हमीरपुर	24	0	24	10	3	7	1	1	0	0	0	0	12	2	10	70	15	55
11. देहरा	15	3	12	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	2	6	49	12	37
12. धर्मशाला	27	5	22	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	2	7	64	18	46
13. नुरपुर	14	4	10	4	0	4	0	0	0	0	0	0	5	4	1	41	19	22
14. पालमपुर	22	3	19	6	2	4	0	0	0	0	0	0	7	2	5	55	20	35
15. कुल्लू	20	5	15	11	3	8	1	0	1	0	0	0	13	7	6	70	29	41
16. किन्नौर	5	2	3	6	1	5	1	1	0	0	0	0	7	2	5	31	12	19
17. लाहौल–स्पिति	5	0	5	4	0	4	1	1	0	0	0	0	6	1	5	28	7	21
18. चम्बा	15	4	11	10	2	8	1	1	0	0	0	0	16	11	5	65	22	43
19. ऊना	28	11	17	7	3	4	1	1	0	0	0	0	11	3	8	73	28	45
योग	**279**	**72**	**207**	**160**	**39**	**121**	**19**	**14**	**5**	**1**	**1**	**0**	**198**	**80**	**118**	**1064**	**416**	**648**

सहकारी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध रोजगार का विवरण वर्ष 2016–17

विवरण	संख्या समितियां	नियुक्त कर्मचारियों की संख्या
1. राज्य सहकारी बैंक	1	1748
2. केन्द्रीय सहकारी बैंक	2	1890
3. राज्य ग्रामीण कृषि बैंक	1	139
4. प्राथमिक ग्रामीण कृषि बैंक	1	342
5. प्राथमिक कृषि ऋण समितियां	2127	4478
6. प्राथमिक शहरी बैंक	5	156
7. प्राथमिक गैर कृषि ऋण समितियां	439	847
8. विपणन समितिया	297	910
9. दूध आपूर्ति समितियां व अन्य पशुधन	377	695
10. विधायन समितियां	28	86
11. संयुक्त खेती	9	10
12. सहकारी उपभोक्ता भण्डार	373	545
13. गृह निर्माण समितियां	92	136
14. बुनकर समितियां	389	1824
15 औद्योगिक समितियां	119	312
16. मत्स्यक पालन	65	88
17. अन्य गैर ऋण समितियां	322	793
18. श्रम एवं निर्माण समितिया	103	121
19. परिवहन समितियां	116	304
20. सहकारी विकास संघ	9	63
योग	**4875**	**14487**

हिमाचल प्रदेश में 31.3.2017 सहकारी समितियों का विवरण

क्षेत्र/जिला	प्राथमिक कृषि ट्टण समितियां	विपणन समितियां		प्राथमिक ट्टण विकास बैंक	अन्य विपणन सभाऐं	प्राथमिक शहरी बैंक	प्राथमिक गैर कृषि सभाऐं कर्मचारी	अभिसंस्करण समितियां	पशुधन व दूध आपूर्ति
		केन्द्रीय	प्राथमिक						
1. किन्नौर	35	1	1	0	11	0	2	0	0
2. शिमला	92	1	7	0	74	1	106	0	10
3. जुब्बल	76	0	3	0	58	0	5	4	3
4. सोलन	156	1	3	0	15	2	94	0	17
5. सिरमौर	120	0	2	0	23	0	38	3	46
6. बिलासपुर	77	1	0	0	1	0	21	2	15
7 मण्डी	225	0	4	0	5	1	23	0	99
8. कुल्लू	125	0	5	0	46	0	16	2	108
9. लाहौल–स्पिति	52	0	3	0	13	0	2	0	5
10. ऊना	218	0	0	0	2	0	24	4	22
11. हमीरपुर	223	0	0	0	0	0	30	0	22
12. देहरा	150	0	2	0	0	0	6	0	4
13. नुरपुर	125	0	0	0	1	0	15	3	9
14. धर्मशाला	132	1	1	1	1	0	29	3	1
15. पालमपुर	192	0	1	0	1	0	13	5	6
16. चम्बा	129	0	3	0	4	1	15	1	9
योग	**2127**	**5**	**35**	**1**	**255**	**5**	**439**	**27**	**376**

क्षेत्र/जिला	कृषि	मत्सयकी	बुनकर	अन्य औद्योगिक समितियां	उपभोक्ता भण्डार	गृह निर्माण	श्रम ठेका निर्माण
1. किन्नौर	1	0	15	0	11	0	2
2. शिमला	0	1	9	7	56	39	7
3. जुब्बल	0	0	1	0	34	1	3
4. सोलन	0	3	5	19	11	12	8
5. सिरमौर	0	0	3	1	20	6	11
6. बिलासपुर	1	33	10	9	22	3	6
7 मण्डी	0	2	49	16	85	5	16
8. कुल्लू	0	2	211	11	34	3	23
9. लाहौल–स्पिति	0	0	27	0	15	0	2
10. ऊना	1	4	1	7	0	7	3
11. हमीरपुर	0	0	2	7	8	1	2
12. देहरा	2	8	5	11	8	2	2
13. नुरपुर	0	7	8	8	27	2	9
14. धर्मशाला	0	0	16	12	4	5	1
15. पालमपुर	0	0	9	7	6	5	1
16. चम्बा	4	5	16	4	32		7
योग	**9**	**65**	**387**	**119**	**373**	**91**	**103**

क्षेत्र/जिला	अन्य गैर ट्टण समितियां	सहकारी विकास संघ	ऐपैक्स/केन्द्रीय बैंक	योग	सभाएं विघटन में	कुल योग
1. किन्नौर	3	0	0	82	11	93
2. शिमला	20	1	8	439	29	468
3. जुब्बल	7	0	0	195	27	222
4. सोलन	43	1	1	391	26	417
5. सिरमौर	16	1	0	290	15	305
6. बिलासपुर	16	1	0	218	5	223
7 मण्डी	42	1	0	573	13	586
8. कुल्लू	35	1	1	623	10	633
9. लाहौल–स्पिति	9	0	0	128	3	131
10. ऊना	75	1	1	370	10	380
11.हमीरपुर	40	1	0	336	21	357
12.देहरा	19	0	0	219	2	221
13.नुरपुर	33	0	0	247	3	250
14.धर्मशाला	24	1	1	233	4	237
15.पालमपुर	43	0	0	289	7	296
16.चम्बा	12	0	0	242	5	247
योग	**437**	**9**	**12**	**4875**	**191**	**5066**

अध्याय–15

हिमाचल प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 2006

मनुष्य बौधिक एवं भौतिक इच्छाएं रखता है। ईश्वर ने उसे चिन्तन करने जैसी अपार कला से विभूषित किया है। स्वतन्त्रता व जिम्मेदारियों के बावजूद भी उसकी भौतिक इच्छाओं में संतुष्टि नहीं होती। वास्तविक जीवन का अर्थ क्या है इस प्रवृति के कारण वह कुछ कर गुजरने की इच्छा रखता है वह ऐसी परम्पराओं, आदर्शों, संस्कृति व सभ्यता जिसके माध्यम से जीवन के मूल्यों, अर्थों का सही सार निकले, का अनुसरण करने की कोशिश करता है। इकट्ठा रहना उसकी वंशानुगत प्रवृत्ति है। पशु समाज में भी 'स्वजाति समतागतम' का सिद्धान्त है। मनुष्य समाज एक लम्बे संघर्ष उपरान्त सुसंस्कृत एवं सभ्य बना। अपने सिद्धान्तों, कार्यों का प्रसार ज्ञान विज्ञान कलाओं के माध्यम से जनमानस की भलाई हेतु संगठनों में संगठित हुआ। विश्व में मानव समाज की संरचना उद्‌भव व विकास पर दृष्टिपात करने से लगता है कि भारतीय समाज विश्व की सांस्कृतिक धरोहर है। यहां आश्रमों, वेदशालाओं, गुरूकुलों, योगशालाओं की स्थापना कर ऋषि–मुनियों व समाज सुधारकों द्वारा जनकल्याणकारी कार्य किए गए। ''सब सुखी रहें, सभी निरोग हों, सभी की भलाई हो, किसी को कोई दुःख न हो'' यही भारतीय दर्शन शास्त्र में निहित है। विश्व में रहने वाले अन्य लोगों में भी कल्याणकारी इच्छा दर्शन का पर्याप्त भाव रहा है। इंग्लैंड में तो 1854 में स्वैच्छिक कल्याणकारी संस्थाओं के प्रशासन हेतु वैधानिक स्वरूप दिया गया जो प्रशासन के अन्तर्गत प्रथम पग था। इसी के अनुसरण में सभाएं पंजीयन अधिनियम 1860 बना जिसके अंतर्गत ऐसी सभाएं जो लोगों के जनकल्याण, ज्ञान–विज्ञान, कला, दान आदि पर आधारित हों, गठित की जा सकती थीं। यह एक्ट बहुआयामी उद्‌देश्यों के साथ जनमानस के कल्याणकारी सिद्धान्त के अन्तर्गत पारित किया गया। समूचे विश्व में ऐसे एक्ट को सराहा गया व अपनाया गया।

भारत सरकार ने भी सभाएं पंजीयन अधिनियम, 1860 को अपने कल्याणकारी राज्य के सैद्धान्तिक उद्‌देश्यों में राज्य नीति के रूप में रखा जो कि वर्तमान में आंशिक संशोधनों के साथ पूरे भारतवर्ष में लागू है। हिमाचल प्रदेश में भी केन्द्रीय सभायें अधिनियम, 1860 वर्ष 2006 तक वर्ष 1960 तथा वर्ष 1973 में हुए नाममात्र के संशोधनों सहित लागू था।

भारत के संविधान अनुसार सोसायटीज़ अधिनियम बनाने या संशोधन लाने का मामला राज्य सरकार के क्षेत्र में आता है। देश की कई राज्य सरकारों द्वारा बदलते आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक परिवेश को मध्यनज़र रखते हुए केन्द्रीय अधिनियम, 1860 के स्थान पर नया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम लागू किया गया है जिसमें आन्ध्र प्रदेश, जम्मू–कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, तमिलनाडू, केरल तथा पश्चिम बंगाल आदि राज्य शामिल हैं तथा शेष राज्यों

द्वारा केन्द्रीय अधिनियम, 1860 के प्रावधानों में समय–समय पर अपनी सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधन किए गये हैं।

उपरोक्त आशयों के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी वर्ष 2006 में हिमाचल प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2006 को 26 अक्तूबर, 2006 से प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया, ताकि गैर सरकारी संस्थाओं को न केवल पंजीकृत करके बल्कि उन्हें वैधानिक रूप से भी संचालित किया जा सके तथा इन संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों की देख रेख तथा उन द्वारा लोगों को दी जा रही सेवाओं को सुनिश्चित कर उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाई जा सके। उपरोक्त अधिनियम के अधीन ही हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सोसाइटी पंजीकरण नियम, 2006 भी लागू किये गये हैं जिनमें इन संस्थाओं के संचालन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने बारे व्यापक प्रावधान किये गये हैं।

वर्ष 2015–16 के अन्त तक प्रदेश में लगभग 55000 गैर सरकारी कल्याण संस्थाएं पंजीकृत हैं जिनमें महिला/युवक मण्डल, जिला व राज्य स्तर की सभी संस्थाएं शामिल हैं। यह संस्थाएं शिक्षा, विकास, पर्यावरण एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यकलापों के माध्यम से प्रदेश के विकास में नए शिखर छू रही हैं। खेल अधिनियम के निरस्तिकरण के पश्चात् खेल सगमों के पंजीकरण पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया था किन्तु खेल एवं स्पर्धाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इन्डोर व साहसिक खेलों सहित खेल संवर्धन सम्बन्धी विधेयक 2011 के शीतकालीन सत्र में पारित कर हि०प्र० विधान सभा द्वारा खेल सगमों के रजिस्ट्रीकरण को हि०प्र० सोसाइटिज् रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत सम्भावित कर दिया गया है। अब सभी प्रकार के खेल संगम हि०प्र० सोसाइटिज् अधिनियम में पंजीकृत हो सकेंगे।

पंजीयक सहकारी सभाएं हि०प्र० द्वारा पंजीकृत की गई राज्य स्तर की गैर सरकारी संस्थाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

वर्ष	**कुल सभाएं जो पंजीकृत की गई**
2014–2015	75
2015–2016	70
2016–2017	130

अध्याय–16

सूचना का अधिकार

LIST OF PUBLIC INFORMATION OFFICERS AS ON 31-03-2017

Sr. No	Name/1st Appellate Authority/PIO	Office Address	Designation	Telephone No.	E-mail ID	Jurisdiction
1	Sh. S. K. Rangra	Additional Registrar Co-operative Societies, Block No.25, SAD Complex Kasumpti, Shimla-9	Appellate Authority	0177-2620722	Rangra61@gmail.com	Himachal Pradesh
2	Smt. Sudesh Kumari	Suptd. Gr. -1 Directorate of Cooperation, Block No.25, SDA complex Kasumpti, Shimla-9	State Public Information Officer	0177-2623102	Kumarisudesh161@gmail.comsudesh161	Directorate of Cooperation,H.P.
3	Sh. Sudhir Katoch	Deputy Registrar cooperative Societies Dharamshala	State Public Information Officer	01892-228017		Office of the Additional Registrar/Deputy Registrar cooperative Societies Dharamshala
4	Sh. Sudhir Katoch	Deputy Registrar (Central)cooperative Societies Mandi	State Public Information Officer	01905-221011		Office Deputy Registrar (Central) cooperative Societies Mandi
5	Smt. Ranjna Sood	Deputy Registrar (Eastern)cooperative Societies, SDA Complex, Kasumpti, Shimla	State Public Information Officer	0177-2622892		Deputy Registrar (Eastern)cooperative Societies, Shimla
6	Sh. Lekh Raj Negi	Assistant Registrar Cooperative Socities Reckong	State Public Information Officer	01786-222268		District Kinnaur

Sr. No	Name/1st Appellate Authority/PIO	Office Address	Designation	Telephone No.	E-mail ID	Jurisdiction
		Peo(Kinnaur)				
7	Sh. Het Ram	Assistant Registrar Co-operative Societies Shimla-1	State Public Information Officer	177-2657027		District Shimla excluding, Jubbal-Kotkhai, Rohru & Chopal Area of the district.
8	Sh. Roshan Lal	Assistant Registrar Co-operative Societies, Rohru at Jubbal	State Public Information Officer	1781-252268		Jubbal-Kotkhai Rohru & Chopal area of Shimla District.
9	Sh. Neeraj Kumar	Assistant Registrar Co-operative Societies, Solan	State Public Information Officer	1792-223749		District Solan
10	Sh. Om Prakash Chand	Assistant Registrar Co-operative Societies, Nahan	State Public Information Officer	1702-222221		District Sirmour
11	Sh. Parveen Verma	Assistant Registrar Co-operative Societies, Bilaspur	State Public Information Officer	1978-224616		District Bilaspur
12	Sh. Pawan Vatsa	Assistant Registrar Co-operative Societies Mandi	State Public Information Officer	1905-222138		District Mandi
13	Sh..Chetan Singh	Assistant Registrar Co-operative Societies Kullu	State Public Information Officer	1902-222461		District Kullu
14	Sh. Rajneesh Kumar	Assistant Registrar Co-operative Societies Keylong	State Public Information Officer	1900-222268		District Lahaul & Sapiti
15	Sh. Surinder Kumar Verma	Assistant Registrar Co-operative Societies Una	State Public Information Officer	1975-226089		District Una

Sr. No	Name/1st Appellate Authority/PIO	Office Address	Designation	Telephone No.	E-mail ID	Jurisdiction
16	Sh. Roshan Lal Khajuria	Assistant Registrar Co-operative Societies Hamirpur	State Public Information Officer	1972-222239		District Hamirpur
17	Sh. Kishore Chand	Assistant Registrar Co-operative Societies Dehra	State Public Information Officer	1970-233125		ARCS Circle Dehra, District Kangra
18	Sh. Mohinder Singh Pathania	Assistant Registrar Co-operative Societies Nurpur	State Public Information Officer	1893-220254		ARCS Circle Nurpur, District Kangra
19	Sh. Paras Aggarwal	Assistant Registrar Co-operative Societies Dharamshala	State Public Information Officer	1892-223246		ARCS Circle Dharamshala, District Kangra
20	Sh. Paras Aggarwal	Assistant Registrar Co-operative Societies Palampur	State Public Information Officer	1894-230207		ARCS Circle Palampur, District Kangra
21	Sh. Chander Shakhar	Assistant Registrar Co-operative Societies Chamba	State Public Information Officer	1899-222238		District Chamba

ROLE AND STRUCTURE OF DEPARTMENT OF CO-OPERATION, H.P.

The Department of Cooperation was established in 1948 immediately after the formation of Himachal Pradesh. The main objective of the Department was to eliminate exploitation of common man by middleman and money lenders by ensuring credit facilities to farmers at low rate of Interest through Cooperative institutions, focus being to ameliorate socio-economic condition of the people. It also envisaged enabling empowerment for people to come together for constituting organizations for mutual benefit, build up synergies and drive economic benefits.

The first H.P Cooperative Societies Act was enacted in 1956 and prior to this Cooperative Societies were registered under the Cooperative Societies Registration Act, 1912. With the reorganization of Punjab State in 1966, four more hilly districts namely, Kangra, Kullu, Lahaul Spiti and Shimla were formed. Simultaneously on 1st September, 1972 two more districts viz Hamirpur and Una were created out of Kangra District and Solan was also named as a district dropping Mahasu District. Reorganization of the State paved the way to enact H.P. Cooperative Societies Act 1968, because most of the Societies in the new merged area were of unlimited liabilities as such H.P. Cooperative Societies Rules, 1971 were also framed by the Government for strengthening the Cooperative movement in the State.

The statutory duties of registration of Cooperative Societies, Arbitration, execution, Liquidation, Inspection and Audit are entrusted to the Registrar, Cooperative Societies H.P. or the person authorized by him under section 3 of the H.P Cooperative Societies Act 1968.

At present following subjects are being dealt by Cooperative Department as per Business of the Government of Himachal Pradesh (Allocation) Rules 1971:-

1. All work relating to Cooperative Societies of all types and at all levels, registered under the Cooperative Societies Act, except administration of section 35, 94, and 100 of the Himachal Pradesh Cooperative Societies Act, 1968 in relation to Himachal Pradesh State Cooperative Milk Producers Federation Ltd; Himachal Pradesh State Cooperative Wool Federation and their constituent Cooperative institutions.
2. Urban Cooperative Bank.
3. Land Mortgage Bank.
4. Grant of loans and subsidies to Societies.
5. Investment in share capital of the Societies.
6. Crop Loan Schemes.
7. Marketing of Agricultural Produce.
8. Distribution of fertilizers, seeds and other Agricultural inputs through the Cooperatives.

9. Cooperative processing and ware-house activities.
10. Cooperative Law, Act and Rules.
11. Audit of Cooperative Institutions.
12. Consumer Cooperative Stores.
13. Liquidation, Arbitration and Execution of awards.
14. Special schemes of medium and long term credits.
15. Registration of Societies under Societies Registration Act, 1860.
16. Establishment budget and accounts matters.

STRUCTURE OF THE DEPARTMENT

(i) Secretariat Level:-

Hon'ble Minister for Cooperation, H.P.(Minister-Incharge Co-operation)

↓

Principal Secretary (Cooperation) to the Govt. of H.P.

STRUCTURE OF CO-OPERATIVE DEPARTMENT

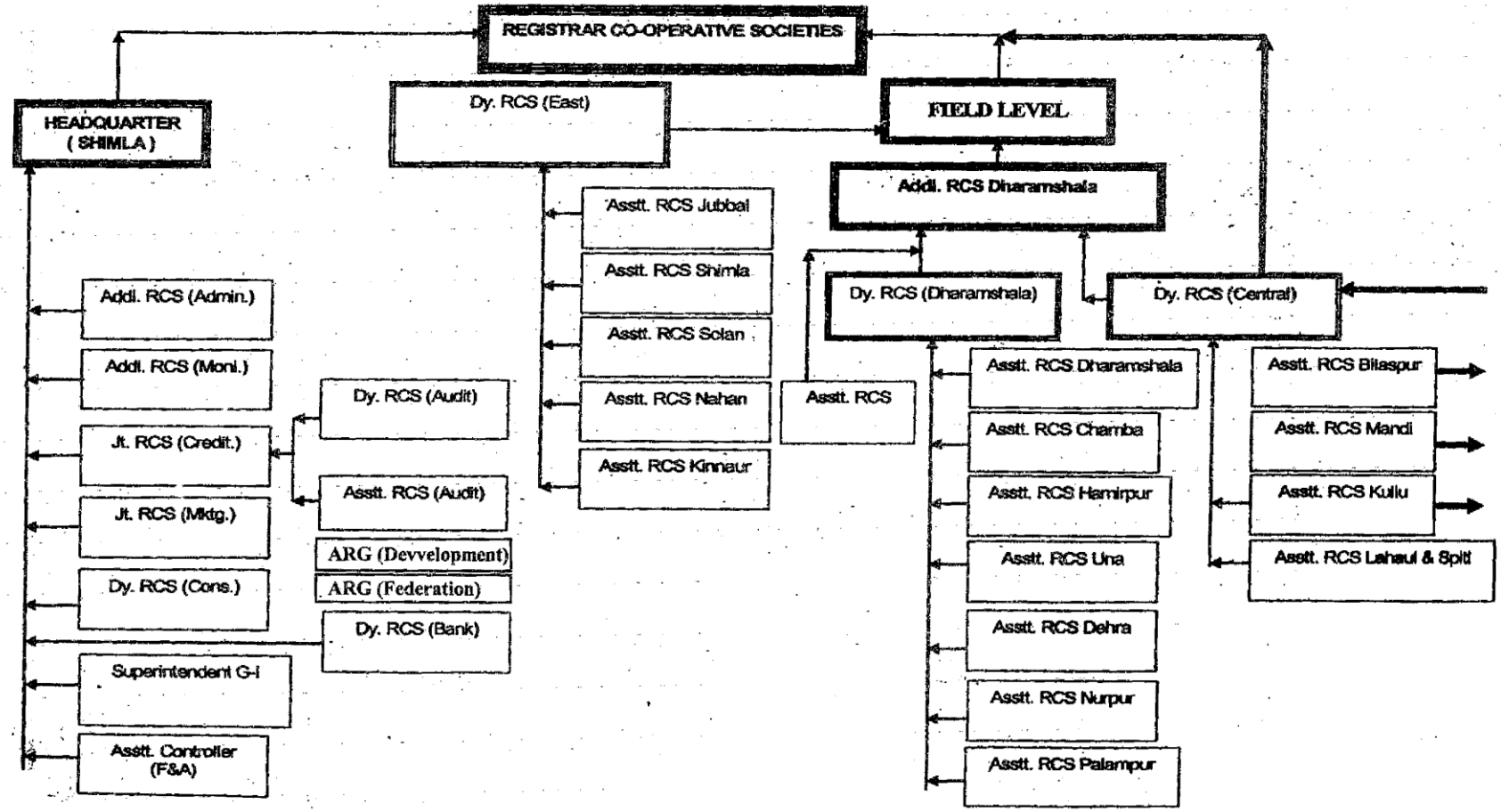

- **Circle Level**

Three above Administrative Divisions have further been divided into twelve Districts with four districts attached to each division. For Administrative and regulatory functions, 16 Assistant Registrar, Cooperative Societies circles have been created. (Three in Kangra District and one in Shimla District.)

- **Community Development (CD) Block Level**

To facilitate the general public for forming Cooperative Societies and to provide allied services for easy access of the general public at grass root level, Inspector Cooperative Societies offices have been established at (Community Development Block Level) detail of which is as under: -

Division	District	ARCS Circle	C.D Block		Sub-circle
Dy. RCS (Central)	Bilaspur	Bilaspur	1. Bilaspur	1	Sadar-I
				2	Sadar-II
			2. Ghumarwin	1	Ghumarwin-I
				2	Ghimarwin-II
			3. Jhanduta	1	Jhanduta-I
				2	Jhanduta-II
	Kullu	Kullu	1. Kullu	1	Kullu-I
				2	Kullu-II
				3	Bhuin
				4	Gadsa
			2. Naggar	1	Naggar
				2	Manali
				3	Katrain
			3. Banjar	1	Banjar
				2	Larji
			4. Ani	1	Ani
				2	Dalaru
			5. Nirmand	1	Nirmand
	L&Spiti	L& Spiti	1. Kaylong	1	Keylong
				2	Udaipur
			2. Kaza	1	Kaza
				2	Tabo
	Mandi	Mandi	1. Darang at Padhar	1	Sudhar
				2	Jogindernagar

Division	District	ARCS Circle	C.D Block		Sub-circle
			2. Sundernagar	1	Salapar
				2	Jai Devi
			3. Mandi Sadar	1	Sadar
				2	Katola
				3	Kotli
			4. Dharampur	1	Sandhol
			5. Gohar	1	Jachh
				2	Sathanj
			6. Balah at Nairchowk	1	Nairchowk-I
				2	Nairchowk-II
			7. Chauntra	1	Ladbharol
			8. Saraj (Janjhaili)	1	Bali Chowki
				2	Dharwal Yach
			9. Gopalpur	1	Gopalpur
				2	Baldwara
			10. Karsog	1	Churag
Dy. RCS (Eastern)	Kinanur	Kinnaur	1. Kalpa	1	Sangla
			2. Pooh	1	Moorang
			3. Nichar	1	Tapri
	Shimla	Jubbal	1. Jubbal	1	Kotkhai
				2	Padsal
			2. Rohru	1	Pujarli
			3. Chirgaon	1	Chirgaon
			4. Chopal	1	Nerwa
				2	Kupvi
		Shimla	1. Mashobra	1	Mashobra
				2	Tutu
				3	Shoghi
			2. Theog	1	Theog
			3. Narkanda	1	Thanadhar
				2	Kumarsain
			4. Rampur	1	Nankhari
				2	Jhakri
			5. Basantpur	1	Basantpur
			6. Shimla Urban		
	Sirmour	Sirmour at	1. Nahan	1	Nahan (North)

Division	District	ARCS Circle	C.D Block		Sub-circle
		Nahan			
				2	Nahan (South)
			2. Shilai	1	Shilai
			3. Sangrah	1	Sangrah
				2	Nauradhar
			4. Pachhad (Sarahan)	1	Sarahan
				2	Badripur
			5. Paunta	1	Sataun
				2	Dhagali
			6. Rajgarh	1	Dhamla
	Solan	Solan	1. Nalagarh	1	Nalagarh-I
				2	Nalagarh-II
				3	Ramshehar-I
				4	Ramshehar-II
			2. Dharampur	1	Dharampur
				2	Chandi
			3. Kunihar	1	Kunihar
				2	Arki
			4. Solan	1	Solan-I
				2	Solan-II
				3	Subathu
			5. Kandaghat	1	Kandaghat
				2	Sairi
Dy. RCS (West)	Chamba	Chamba	1. Chamba	1	Chamba Sahri
				2	Pukhri
			2. Bharmour	1	Holi
			3. Mehila	1	Churi
			4. Tisa	1	Kalhail
			5. Bhatiyat	1	Sehunta
				2	Banikhet
			6. Saluni	1	Sundla
			7. Pangi	1	Sach
	Hamirpur	Hamirpur	1. Hamirpur	1	Anu
				2	Lambhalu
				3	Toni Devi
			2. Nadaun	1	Bara
				2	Galod
				3	Dhaneta

Division	District	ARCS Circle	C.D Block		Sub-circle
			3. Bhoranj	1	Bharaidi
				2	Patta
			4. Bijhri	1	Maiharai
			5. Sujanpur	1	Jangal Bairi
	Kangra	Dehra	1. Dehra	1	Dehra
				2	Bankhanid
				3	Jawalamikhi
				4	Khundian
			2. Parapur	1	Dhaliyara
				2	Dadasiba
				3	Kasba Kotla
			3. Nagrota Surian	1	Nagrota Surian
		Dharamshala	1. Kangra	1	Kangra
				2	Gagal
				3	Daulapur
			2. Rait	1	Dharamshala
				2	Rait
				3	Rajol
				4	Shahpur
			3. Nagrota Bagwan	1	Yol
				2	Srotri
		Nurpur	1. Nurpur	1	Nurpur-I
				2	Nurpur-II
				3	Jawali
				4	Kotla
			2. Indora	1	Indora
				2	Salhana
				3	Kandrori
			3. Fatahaipur	1	Fatahaipur
				2	Badukhar
		Palampur	1. Panchrukhi	1	Panchrukhi
				2	Palampur
				3	Chachiyan
			2. Bhawarna	1	Bhawarna
				2	Sulah
				3	Dheera
			3. Baijnath	1	Baijnath-I

Division	District	ARCS Circle	C.D Block		Sub-circle
				2	Baijnath-II
			4. Lambagaon	1	Lambagaon
				2	Thural
	Una	Una	1. Una	1	Una
				2	Bahdala
				3	Dulaihar
				4	Santokhgarh
			2. Gagret	1	Bhadsali
				2	Daulatpur
				3	Panjawar
				4	Ghanari
			3. Bangana	1	Bangana
				2	Chowkimaniar
			4. Amb	1	Mubarakpur
				2	Bharwain
				3	Jawar
				4	Bhaira

FUNCTIONS OF THE DEPARTMENT

The Departmental activities and functions of the Department have increased and changed to a large extent with the passage of time since it has to carry out developmental, Regulatory and creative functions for further strengthening of Cooperative Movement in the State. Brief detail of these functions is as under:-

1. Developmental functions.
2. Regulatory Functions.

(1) Developmental functions:

The Developmental functions incorporate the following main tasks to promote the growth of healthy Cooperative Institutions with the objectives:-

- To extend credit facilities
- To promote marketing facilities to the members to sell their produce at remunerative prices

- To provide consumer goods, especially essential commodities under P.D.S programme at reasonable prices.
- To update the skill of the Artisans, Craftsmen and weaker sections of the society engaged in Industrial activities and help them to market their produce.
- To enable to all persons to come together and gainfully employ themselves in diverse field such as Horticulture, Floriculture, Fisheries, Housing, Wool, Poultry, Labour & Construction, Dairy and Tourism etc.
- Following incentives are provided by the department to strengthen co-operative movement in the State:-
- Enrollment subsidy to newly enrolled member of IRD/Scheduled caste/ Scheduled tribe families, equivalent to value of one share is provided to the beneficiaries to encourage them for becoming members of the co-operative societies
- Managerial subsidy/Intt. Subsidy and working capital subsidy being provided engaged in consumer/marketing under special central assistance for special component plant/Tribal area sub-plan.
- Interest subsidy to IRDP families is being provided @8% as an incentive for timely clearance of agriculture loans (ST/MT) availed by these families through co-operative societies.
- Grant-in-aid is being given to the HIMCOFED for imparting co-operative education and training to members, employees etc.

(2) <u>Regulatory Functions</u>

Regulatory functions of the Department ensure that Cooperative institutions function as per Cooperative principles by following Act, Rules & guidelines issued:-

- By Registration of Cooperative Societies
- By conducting Annual Audit of all Cooperative Societies
- By Inspecting Cooperatives Societies
- By conducting the elections of the Cooperative Institutions.
- By conducting statutory inquiries into specific complaints/act of misdemeanor.
- By conducting arbitration proceedings in case of disputes.
- By placing dormant/ defunct Cooperative Societies under liquidation.
- By registration of charitable organization/ N.G.O's under Societies Registration Act 2006.
- By issuing directions from time to time to managing Committees to improve their functioning /working.

In addition to above this department is also implementing all the policies, programmes and other important activities of the Government.

THE POWERS OF OFFICERS AND EMPLOYEES

(a) Administrative Powers
(b) Statutory Powers

(a) <u>Administrative Powers</u>

All the Administrative/ financial powers are excised by the Registrar, Cooperative Societies as Head of the Department and by other officers, specially deployed at zonal, divisional and ARCS circles in the fields as head of offices along with D.D.O. powers, under the provisions of FR& SR, CCS (Conduct) Rules, 1964, Handbook on personal matters vol. I&II, H.P FR, T.A Rules etc. Brief details of the Administrative Powers of Head of Department are given as under: -

(1) Transfer and promotion of Class III and IV employees
(2) Imposing of minor /major penalties under CCS (CCA) Rules, 1965 in respect of Class III and IV employees.
(3) To sanction all kinds of leave.
(4) Final authority to accept/review the ACRs remarks for class III and IV employees.
(5) To issue directions/ instruction to the officers/employees working under his control to bring efficiency in working of the department.

(b) <u>Statutory Powers of Officers under the H.P. Cooperative Societies, Act & Rules</u>.

(i) Registration of Cooperative Societies under section 7 to 9.
(ii) Audit of Cooperative Societies under section 61 to 64.
(iii) Inspection of Cooperative Societies under section 65 and 66.
(iv) Inquiries under section 67 to 69.
(v) Settlement of disputes under section 72 to 76.
(vi) Winding and dissolution of Cooperative Societies under section 78 to 85.
(vii) Execution of order under section 87.
(viii) Appeals, Review and revision under section 93 to 95.
(ix) Election under Rule 37 read with appendix –A.
(x) Registration of State Level Societies under Societies registration Act, 2006

(a) <u>Administrative matters</u>

In order to bring about efficiency in administration and to ensure speedy disposal of work, following procedure including channels of supervision and accountability in decision making on the references received from the various quarters i.e. Government and general public is adopted as under: -

(i) All the references are received in the office and then diarist indicates date of receipt of office dairy number and name of the D.A on the reference.

(ii) The references are than assigned to the concerned D.As.

(iii) Dealing Assistants deals it on proper file after recording in the Assistant Register maintained by each D.A.

(iv) Reference(s) /matter than placed for examination before the branch officers through ministerial level officer/ official.

(v) Some of the ordinary references, which are off informatory nature and calls for no action, are ordered by branch officers to file such references. There are also some references, which can be disposed off at branch officers level.

(vi) Rest of the references after proper scrutiny are placed before the Head of the Department for the final decision.

(vii) There are certain matters such as amendment in R&P Rules/Act & Rules, appointments/recruitments of daily wagers/part time workers and budgetary provisions are referred to the Government for final decision.

(viii) In no case references be kept pending beyond the above fixed limit. Any delay in disposal of references after the time limit fixed in office manual is treated as negligence of duty/ lack of devotion to duty and is liable to be proceeded against under CCS (Conduct) Rules 1964 and departmental proceeding can be initiated under rule 14/16 of CCS(CC& A) Rules, 1965

(ix) The matter relating to the policy, Rules and regulations are put up to the higher level.

(x) It the duty of the Branch officer concerned keep chasing/following up important matter under correspondence with other Departments/ subordinate offices and Government.

(vi) Each Branch Officer identify the priority areas or thrust area pertaining to his subjects. Such issues are vigorously followed till the conclusive stage is reached.

(vii) Officers/Officials while attending the B.O.Ds meeting of Cooperative Institutions watch the overall interest of the organization and also keep in view the Government policy and provisions of the Act & Rules. Important matters cropping up in such meetings and other inter Departmental meeting are brought to the notice of Head of the Department.

Legal Matters

Legal references are directly dealt in the legal cell and Law Officer after scrutinizing the case submit the same before the Head of Department through concerned Branch officer.

B. Statutory Matters.

Procedure followed and norms on limit fixed for disposal of statutory matter is given below:-

(i) Registration of Societies:-

Application is to be signed by not less than ten persons being members of different families and where all the applicants are not individuals, the number of such applicants shall not be less than five as per section 7(1)(6). Registrar will have to decide the matter within 90 days as per section 8(2).

(ii) Audit of Societies:-

Annual Audit is to be conducted of every cooperative Society and report is to be submitted with in ten days from the completion of Audit as per section 63

(iii) Inspections of Societies

Any Cooperative Society can be inspected by the officer or Inspector of the Department at any time and result of such inspection is to be communicated with a period of one month from the date of completion of such inspection.

(iv) Settlement of dispute

Two months notice is mandatory before instituting any suit against a Cooperative Society or its officers as per section 76 and dispute is to be decided within a period of four months unless period is extended by the Registrar as provided in 91(2).

(v) Winding-up of Societies

Liquidation proceedings shall be closed within the period of five years from the date on which the order of winding up takes effect unless the period is extended by the Registrar as provided in Rule-117.

(vi) Appeal, Review and Revision

Appeal can be filed within sixty days from the date of decision or as provided in section 93(2) and review/revision can be filed within 90 days from the date of the communication of the order sought to be reviewed or revised as provided in section-94(2).

VII The Rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under the control or used by its employees for discharging its functions.

(i) H.P Cooperative Societies, Act 1968.
(ii) H.P. Cooperative Societies Rules, 1971.
(iii) H.P. Societies Registration Act 2006
(iv) H.P. Socieites Registration Rules, 2006.
(v) Manual containing directions and instructions.
(vi) Audit/ Inspection reports of various Cooperative Institutions.
(vii) Office manual.
(viii) Registration certificates and the bye-laws of Cooperative Institutions.
(ix) CCS leave Rules 1972.
(x) CCS and CCA Rules, CCS (Induct) Rules.
(xi) Himachal Pradesh FR & SR Rules.
(xii) GPF Rules/Pension Rules
(xiii) Medical advance Rules
(xiv) Leave Travel Concession Rules
(xv) HBA advance Rules

VIII & IX A Statement of Categories of Documents that are held by it or under its control. The Particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to formulation of its policy or implementation thereof;

1. Annual Administrative Report of the department.
2. Booklets on allocation of budget under departmental demand No.21 and Tribal Demand No.31.
3. Arbitration proceedings, award/decrees/ surcharge proceedings.
4. Compliance reports of Audit/ Inspection of Cooperative Institutions.
5. Revenue receipts in respect recovery of Audit fee, Registration fee and copying fee etc.

(i) H.P. State Cooperative Council

H.P. State Cooperative council being an advisory body, suggests to the Government various steps for formulation and implementation of policies in order to strengthen Cooperative movement in the State.

DUTIES OF OFFICERS/EMPLOYEES

Following works and duties are performed by the officers/employees of the Co-operative Department:-

(a) Directorate level
(b) Field level

DIRECTORATE LEVEL

Additional/Joint/Deputy Registrar (Admin) :

(i) All matters pertaining to service of Govt. employees numbering 1060+2.
(ii) All matters connected with recruitments, promotion, disciplinary proceedings, leave, Provident Fund, Pay fixation, Pension and other related matters.
(iii) To act as controlling officer of Budget and accounts of the Deptt.
(iv) To coordinate the work connected with various committees of Vidhan Sabha i.e PAC Estimate Committee and Assurance Committee, Subordinate Legislative Committee etc.
(v) Reconciliation of accounts and compliance of paras and notes.
(vi) Any other matter entrusted to him by the Registrar Co-operative Societies.

Additional Registrar Co-operative Societies (Monitoring) :

(i) Monitoring of all ICDP cases with mid-term and annual appraisal of programme
(ii) To ensure timely statutory, concurrent and tax audit of Co-operative Societies.
(iii) Levy and realisation of audit fee.
(iv) Monitoring of arbitration, liquidation and embezzlement cases.
(v) Policy matters pertaining to audit
(vi) Amendment in Co-operative Act and Rules.
(vii) To conduct Tax audit of Co-operative societies.

Joint Registrar (Marketing) Co-operative Societies :

(i) To look after the working of State Federations, All Distt. Federations and other Marketing Co-operative Societies except Himfed.
(ii) Monitoring of all Plan cases of State Federations.
(iii) To examine the Service Rules/Matters of all State/Distt./Tehsil Unions.

(iv) To look after the working of Labour, Forest, Industrial and Housing Co-operative Societies.

(v) Monitoring of all NCDC (Non-ICDP) Schemes relating to non-Credit Co-operative Societies.

Joint Registrar (Credit) Co-operative Societies :

(i) Short term/Medium and long term Credit including correspondence relating to these with the Co-operative Banks.

(ii) State Co-operative Banks.

(iii) Central Co-operative Banks.

(iv) H.P. State Co-operative bank.

(v) Agriculture and Rural Dev Bank

(vi) Overdue in te Co-operative Credit Structure.

(vii) Agriculture Stabilisation fund/L.T,O funds.

(viii) Waiving of loans.

(ix) Monitoring of all NCDC (Non-ICDP Schemes) relating to Credit Co-operative Societies

(x) All matters pertaining to legal cases in various courts, follow up thereof.

(xi) Work pertaining to H.P. State Co-operative Council.

(xii) HIMFED and HIMPROCESS.

(xiii) To examine and monitor Societies Registration Act, 2006.

Deputy Registrar (Consumer) Co-operative Societies :

(i) Monitoring of distribution of consumer goods and fertilizers.

(ii) Monitoring of Inspection of Fair price shops.

(iii) Monitoring of mis-utilisation of cash credit limit under PDS.

(iv) Distribution of margins under PDS to wholesaler, sub-wholesaler and retailers.

(v) PDS complaints.

(vi) Correspondence regarding LPG agencies.

(vii) State level and district level PDS meetings.

(viii) Construction of Marketing and Rural Godowns under Normal and NCDC plans.

(ix) Financial cases of construction of godowns, under Normal Plan and Rural Consumer Schemes of NCDC.

(x) BOD meetings of H.P. State Civil Supplies Corporation.

(xi) Sales Tax and matters of Food Supplies Deptt. and Revenue Committee.

(xii) Preparation of Annual/five year plan

(xiii) To review budget under Normal/Special Component Plan and Tribal sub-Plan.

(xiv) LTO policy matters regarding planning/recovery of govt. loan.

(xv) Redemption of Govt. Share and recovery of Govt. loan and interest.

(xvi) Reconciliation of Plan expenditure with A.G.

(xvii) To look after 20 point and 15 point programme

(xviii) All work pertaining to A&S section.

(xix) HIMCOFED.

Deputy Registrar (Audit) Co-operative Societies :

(i) To conduct the audit of Apex level Co-operative Institutions and other bigger societies allotted to him by the Registrar Co-operative Societies.

(ii) To conduct the audit of Apex Bank regularly and side by side head the Audit party.

(iii) To issue comments on the audit notes of all State partners Primary Agriculture Societies and also review compliance of Audit notes of those societies.

(iv) Any other work assigned by the Registrar Co-operative Societies.

Deputy Registrar (Bank) Co-operative Societies :

To hear and dispose off arbitration cases pertaining to the H.P. State Co-operative Bank

Superintendent Grade-I

i) To supervise all the works relating to Establishment and budget Sections.

ii) To depute Class-III and IV including drivers for duty and checking up their day to day functions.

iii) To go through the dak received by him/her and mark the papers to the concerned section and to give directions for its disposal whenever possible at the dak stage to enable speedy processing.

iv) To devise mechanism and take necessary measures for expeditious disposal of business/work in a section, and monitor the progress at regular intervals.

v) To keep watch over timely submission of returns/information to send the same to the quarter concerned duly checked/scrutinized and also to ensure that all relevant Acts, Rules, Manuals, instructions, Guard files, registers of the Department are kept updated.

vi) To maintain liaison with other departments with regard to various activities, schemes, programmes of the department and attend meetings to represent the department as and when directed by the Head of Department and to present the viewpoint of the department as per direction of the superior. After attending the meetings, the Superintendent Grade-I is required to submit a detail of the deliberations of the meeting.

vii) To allocate subjects to different sections under his/her charge, allocate work of a section amongst various dealing hands.

viii) To train and guide the staff working under him/her and to point out their shortcomings and deficiencies if any, for remedial action.

ix) To ensure discipline, office decorum, punctuality in attendance of all functionaries under him/her, make surprise visits to the sections, solve the difficulties of the staff; and carry out periodical inspections of the sections as per provisions of Office Manual.

x) To assist the Head of Department in decision-making and formulation of plans, and programmes.

xi) To present all the cases /matters pertaining to their section to the higher authorities in a precise manner with all possible solutions and suggestions.

xii) To take effective measure for building up and maintaining all essential records.

xiii) To effectively supervise the work and conduct of all functionaries under him/her and be a source of guidance to lower functionaries in all official matters.

xiv) To discharge responsibility delegated by superior officers to leave them free from day to day-minor issues in order to devote attention to more important matters.

xv) To issue orders in accordance with the decisions/Policies of the Govt./HOD for effective implementation and to identify bottlenecks in their implementation in liaison and coordination with all concerned agencies.

xvi) To arrange to monitor and evaluate progress of implementation of Government decisions, plans, programmes and suggest changes, if needed.

Assistant Registrar (Audit) Co-operative Societies :

(i) To conduct the audit of Apex level Co-operative Institutions and other bigger societies allotted to him by the Registrar Co-operative Societies.

(ii) To conduct the audit of Apex Bank regularly and side by side head the Audit party.

(iii) To issue comments on the audit notes of all State partners Primary Agriculture Societies and also review compliance of Audit notes of those societies.

(iv) Any other work assigned by the Registrar Co-operative Societies.

Assistant Controller (Finance & Accounts) :

(i) To assist in framing of budget estimates of receipts and expenditure, scrutiny of proposals for new expenditure and to ensure their factual submission to the Finance Department.

(ii) To exercise check on receipts and accounts of stores and stocks and inspect subordinate offices to detect laxity in raising demands of leakage of revenue.

(iii) To ensure that correct financial procedures are followed, expenditure and receipts are properly accounted for financial powers are not abused and cannons of financial propriety are strictly adhered to.

(iv) To carry out internal check of appropriation/receipts of departments, to advise their respective departments in financial matters.

(v) To assist in timely preparation of financial returns and statements and performa accounts if any.

(vi) To help in the disposal of important references relating to Finance and accounts.

(vii) To advise the Head of Department in the maters of tenders for supplies and works and agreements thereof.
(viii) To assist in the disposal of PAC para.
(ix) To help in the expeditious issue of financial sanctions.
(x) To keep watch on the recovery of loans and advances of the departments.
(xi) Consolidation and maintenance of accounts other than cashiers accounts.
(xii) Issue of salary slips and maintenance of service records of Gazetted Officers (where pay slips system has been introduced).
(xiii) Scrutiny of rates, technical reports and acceptance letters etc. In case of purchase of stores/stocks like store purchases Organisation.
(xiv) Physical verification of cash stocks during internal audit and inspections.
(xv) Checking/giving advise on various kinds of bills/sanctions
(xvi) Preparation of proforma Accounts, balance sheets in semi-commercial/ commercial organizations

Superintendent Grade-II

(i) To supervise the work of other dealing assistants of the branch concerned.
(ii) To keep careful watch on the movement of dak and files between sections and higher authorities.
(iii) To ensure that all the manual, Rules, instructions, guard files and pre___ register of the sections are kept upto date.
(iv) Other works assigned by the branch officer and head of the department are also done by the superintendent Grade-II.

Personal Assistant

(i) To maintain day to day meeting index.
(ii) To maintain ACR's record of all the Gazetted officers of Department.
(iii) To attend the telephone calls of the Head of Department.
(iv) Dictation and typing work.
(v) Other duties assigned by the Head of Department.

Legal Assistant

(i) To maintain record of court cases and implementation of court orders.
(ii) To examine the cases under the Co-operative Act and Rules, Registration Act,1860 and Sports Act,1905 and to render assistance to advocate General of Hon'ble Courts.
(iii) To deal with Court matters like leave petition in Hon'ble Supreme Court of India, Civil Writ Petitions in Hon'ble High Court, O.As in H.P. Administrative Tribunal.
(iv) In addition to above he also deals in Civil Suits, Labour Court cases and consumer court cases.
(v) To give his legal opinion on certain legal matters relating to Establishment etc.

Senior Assistant

Keeping in view the urgency of work due to shortage of staff following works and duties are assigned to senior assistant:

(i) To work as dealing assistant in order to perform/deal with the matters/subjects assigned by the department/authorities.

(ii) Opening and maintenance of files, referencing, dealing cases including noting and drafting, recording of files etc.

(iii) To do the works/duties assigned by the branch officer/superintendent Grade-II of he branch/section concerned.

Jr. Assistant/Clerk

(i) To maintain Casual/restricted leave register.

(ii) To works as store keeper, dispatcher, diarist and typist.

(iii) Dealing Assistant of works assigned from time to time.

(iv) Other works/duties assigned by the branch officer/superintendent G-II of the branch concerned.

Senior/Jr. Stenographer/Stenotypist

(i) Maintaining the day to day meeting index.

(ii) To attend the telephone calls of officer concerned.

(iii) Other duties assigned by the officer incharge.

(iv) Other typing work of the department.

FIELD LEVEL

Additional Registrar Co-operative Societies, Dharamshala:

(i) To look after the overall working of ARCS Circles i.e Lahaul & Spiti, Kullu, Chamba, Dharamshala, Hamirpur, Palampur and Nurpur.

(ii) Powers to sanction financial cases in respect of above mentioned ARCS circles has been delegated to him.

(iii) Administrative powers as well as powers under H.P. Co-operative Societies Act and Rules have also been delegated to administer the working of above mentioned 6 ARCS circles.

Deputy Registrar Co-operative Societies :

The Deputy Registrar Co-operative Societies at the Divisional level are required to control the Assistant Registrar Co-operative Societies functioning under their control. In addition to this they have delegated power of sanctioning loan, share capital and subsidy to Co-operative institutions. They also conduct office inspections, inspections of Co-operative

institutions beside arbitration and appeal cases and also conduct departmental enquiries and enquires relating to functioning of Co-operative societies.

Assistant Registrar Co-operative Societies :

The Assistant Registrar Co-operative Societies at the district/circle level are required to control the inspections, Co-operative societies working at the block /circle level. They also supervise/control the Audit staff working in their respective District/circle. They have also been delegated financial powers in respect of Primary Co-operative societies. The Assistant Registrar Co-operative Societies also conduct enquires and in respect of working of the Co-operative societies also. They also conduct inspection of offices of the Inspector Co-operative Societies in their respective circles and also conduct inspection of Co-operative institutions in their circle. They also decide appeals and arbitration cases.

District Inspectors/District Audit Officer :

Duties of District Inspector

One post of District Inspector has been provided in each circle of Assistant Registrar Co-operative Societies. The duties and function are as under:-

i) To assist the Assistant Registrar Co-operative Societies in office as well as in field duties.
ii) To monitor the work of Inspector (General) of their respective circles.
iii) To conduct the inspection of District Federations and Marketing societies oof their circles.
iv) To conduct enquiries relating to the affairs of Co-operative societies besides disposal of Arbitration and liquidation cases of Co-operative societies.

Duties of District Audit Officer

One post of District Audit Officer has been provided in each circle of Assistant Registrar Co-operative Societies whose duties are as under:-

i) To supervise the work of Audit conducted by the Inspector (Audit) of their circle.
ii) To assist Assistant Registrar Co-operative Societies in office as well as field so far as work relating to audit of Co-operative societies is concerned.
iii) To conduct he audit of Distt. Federations and all marketing societies of their circle.
iv) To conduct test audit of Co-operative societies where it is found necessary.
v) To dispose of arbitration case and other works entrusted by the Assistant Registrar Co-operative Societies.

Inspector (General) Co-operative Societies :

Duties of Block Level Inspector

(i) To supervise the work of remaining Inspectors working in the sub-circle of the block.

(ii) To conduct the inspection of Co-operative institutions functioning in the block

(iii) To initiate/write Annual confidential reports of remaining Inspectors working in the sub-circle of the block.

(iv) To monitor and coordinate the working of other inspectors of the block

(v) To approve tour programme, issue remarks on the diaries and also to sanction casual leave upto 4 days of other inspector of the block.

(vi) To issue remarks on visit notes to be submitted by the Inspector of he sub-circle of the block.

(vii) To distribute sub-circle wise plan budget received from the Govt. through their Assistant Registrar Co-operative Societies and to ensure preparation of financial cases and utilization of full plant budget placed at the disposal of the respective block Inspector.

(viii) To recover Co-operative bank loan, Govt. loan, Audit fee, Govt. share, dividend etc. from the societies and deposit the same into concerned bank or Govt. Treasury

(ix) To get the audit note formalities completed with by the concerned societies an sent to the Assistant Registrar Co-operative Societies for further action.

(x) To conduct the statutory enquiries of their respective Co-operative societies as and when entrusted.

(xi) To decide arbitration and liquidation cases of Co-operative societies.

(xii) To prepare annual statements of the societies functioning in the block.

(xiii) To guide the secretaries of Co-operative societies with regard to completion of all type of records of society and implementation of Govt. directions and instructions issued from time to time

(xiv) To get timely elections of Co-operative societies conducted.

(xv) 5 to 10 society will also remain under the direct supervision of block level inspectors. He will visit every society under his supervision once in each quarter and submit visit notes other inspectors of sub-circles to the concerned Assistant Registrar Co-operative Societies.

<u>Duties of Inspectors (at Sub-Circle)</u>

1. To visit each society once in every quarter of his jurisdiction and to prepare visit note and to furnish the same to the Block level Inspector. The visit note will contain following points:-

   (a) Detail of visit to the society by the Inspector sub-circle date and time, mode of journey and distance be give. Details of his last visit to the society by the inspector with date, if any departmental officer visited the society between the

period of present and last visit or inspector sub-circle, his name, designation and purpose of journey be discussed.

(b) The stock in hand according to stock register and stock actually found on the date of inspector sub-circle/block level visit to the society. If any difference was found, what action was taken by the inspector on the spot, if there is stock of foodgrains, pulses, rice etc. in the society then there is no need to weigh the same fully. Shortage of stock may be assessed by presumption of average weight of the bag so that the society may not be financially burdened due to time and again weighment of stocks and small articles should be counted easily.

(c) How much cash credit limit (fertilizer) has been got sanctioned by the society and cost of fertilizer purchased out of the sanctioned limit? How much sold in cash or on pronote upto the date of visit? How much amount deposited in bank or found in cash book? How much stock of fertilizer was found on the spot? Whether it is correct according to the cash credit limit (fertilizer)? If there is any difference what action was taken by the Inspector sub-circle on the spot.

(d) Whether account (record) of the society were complete on the date of visit of Inspector or not? If not complete, whether the Inspector completed the same during the visit? If yes, details of record/registers completed be mentioned.

(e) At the time of visit of society the Inspector should mention details of enrolment of new members, receipt of share capital, recovery of loan and advancement of loan which the society has made between his previous and present visits and comments relating to these points.

(f) What was the cash balance as per cash book of the society on the date of visit of Inspector? Had the concerned person signed it or not? Was this cash in hand within the prescribed limit and with authorised person as per bye-laws of the society and found correct? If not, what action was taken by the Inspector on the spot? Every Inspector should direct he cashier of the society to deposit the cash balance with the Co-operative bank/Nationalized bank/post office situated at the Headquarters of the society so that there may not be any difficulty in day to day withdrawal of the money.

(g) Had the society procured securities as per directions of the Registrar Co-operative Societies from its employees or not? If not, detail of action taken on the spot.

(h) Had the society deposited Audit Fee, Govt. loan, interest on Govt. loan payable to the department or not? If not mention detail of action taken to get the same deposited on the spot.

(i) Whether copies of Act, Rules, Bye-laws, Registration papers of the society approved by the departmental officer are available on record or not? If not action taken for their availability be mentioned.

(j) What was the date of last General House? Had period of society General House become over 15 months? If yes, mention details about calling the General House.

Are the meeting of managing committee being held regularly according to the Rules or not? Detail of presence of Managing Committee meeting of the society containing details of Govt. nominee also.

(k) Had the compliance report of previous audit and inspection note been sent to the department by the society or not, action taken in this regard by calling managing committee meeting?

(l) Had the Inspector contacted the loanees to recover the overdue amount or not? If he contacted the loanee detail of amounts recovered and list of loanees be prepared.

(m) Verification of accounts of society giving details of confirmation of accounts from debtors and creditors by the secretary of the society may be given by the Inspector during his visit to the society. If the secretary of the society has not got confirmed the accounts from debtors and creditors, what steps have been taken on the spot?

(n) Details of action taken by the Inspector during visit to sanction short term loan, Medium term loan and cash credit limit (fertilizer). Has the society taken action to get these limits fixed or not? If not, what action have been taken to fix these limits?

(o) Had the society prepared 'Kistbandi' to recover the loan or not? If not, what action have been taken to prepare the Kistbandi?

(p) Detail of cases prepared under Section 90-A and 72 by the society against their defaulter member and against whom action has not yet been completed detail of suggestions given to the society to get such cases disposed of timely and immediately after completing proceeding.

2. To prepare financial cases under the Govt. scheme as per the budget placed by the block level Inspector to the Co-operative Societies of the respective sub-circle and to ensure their utilization.

Inspector (Audit) Co-operative Societies :

They have been posted at the Headquarter of Assistant Registrar Co-operative Societies circles and are deputed to Co-operative societies to conduct the audit by the concerned Assistant Registrar Co-operative Societies.

Inspector Co-operative Societies (Audit) are required to conduct audit of Co-operative institutions/societies as allotted to them.

Position Regarding Sanction Posts and Post lying Vacant as on 31.3.2017 is as under:-

	Name of Category	Sanctioned	Filled	Vacant
1.	Registrar Cooperative Societies	1	1	-
2.	Addl./Joint/Deputy RCS (IAS/HAS)	2	2	-
3.	Addl. RCS Departmental	1	1	0
4.	Joint Registrar Coop. Societies (Deptt.)	2	2	-
5.	Deputy Registrar Coop. Societies	6	3	3
6.	Assistant Registrar Coop. Societies (18+2)	20	10	10
7.	Distt. Inspector/Distt. Audit Officer	34	34	0
8.	Superintendent Grade-I	1	1	-
9.	Assistant Controller (F&A)	1	1	-
10.	Law Officer	1	0	1
11.	Tehsildar	1	0	1
12.	Superintendent Grade-II	25	24	1
13.	Senior Assistant	25	15	10
14.	Inspector Grade-1 (General/Audit)	535	178	357
15.	Personal Assistant	1	1	-
16.	Senior Scale Stenographer	4	3	1
17.	Junior Scale Stenographer	6	4	2
18.	Steno Typist	20	2	18
19.	Jr Asstt/Clerk	120	36	84
20.	Junior Office Assistant (IT)	40	3	37
21.	Drivers	19	14	5
22.	Daftri	1	1	-
23.	Peons	198	80	118
	Total:- (1062+2)	**1064**	**416**	**648**

PLAN SCHEMES BEING IMPLEMENTED

Co-operative has aptly been described as a movement rather than a mere programme. Its objectives cover acceleration of economic growth coupled with social justice. It is conceived as an important factor in building up an egalitarian and non-exploitative economic and social order. Co-operative movement in Himachal Pradesh presents a picture of adequate coverage both village-wise and family-wise. As on 31st March, 2014 all the villages in the State stood covered by the movement thereby covering 100% rural population.

1. Direction & Administration

This is a continuing staff scheme. This scheme has been transferred to Non-Plan vide Planning department letter No.Plg.FC(F)3-1/2003-2004 dated 15.5.2003.

2. Training, Education & Exhibition, Study Tours & Seminars

The H.P. State Co-operative Development Federation is the agency for the implementation of Co-operative Training and Education programmes in the State. The aforesaid federation is proposed to be assisted for the payment of stipends to the trainees and publication of literature and construction of Sehkeri Bhawan etc. This scheme has also been transferred to Non-Plan as referred to vide S.No. 1.

3. Credit Co-operatives

Share capital contribution to primary agriculture Credit Co-operatives: There are 2127 primary agricultural credit societies functioning in the State with a membership of 12.12 lacs persons. It is proposed to provide them share capital contribution during the 12th plan as also for 2014-15 and Managerial subsidy portion has been transferred to Non-plan side.

4. Warehousing, Marketing and storage

There are 296 marketing societies functioning in the State which include one Apex Federation, 5 districts level and 35 primary marketing Co-operative societies and 256 specialised marketing societies. These societies are dealing in the marketing of agricultural as well as horticultural produce, distribution of consumer articles and agricultural inputs. It is proposed to provide them share capital contribution during the 12th plan period and for 2016-17. The provisions for M/Subsidy to Marketing Co-operatives and working capital subsidy to marketing Co-operatives have been made under Non-plan owing to the reason that the aid scheme have been transferred from plan to non-plan.

5. Consumer Co-operatives

The strengthening of the public distribution system in one of the items of the 20-point programme. In this programme, the Co-operative play predominant role. In the State 3186 fair price shops are under Co-operative sector. In the distribution of consumer articles, marketing

societies, Primary Agricultural credit societies and consumer stores are mainly involved. The State Government helps these Co-operative societies by way of contributing in share capital, providing managerial and interest subsidy. The subsidy schemes have been transferred to non-plan

6. Fishermen Co-operatives

There are 65 primary Fishermen Co-operative societies functioning in the state for Govindsagar & Pong Dam reservoirs. These societies are proposed to be further strengthened during the 12th plan period and 2012-17 by providing them share capital contribution and managerial subsidy so that poor fishermen who are mostly from weaker sections of the society could be benefited.

7. Industrial Co-operatives

There is one Apex weavers Co-operative society, 387 primary weavers Co-operative and 125 other types of Industrial Co-operative societies functioning in the State. The Apex Weavers Co-operative society has been organised in January, 1981. In order to strengthen Apex Weavers Federation, Weavers Societies and other Industrial societies, it is proposed to provide them share capital contribution. The managerial subsidy scheme has been transferred to Non-Plan side as referred to vide S.No.1 above.

STATE LEVEL PROFORMA

Department/Public Authority _____

S.No	Name of Appellate Authority	Designation & office Address	Jurisdiction (area/ subject)	E_mail (if any)	Telephone/Fax number	
					Office	Residence

STATE LEVEL PROFORMA

Department/Public Authority _____

S.No	Name of PIO/APIO	Designation & office Address	Jurisdiction (area/ subject)	E_mail (if any)	Telephone/Fax number	
					Office	Residence

DISTRICT LEVEL PROFORMA

Department/Public Authority _____

S.No	Name of PIO/APIO	Designation & office Address	Jurisdiction (area/ subject)	E_mail (if any)	Telephone/Fax number	
					Office	Residence

Proforma for furnishing of information to State information Commission, H.P for the Annual Report 2005-06

(Under Section 25 of the Right to Information Act,2005)

S.No.	Name of the public authority under the department	No. of requests received	Decisions where requests were rejected					Appeals filed before the Appellate Authority			Appeals filed before the State information commission			No. of cases where disciplinary action was taken against any officer in respect of administration of this Act	Amount of charges collected.
			Number of decisions	No. of times various provisions were invoked				No. of appeals	Outcome of appeals		No. of appeals	Outcome of appeals			
				Sec.8	Sec.9	Sec.11	Sec.24		Appeals accepted	Appeals rejected		Appeals accepted	Appeals rejected		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act,2005.

Department : <u>Directorate of Co-operation</u>

S.No.	Appellate Authority (Department Public Authority	No. of appeals received during the month	No. of appeals received during the month	No. of Appeals		No. of appeals pending at the end of month	
				Accepted	Rejected	Total	Of which No. pending over 30 dyas
1	2	3	4	5	6	7	8

Forms under The HP Cooperative Societies Rules, 1971, Service Guarntee Rules 2011, RTI Act 2005 & Societies Registration Act 2006

SCHEDULE

FORM-A

APPLICATION FOR REGISTRATION OF A SOCIETY

(See rule 4)

(To be submitted in Duplicate)

1. Name of the proposed society with headquarters
2. Address(Village, post office, block,tehsil and district)
3. Form of liability.
4. Area of operation
5. Objects
6 Share Capital:-
   (a) Authorised
   (b) Value of different category of shares
7. Number of persons who have agreed to join as members.
8. Full name and address of the person authorised to correspond with the Registrar regarding registration of the society and to whom the order of refusal to register if any, shall be communicated by the registrar under rule 6.
9. The applicants have elected the following persons to the Provisional Committee which is to conduct the affairs of the society for a period of three months, from the date of registration of the society or for such further period as the Registrar may permit in writing.

(1)	(2)	(3)	(4)
(5)	(6)	(7)	

Under section 7 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act,1968, we, the undersigned being persons possessing the qualifications proposed for election to membership according to the bye-laws three copies of which are enclosed, request that the society may be registered.

We declare that we belong*/do not belong to different families as defined in clause (b) of sub-section(2) of section 7.

Sr.No.	Name	Father's Name	Age	Profession	Place of residence	No. of shares purchased	Value of shares subscribed	Value of shares paid up	Signature	Attestation of thumb-impressions if any.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

The Himachal Pradesh Public Services Guarantee Rules, 2011

FROM-1

(See Rule 3)

Acknowledgement under the HP Public Services Guarantee Act, 2011

Received an application for public service under the Himachal Pradesh Public Services Guarantee Act, 2011 for the Service/ public Service---------- Smt./Shri----------

(a) The request is incomplete and following additional documents be attached and requirements fulfilled:-

1----------
2----------
3----------

(b) Application is incomplete and the time limit for the service is ---------- days.

Stamp and signature of authorized officer
Date----------
Number of service application

Name and designation of Designation officer
Name of designation of authorized officer
Name of the Officer----------

FROM-II

(See Rule 4)

Notice Board

Name of officer----------

Name of the Designation officer----------

Designation----------

Sr. No.	Name of the service /Public Service.	Documents to be attached with the application. (list enclosed)	Stipulated time limit for providing service (s).	Name of address of the first appellate authority.	Stipulated time limit for disposal of first appeal.	Name and address of the second appellate authority
1.						
2.						
3.						

(1) Name of designation of the person authorized to receive application (s)

in the office of the designated officer.----------

(2) Time limit for filing the first appeal.----------

(3) Time limit for filing the second appeal.----------

Note: Please obtain the acknowledgement of your application.

FROM-III

(See Rule 10)

Form of register to be maintained by the designated Officer

Office of the ----------

Year----------

Sr. No.	Name and address of the applicant	Service for which application has been received .	Stipulated time limit for providing service.	Application accepted/rejected	Date of Order passed and its brief details.
1. 2. 3.					

FORM-IV

(SEE Rule 10)

Department of ----------

Form of Register to be maintained in the office of first appellate authority i.e. office of----------
---

Sr. No.l	Name and address of the appellant.	Date of filing of first appeal.	Name of the designated officer (alongwith the name of the office) against whose decision appeal is filed.	Last date of stipulated time limit.	Date of Order and brief details of order passed inappeal.
1. 2. 3.					

FORM-V

(See Rule 10)

Form of register to be maintained in the office of the second appellate authority.

Name of office of the second appellate authority.----------

Sr. No.	Date of filing second appeal	Name of the first appellate authority (along with name of office) against whose decision appeal has been filed.	Particulars of disposal of second appeal (a) Rejection---- (b) Penalty------- (c)Departmental proceedings------ (d) Payment of compensation----	Brief details of order passed.
(1) (2) (3)				

Various Forms under The Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006

FORM 1

(See rule 3)

Memorandum for Registration of Societies

1. The Name of the Society shall be……..

2. The Head Office of the Society will be situated at……. in Tehsil of…… District and its address will be……..

3. The objects of the Society shall be as under:

(1)

(2)

(3)

4. The Management of the affairs of the Society is entrusted by the regulations of the society to the Governing Body, whose names, addresses and occupations are specified below:

Sr. No.	Name	Address for correspondence	Occupation
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			
2.			
3.			
4,			
5.			
6.			
7.			

5. One copy of the regulation of the Society duly certified as required by sec.6 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006(No.25 of 2006) is filed with this memorandum of association.

We, the several persons whose names and addresses are subscribed below are desirous of forming a Society in pursuance of the aforesaid Memorandum of Association and have signed the memorandum in the presence of the witnesses as shown below:

Sr. No.	Name and permanent address of the subscribers with Father/ Husband names.	Age	Occupation	Signatures.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Dated:

To,

The Registrar of Societies
…….
…….
Full Address……

Witness……..
Signature……
Name…….

FORM-IV
(See Rule 7)

Application under Section 9, 10 and 13 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006.

1. Full Name and Address of Society ----------
2. Registration No. and date ----------
3. Total Number of present members ----------
4. Under which regulation of the Registered
Regulation of Society amendment is proposed. ----------
5 On which date the executive committee passed
the amendment proposal and to how many
members the notice of meeting was served and
how many members constitute the quorum. ----------
6. What is the date of General meeting and
under which rule the meeting is summoned.
How many days earlier the previous notice was served.
How many members remained present and
how many members constitute the quorum of the meeting. ----------
7. Amendment proposed and three copies of the
amendment proposed in the rules and regulations duly
signed by three executive members on each
page with full details be submitted. Please
also submit comparative chart of the existing
and proposed amendment with reasons thereof. ----------
8 The prescribed fee for proposed amendment
in the memorandum and rules and regulations
has been deposited. Rs.------ vide recipt
No.------ dated-------- Challan No.------
dated---------- original copy of the challan
is enclosed. ----------
9. I----------S/O----------
Age----------(Resident)----------

Designation---------- hereby declare that above------all---------- informations are true according to my knowledge and belief, and I know giving any false information shall be punishable under sec. 49(2) of the Act.

(Signature of President)

FORM- VI

(See rule 8)

Proforma for submitting Information of Governing Body list to the Registrar, of Societies under Section 34 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006.

1. Full name and Address of the Society ----------
2. Registration Number and Date ----------
3. Number of Present total members(enclose their names and addresses) ----------
4. Term of the Governing body according to registered Rules and Regulations ----------
5. Date of the present election and number of the members present and how many members constituted the quorum. ----------
6. On what date the present office bearers took charge from the the past office bearers, enclose the list with their names, addresses and occupations with their signatures ----------
7. Date of the last election ----------
8. Month and date of the Annual General Meeting held according to rules and regulations of the Society. ----------
9.When the last annual list was submitted. If not submitted give reasons thereof. ----------
10.Enclose minutes of current Annual General Meeting with date. ----------
11.The Annual fee of Rs-- for the list under sec.34 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006 has been deposited Rs……vide Receipt/Challan No…….. dated……..and original copy of the Challan is enclosed. ----------

Declaration of President

I……..S/O…….. aged…….years as authorized office-bearer hereby declare that the above information is true to the best of my knowledge and belief and I know that giving any false information, shall be punishable under section 49(2) of the Act.

……..

Signature of President or Signature of Secretary

FORM -VII

(See rule 9)

Particular of information relating to transactions of property to be filed with Registrar under section 28 of Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006

1. Full name and address of Society ----------
2. Registration No. and date of the Society ----------
3. Full Particulars of the property acquired or transferred by way of sale, gift or otherwise. ----------
4. Approval of General Body. ----------
5. Reasons of sale/purchase or otherwise transfer of the immoveable property or use of the property other than the objects of the Society. ----------
6. Full Name and address of the purchaser or seller or donor of the property. ----------
7. Copies of the resolution passed for purchase/sale or transfer of the immoveable property. ----------
8. Any other information, if any. ----------

(Signature of President)

FORM -VIII

(See rule 8)

Statement of Income and Expenditure with full particulars to be filed with Registrar under section 35 of Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006.

Name of the Society ……..

Registration No. ……..

Income and Expenditure Accounts for the year ending ……. .

Expenditure	Current Year	Previous Year	Income	Current Year	Previous Year
To express in respect of properties-			By rent accrued/realised		
Rates, Taxes, cesses			By interest accrued/realised.		
Repairs and maintenance					
Salaries			(a) On securities		
Insurance			(b) On loans		
Depreciation (by way of provisions or adjustments)			(c) On account		
			By dividends		
			By donations in cash or kind		
To establishment					
Expenses					
To remuneration to office-bearers			By grants		
To legal Expenses			By fees		
To Audit Fees			By subscriptions		
To amount written off -			By income from other sources (give details as far as possible)		
(a) Bad debts					
(b) Loan Scholarships					
(c) Irrecoverable rents					
(d) Subscriptions and fees					
(e) Other items					
To Miscellaneous Expenses			By transfers from reserves		
To Depreciation			By deficit, carried over to		

balance- sheet
To amounts transferred to
Reserve or specific funds
To expenditure on objects of the society
To surplus carried over
to balance-sheet
_____ Total_Rs……..____Total Rs……..____
Place:

Signature Chartered Accountants/Auditors
Full Name and address of the Auditors.

Full name and address
of the signatory: